खण्ड-241, अंक-2
सोमवार, 4 चैत्र, शक संवत् 1885
(25 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१२९–१३२
श्री मैनेजरसिंह के निलम्बन पर आपत्ति	१३३–१३४
प्रश्नोत्तर	१३४–१५१
श्री बैजनाथसिंह वैद्य द्वारा २२ मार्च, १९६३ की घटना के संबंध में समाचार-पत्रों में छपे समाचार में शोधन कराने की प्रार्थना	१५१–१५२
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण नियमावली, १९६३ (मेज पर रखी गयी)	१५२
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६३–६४ का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र (मेज पर रखा गया)	१५२
श्री गयाप्रसाद द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में सूचना	१५२–१५३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अंतर्गत सूचनाएं	१५३
आगामी कार्यक्रम	१५३–१५४
श्री नेकराम शर्मा द्वारा २२ मार्च, १९६३ की घटना के संबंध में स्पष्टीकरण ..	१५४–१५५
अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	१५५–१५६
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३ विद्युत योजनाएं (अधिष्ठान को छोड़कर), अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनाएं—अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	१५६–२०३
विभिन्न समितियों के निर्माणार्थ प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों के संबंध में सूचना ..	२०३–२०४
नत्थी	२०५–२०६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २५ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१८

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी,
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमदबख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किश्वरआरा, बेगम
कुञ्जपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री

चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री

बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह बैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)

योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामग्रधार कनौजिया, श्री
रामग्रधीनसिंह, श्री
रामग्रनन्त पाण्डेय, श्री
रामग्रवध, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामावणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)

रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर,कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--धन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा लघु उद्योग उपमंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

श्री मैनेजर सिंह के निलम्बन पर आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस सदन में २-३ दिन से लगातार चली आ रही है और इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों को सदन की सेवा से वंचित किया गया है। उस संबंध में आपकी व्यवस्था जहां की तहां पड़ी हुई है। बार-बार निवेदन किया गया, आपसे भी और नेता सदन से भी....

श्री अध्यक्ष---

मैं इस संबंध में अभी बताऊंगा, यद्यपि २२ तारीख को भी मैं कहना चाहता था, आज फिर कह रहा हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय यही थी और है इस समय कि जो कार्यवाही माननीय मैनेजर सिंह के विरुद्ध मैंने की, वह पूर्णतया वैधानिक थी। उस संबंध में नियम ३०२ के अन्तर्गत माननीय कमला सिंह जी ने एक पत्र मेरे पास भेजा है और वह विद्वतापूर्ण है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो विचारणीय हैं। इस कारण मैंने ऐसा निश्चय किया है कि मैं उस पत्र के ऊपर आज सायंकाल ५ बजे अधिष्ठाता मंडल के माननीय सदस्यों को, माननीय उपाध्यक्ष को तथा विभिन्न पार्टियों के नेतागण, अगर आना चाहें तो उनको, वे भी आ सकते हैं, बुलाकर इस पर विचार करूं और अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे तनिक भी इसमें कोई अड़चन नहीं होगी कि मैं उस गलती का परिमार्जन करूं। मुझमें न तो इतना अहंकार है और न कोई जिद्द ही है कि अगर कोई गलती मैंने की है तो मैं उसी पर अड़ा रहूं। लेकिन मेरा मत यही है कि मैंने सही काम किया है। तो शाम को मैं आपको उस संबंध में बात करके बता दूंगा।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो कुछ इस संबंध में आपको कहना हो वह साढ़े ११ बजे के बाद कहें, अभी प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

माननीय कमलासिंह जी ने जो लिख कर आपको भेजा है वह तो है ही, लेकिन प्रश्न यह है कि जो वक्तव्य नियम ५२ के अन्तर्गत आपने माननीय मंत्री जी से उस दिन दिलवाया था उसके स्पष्टीकरण का हमको अधिकार है या तो आप उस वक्तव्य को न दिलवाते या जितना अंश चाहिये था उतना ही दिलवाते, लेकिन आपने वैसा नहीं किया और उनसे पूरा वक्तव्य दिलवाया, उससे उसका कोई संबंध नहीं था। जब वक्तव्य आ गया, तो वह सदन की प्रापर्टी हो गयी, इसलिये हमारा अधिकार हो गया कि हम उस पर कुछ सप्लीमेंटरी कर सकें....

श्री अध्यक्ष---

मैं उसको देख लूंगा, जितना भी अप्रासंगिक अंश उसमें होगा उसको मैं निकलवा दूंगा। मेरा और माननीय नरसिंह नारायण जी का बिल्कुल स्पष्ट यह समझौता था कि केवल परीक्षार्थियों की परीक्षा में कोई अड़चन न पड़े, इस विश्वास से आप उसको स्वीकार कीजिये, और मैंने उसको स्वीकार किया। उस दिन की कार्यवाही आप देखेंगे तो उसमें बार-बार इसी पर बल दिया गया है कि उनकी परीक्षा हो जाने दी जाय। इसलिये अगर उस वक्तव्य में कोई अप्रासंगिक बात है, तो मैं उसको निकाल दूंगा।

दूसरी बात मैंने कही थी कि अगर किसी को अतिरिक्त विषय पर कोई और प्रश्न पूछना हो तो वे अल्पसूचित प्रश्न पूछ लें, मैं उनको स्वीकार कर लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं श्रीमन्, निवेदन कर रहा था कि जब तक इस सदन की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से न चले, काम कैसे चलेगा और इसलिये मैंने आपसे उस पर विचार करने के लिये कहा, तो आपने कहा कि शाम को विचार करेंगे। आपने कहा कि विभिन्न दलों के नेता लोग भी आ सकते हैं। अब यह भी पता नहीं कि आप उनसे हिस्सा लेने को कहेंगे या वे स्वयं आ सकते हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वे आ सकते हैं, आप वह आमंत्रण समझिये। यह आमंत्रण ही समझा जाय।

श्री कल्पनार्थासिह—

श्रीमन्, जब तक यहां सामान्य स्थिति न हो जाय, हम यहां पर बैठना उचित नहीं समझते और आज दिन भर के लिये, हम तथा हमारी पार्टी, सदन का त्याग करते हैं।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यगण सदन त्याग कर चले गये।)

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २५ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सहारनपुर के लिए शराब की नई दुकान

**१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में शराब की दुकान खोलने का कोई नया लाइसेन्स देने का प्रस्ताव कलेक्टर, सहारनपुर के विचाराधीन है या कलेक्टर ने सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो कहां पर यह दुकान नगर के अन्दर खोलने का प्रस्ताव है और किस व्यक्ति के नाम की सिफारिश की गई है ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी नहीं। वास्तविक स्थिति यह है कि ज्वालापुर हरद्वार यूनियन की दो (F. L. shop) में से एक दुकान को सहारनपुर shift करने का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है जिस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार चौक घंटाघर, सहारनपुर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए वहां नई दुकान की अनुमति न देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

एक्साइज मैनुअल के प्रथम अंक ३१४ पैरा के आधार पर शराब की दूकानों की स्थिति का निर्णय जिलाधीश व लाइसेंसिंग बोर्ड द्वारा होता है। अभी तक उक्त दुकान के संबंध में इन दोनों में से किसी की भी संस्तुति शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रिकमेन्डेशन्स वहां से सरकार के पास आयी हैं, उसमें किस पार्टी को लाइसेंस देने की बात है ?

डाक्टर सीताराम—

१५ मार्च को जो रिपोर्ट जिलाधीश ने एक्साइज कमिश्नर को भेजी है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ज्वालापुर की यह नयी दूकान जिस पार्टी को दी गयी है वह रीसेंटली पंजाब से यहां आयी हैं और उसने २० हजार रुपया एन० डी० एफ० में देकर, कलेक्टर को मिलाकर इस दूकान को प्राप्त किया है ? क्या यह सत्य है ?

डाक्टर सीताराम—

जिलाधीश ने जो पत्र एक्साइज कमिश्नर को भेजा है उसमें एमाउन्ट तो नहीं लिखा है लेकिन यह सही है कि कलेक्टर, सहारनपुर को एन डी० एफ० में रुपया दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सहारनपुर में चौक घंटाघर के चौराहे से ५०–५० गज के फासले पर पांच सड़कें निकलती हैं, एक अंबाला को जाती है, एक देहरादून को, एक रेलवे स्टेशन को, एक कोर्ट को और एक शहर को जाती है यह ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जहां से सारे शहर के स्त्री-बच्चे निकल कर जाते हैं। इस चौराहे से ५० गज के फासले पर आलरेडी १–२ दूकानें हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां और कोई नयी दूकान न खोली जाय ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न संख्या २ के उत्तर में यह बता दिया गया है कि एक्साइज मैन्युअल की धारा ३१४ के अन्तर्गत जिलाधीश और लाइसेंसिंग बोर्ड इसकी इजाजत देते हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात है तो माननीय सदस्य, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, वह मुझे लिखकर दें तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी बात नहीं होने पायेगी।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब शराब की दूकान कहीं खोली जाती है तो क्या इससे पूर्व कि उसकी इजाजत दी जाय; प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं से उनकी राय जानने का प्रयत्न किया गया था ?

डाक्टर सीताराम—

एक्साइज मैन्युअल के सेक्शन ३६२ (३) के अन्तर्गत लाइसेंसिंग बोर्ड किसी भी दूकान को त्रिग्रेट करने के लिये आर्डर देता है। इस बोर्ड में शिक्षा संस्थाओं का एक मेम्बर, लेबर यूनियन का एक मेम्बर, म्युनिसिपैलिटी के ५ मेम्बर तथा कलेक्टर अथवा उसका नामिनी उसका चेयरमेन होता है। इसके अलावा एक्साइज विभाग का एक कर्मचारी होता है। इस बोर्ड की रिकमेंडेशन के बिना कलेक्टर किसी को दूकान नहीं दे सकता। जहां तक दूकान खुलने का सवाल है, उसमें यह अवश्य दिया हुआ है कि उसके करीब कोई मंदिर, मस्जिद या शिक्षा संस्था नहीं होनी चाहिये, यह सत्य है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि देहरादून रोड के चौराहे से ५० गज के फासले पर नहीं बल्कि ४० गज के फासले पर एक देशी शराब की भट्ठी है और उसी सड़क के बिलकुल अपोजिट में एक बड़ी भारी मस्जिद है, जब कि आपके कहने के मुताबिक मन्दिर व मस्जिद के पास कोई दूकान नहीं खोली जाती ? यदि हां, तो वह कैसे मौजूद है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि अगर इस प्रकार की कोई बात है, तो आप उनको लिखकर भेज दें अपने फारवर्डिंग नोट के साथ, उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले ईद वाले दिन अम्बाला रोड वाली दुकान पर एक कत्ल हुआ, दो कत्ल पुलिस के सिपाहियों का देहरादून वाली सड़क पर हुआ, शराब की भट्ठी के सामने और दो कत्ल नावेल्टी सिनेमा के सामने तीन साल पहले हुये यदि हां, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर, सहारनपुर को आदेश देंगे कि पब्लिक की इज्जत व उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी सूरत में भी चौराहे के पास कोई दूकान खोलने की अनुमति न दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्न २ के उत्तर में बतलाया गया है कि सरकार को लाइसेंसिंग बोर्ड या जिलाधीश की कोई इस तरह की संस्तुति नहीं प्राप्त हुई है।

तारांकित प्रश्न

[२५ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बांदा में श्री बिन्दाप्रसाद खत्री को मकान न मिलना

*१---श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री बिन्दाप्रसाद खत्री, रिटायर्ड इंस्पेक्टर स्कूल ने रेन्ट कंट्रोल, बांदा को अपने मकान वाकये शहर बांदा को अपने रहने के लिये वापसी की दरख्वास्त कितनी बार दी ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

७ बार ।

*२---श्री मतोलासिंह---

क्या यह सही है कि बावजूद बार-बार प्रार्थना के मकान का कच्चा हिस्सा भी उनको नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी नहीं ।

श्री मतोलासिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक ७ दरख्वास्तें जो दी गयी हैं उनका आधार और विषय क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

विषय यह है कि मकान उनके पक्ष में खाली कर दिया जाय ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

जिन गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स ने अपने निजी मकान बना रखे हैं, रिटायर होने के पश्चात् उनके रहने के लिये उन्हें आसानी से मकान मिल जायं, इसकी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वह तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के मातहत बात होती है, कोई घर की बात तो है नहीं ।

श्री मतोलासिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उनके रहने के लिये कोई दूसरा मकान नहीं है तो वे क्या करें और कहां जायं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

वे अपने मकान के ऊपर के हिस्से में तो रहते ही हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मकानों की बहुत किल्लत है, इस प्रकार का कोई संशोधन कानून में करने का प्रबन्ध करेंगे कि जो लोग अपने निजी मकान बना लिये हैं और वे दूसरे मकानों पर भी कब्जा रखे हुए हैं, तो उनसे वे मकान खाली करा दिये जाया करें ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मायर जी, आप तो वकील है और आपने रेंट कंट्रोल ऐक्ट को पढ़ा भी होगा । उसमें निश्चित रूप से यह प्राविजन है कि अगर मकान मालिक को आवश्यकता है, उनको नीड जेनुइन है, तो वह उसे हासिल कर सकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, बहुत से व्यक्तियों ने अपने निजी मकान बना लिये हैं लेकिन किराये के मकान पर काबिज रहते हैं। हाई कोर्ट की रुलिंग के मुताबिक वे एलाऊड है कि जब तक मकान को खाली करना घोषित न करें तब तक उसे खाली न समझा जाय। तो माननीय मंत्री जी कोई संशोधन ऐक्ट में करने की कृपा करेंगे कि ऐसे मकान को खाली कर दिया जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। इसमें दूसरी बात है। जैसा कि आपका सुझाव है सितम्बर, ६३ में इस ऐक्ट की मियाद खत्म हो रही है। उस वक्त इस पर समुचित बिचार किया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने खुद तो किराये के मकान ले रखे हैं और अपने नये बनाये हुए मकानों को ऊंचे किराये पर उठा रखे हैं ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सरकार मकान नहीं देगी और जिनको मकान दे रखा हैं उनसे मकान खाली कराने की व्यवस्था पर बिचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

रेंट कन्ट्रोल ऐक्ट के मातहत जबतक कि वेकेंसी डिक्लेयर न हो, हम कुछ नहीं कर सकते।

श्री मतोलासिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब उनके पास कोई दूसरा मकान नहीं है और वह लखनऊ में मारे-मारे फिरते हैं, तो उनका मकान खाली क्यों नहीं कराया जाता ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी ने तो बताया कि उनकी सूचना यह है कि वह अपने मकान के ऊपर हिस्से में रह रहे हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दोनों चीजें हैं, एक तो ऊपर का हिस्सा उनके कब्जे में है और वह आजकल लखनऊ में रहते हैं।

श्री मतोलासिंह—

यह ठीक है कि उनके मकान का कुछ ऊपर का भाग ताले से बन्द है जिसका जीना उस मकान के अन्दर से है जो कि किराये पर है।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि वह आज कल यहीं रह रहे हैं।

शिकोहाबाद नगरपालिका का वाटरवर्क्स

*३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १५ फरवरी, १९६३ को शिकोहाबाद नगरपालिका की वाटर वर्क्स की लाइन पी० डब्लू० डी० असिस्टेंट इंजीनियर, जिला मैनपुरी ने बायी फोर्स उखड़वा दी थी जिससे शिकोहाबाद की पानी की सप्लाई बहुत देर बन्द रही जिससे जनता को बहुत परेशानी हुई ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—

जी नहीं।

*४—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

[२७ मार्च, १९६३ के लिए प्रश्न १०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अर्थ एवं संख्या निदेशालय के लिपिक को दण्ड

*५—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश अर्थ एवं संख्या निदेशालय में ऐसे कितने लिपिक हैं जिन्हें गत १ साल से पद्दोन्नति अपर ग्रेड से वंचित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उनको पदोन्नति करने का कब तक विचार करेगी ?

वन मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

अर्थ एवं संख्या निदेशालय में ऐसा एक लिपिक है जिसे गत एक साल से अपर ग्रेड में पदोन्नति से वंचित किया गया है।

उसकी पद्दोन्नति के प्रश्न पर दिनांक १–१०–६२ से २ वर्ष बाद ही विचार किया जा सकेगा।

*६—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय में कितने लिपिकों को माह जून, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक स्थानान्तरित किया गया ? क्या उनमें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें केवल दो माह ही जिला संख्या अधिकारी केन्द्र पर रक्खा गया तथा अनियमित रूप से धन का दुरुपयोग किया गया ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

माह जून व जुलाई, १९६१ में अर्थ एवं संख्या निदेशालय के ६ लिपिकों को स्थानान्तरित किया गया। उनमें से एक लिपिक को (जिसे ५–६–६१ को स्थानान्तरित किया गया था) प्रशासकीय आधार पर जन हित में २४–७–६१ को पुनः स्थानान्तरित किया गया। इसमें अनियमित रूप से धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

*७—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि अर्थ एवं संख्या निदेशालय में मिनिस्टीरियल रेगुलेशन बने अथवा नहीं ? यदि हां, तो इनके बनाने में कितना समय लगा ? यदि विलम्ब हुआ, तो उसका उत्तरदायित्व किस पर रक्खा गया और उसके विरोध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अर्थ एवं संख्या निदेशालय में मिनिस्टीरियल एकोनामिक इंटेलिजेंस सर्विस रूल्स बन रहे हैं। यह कार्य १९५९ में प्रारम्भ हुआ किन्तु इस संस्था के ऐतिहासिक परिवर्तनों तथा विभिन्न पदों और कैडरों की बहुल्यता, वेतन क्रमों की असमानता इत्यादि कारणों से उत्पन्न जटिल समस्याओं का समय-समय पर सम्बन्धित विभागों के परामर्श से समाधान करानें में समय लगा है। विलम्ब के लिये किसी एक का उत्तरदायित्व नहीं ठहराया जा सकता।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक लिपिक की पदोन्नति २ साल से रुकी है, ऐसा क्यों है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसा इसलिये है कि मथुरा के जिला संख्या अधिकारी ने एक शिकायत इस व्यक्ति के विषय में की थी। उसकी पूरी-पूरी जांच हुई और उसमें वह दोषी पाये गये थे और उस पर उनको जो बहुत ही नर्म दंड दिया गया था वह यह था कि उनका इंक्रीमेंट रोका जाय। अतः दो साल बीतने पर ही उनको वेतनवृद्धि दी जा सकती है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

आगे से पद्दोन्नति सीनियारिटी के आधार पर दी जाय, इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पदोन्नति तो सीनियारिटी के आधार पर ही दी जाती है लेकिन उसमें मेरिट और सर्विस पुस्तिका व केरेक्टर रोल भी देखा जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत सही पाई गई उसको कम से कम नर्म सजा देने का क्या आधार था और इसका कारण माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उसे नौकरी में क्यों रखा गया ?

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—

जो भी शिकायत थी उसपर जो उचित दंड समझा गया, वह दिया गया और यह भी उचित समझा गया कि वह नौकरी में रहे, उसके लिये प्राण दंड का निश्चय नहीं किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या विभाग में जो मिनिस्टीरियल रेगुलेशन्स अभी नहीं बने हैं इसके फलस्वरूप पिछले १४ साल से डायरेक्टर ने बहुत सी नियुक्तियां और पदोन्नति के सम्बन्ध में ऐसे काम किये हैं जिसके कारण बहुत गहरा असन्तोष वहां के कर्मचारियों में रहा है और इसी कारण वहां बहुत से रिप्रजेन्टेशन्स हुये हैं। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

मैं तो इस प्रश्न के लिये प्रश्न कर्ता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आवश्यक बात की ओर ध्यान दिलाया है। इसमें सन्देह नहीं कि १४ साल से इसके रूल्स नहीं बने हैं। मगर इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि यह विभाग १९३९ में जब युद्ध छिड़ा उस समय केवल कुछ वस्तुओं के मूल्य आदि जानने के लिये बना था, धीरे-धीरे उसकी कार्यवाहियां बढ़ती गयीं। इस विभाग के बनने के बाद कोई नियमित रूल्स नहीं थे। पिछली बातें जो हो गई सो हो गईं। अब १९६२ के जून में इसकी सेवाओं के नियम बना लिये हैं और १७ नवम्बर, १९६२ को लोक सेवा आयोग के पास भेज दिये गये हैं, प्रजातन्त्र का यह दोष भी है और गुण भी कि जगह-जगह पर हार्डिल्स होते हैं। वहां से नियम स्टडी हो कर आयेंगे तो वित्त विभाग, नियुक्ति विभाग, ला विभाग, ए० जी० को जायेंगे, इसमें कुछ समय लगता है। लेकिन रूल्स बन गये हैं और जाहिर है जब तक रूल्स नहीं थे तो जो संचालक था जिसको हां, नहीं डेफिनिटली करना पड़ता है कुछ उसके सम्बन्ध में शिकायतें आती रहती हैं और दीदादानिस्ता कोई काम ऐसा हुआ है उसकी नालिज मुझको नहीं है। लेकिन रूल्स के न होने के कारण स्वाभाविक है कुछ लोग एतराज करें। जो एतराज हुये हैं उनका निराकरण किया गया है और जब से मेरे चार्ज में यह विभाग आया है १९६१ में, २९ जनवरी के बाद २९ जुलाई में सेक्रेटेरियट और विभाग का विभाजन हो गया, ड्राफ्ट रूल्स लोक सेवा आयोग को चले गये हैं इसलिये अब कोई शिकायत का मौका नहीं दिखाई पड़ता।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन महाशय की पदोन्नति रोकी गई उनके विरुद्ध क्या शिकायत थीं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

मैं समझता हूं वह व्यक्ति यहां है नहीं।

जो रोकने का कारण था वह बता दिया गया। अब विस्तार से उस नाम को पढ़ने से और हर बात को बताने से कोई उचित लाभ नहीं प्रतीत होता।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, क्या मन्त्री जो को अधिकार है कि प्रश्न का उत्तर न देकर यह पूछें कि विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, जब तक आप किसी बात को गोपनीय न कहें तब तक प्रश्न जो पूछा जाय उसका जवाब देना ही पड़ेगा। वह जानना चाहते हैं कि जो सजा दी गई वह किस जुर्म में दी गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री—

मैंने तो यही समझा कि उनको इतना प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप कहते हैं कि बताना उचित नहीं है तो मैं मान जाता। लेकिन वह नहीं कहा, इसलिये उसको पढ़ दीजिये।

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

इन सज्जन का नाम श्री रामनारायण पांडेय है। १९६१-६२ में जिला संख्या अधिकारी, मथुरा के एक अभिवेदन के आधार पर श्री रामनारायण पांडे के विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गई और उनके ऊपर (१) दुर्व्यवहार और अनुशासनहीनता तथा (२) एक सरकारी अधिकारी को धमकी देने के आरोप लगाये गये। पूरी कार्यवाही के बाद यह आरोप सिद्ध हुये और श्री पांडे की दो वेतन वृद्धियां रोक दी गयी। साथ ही उनके चरित्र लेख में भी इस बात की प्रविष्टि की गई। यह आदेश १-१०-६२ को दिये गये। यह स्पष्ट है कि श्री पांडे की पदोन्नति का प्रश्न १-१०-६२ से दो वर्ष बीत जाने के बाद ही उठ सकता है।

कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद जिलों में गल्ला गोदाम

*८—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद, जिलों में गल्ला गोदामों में गल्ला हाल में कम पाये जाने की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी नहीं। कानपुर, बांदा, फर्रुखाबाद जिलों के सरकारी गल्ला गोदामों में गल्ला हाल में कम पाये जाने की कोई शिकायत नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इस बात की जांच कब करायी गई कि इन गोदामों में गल्ले की कमी नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह तो इस प्रश्न के बाद ही कराई गई।

*९-१०—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायं)—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

*११—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[७वें सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

बन्दियों की प्रोबेशन पर मुक्ति

*१२—श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक कितने बंदियों को प्रोबेशन बोर्ड ने जमानत पर छोड़ने की आज्ञा दी है ?

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

प्रोबेशन बोर्ड ने इस अवधि में १,०९८ बन्दियों को प्रोबेशन पर छोड़ने की सिफारिश की थी।

*१३—श्री भूपसिंह तथा श्री खेमचन्द—

उनमें से कितने बन्दियों को उक्त आदेश के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधीशों के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजा जा चुका है तथा कितने आदेश शेष हैं और क्यों ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इनमें से शासन ने अब तक ५५१ बंदियों को प्रोबेशन पर मुक्त करने के आदेश जारी कर दिये हैं। १५६ के मामले विचाराधीन हैं। २४ के मामलों में आदेश भेजना शेष है। शेष मामलों में या तो शासन ने उन्हें इस समय मुक्त करना उचित नहीं समझा और पुनः विचार करने के लिये स्थगित कर दिया है या बोर्ड की राय को अस्वीकृत कर दिया है।

श्री भूपसिंह—

जब दरख्वास्तें आती हैं तो बंदियों को छोड़ने के आदेश दे दिये जाते हैं लेकिन वे ८, ८ महीने तक पड़ी रहती हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

प्रयास किया जाता है कि सरकार जल्दी निर्णय ले, लेकिन फिर भी ६ मास का समय लग जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

जेल से जो रिकमेंडेशन आती हैं वे किस आधार पर आती हैं और क्या मन्त्री जी को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि ऐसे सेक्शन्स की दरख्वास्तें भी भिजवा दी जाती हैं जिनके लिये कानूनन मनाही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिन धाराओं के मातहत प्रोबेशनर्स को छोड़ने की मनाही है उनकी सिफारिश नहीं होती और जिन धाराओं के मातहत प्रोबेशनर्स बन्दी को छोड़ा जा सकता है उन्हीं पर सिफारिश की जाती है और जेल के अधिकारी उनका चाल चलन देखकर ही सिफारिश करते हैं।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

कुछ बन्दियों को जमानत पर मुक्त करने की सिफारिश की थी प्रोबेशन बोर्ड ने, जिसमें कुछ को छोड़ दिया गया लेकिन १५८ बन्दियों का मामला विचाराधीन है और २४ को मुक्त करना उचित नहीं समझा गया। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि प्रोबेशन बोर्ड की सिफारिश को कार्यान्वित करने में सरकार को क्या अड़चन है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

बोर्ड को सिफारिश करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। निर्णय लेने का अधिकार शासन को है। जिनके मामले को यह समझते हैं कि उनके छोड़ने से शांति के भंग होने का भय है उनको रोक लेते हैं।

श्री अध्यक्ष—

बोर्ड की बैठकें भी तो बराबर होती रहती हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां, श्रीमन्, होती रहती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

प्रोबेशन बोर्ड जिन केसेज को छोड़ने का निर्णय करता है आमतौर से उसके निर्णय के बाद भी तीन महीने लग जाते हैं बन्दी के छूटने में। मैं दो, एक केसेज जानता हूं कि निर्णय हुआ और सजा बीत गई, तब आर्डर हुआ छूटने का। तो क्या सरकार का ध्यान इस प्रोसीजर को सिम्प्लीफाई करने की तरफ गया है ताकि प्रोबेशन बोर्ड के निर्णय के बाद जल्दी बन्दी छोड़े जा सकें ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह सत्य है कि बोर्ड के निर्णय के बाद कुछ समय लगता है। अभी मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में एक बैठक बुलाई थी और परामर्श करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ६ महीने से अधिक समय बोर्ड के निर्णय के बाद न लगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये दरख्वास्तें बोर्ड के सामने सरकारी अधिकारियों द्वारा अन्तिम रिपोर्ट के पश्चात आती हैं अथवा यहां से जाने के बाद भी उनके ऊपर कुछ और पूछताछ की जाती है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, जिलाधीश और अधीक्षक, कारागार से सिफारिश होने के बाद जब दरख्वास्तें आती हैं तब बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखी जाती हैं।

श्री जगदीशप्रसाद—

जब ऊंचे अधिकारियों की रिपोर्ट पहले आ जाती है तो फिर बाद में इतना समय लगने का क्या कारण है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जब वहां से रिपोर्ट आ जाती है तो जितने केसेज होते हैं उनको आफिस छांटता है। उसके बाद आई० जी० के यहां से आने के बाद बोर्ड की मीटिंग में रखी जाती है। फिर मन्त्री जी के आदेश के लिये जाती है, मुख्य मन्त्री जी के यहां जाती है, गवर्नर के यहां जाती हैं। प्रोसीजर ऐसा है कि इतना समय लगता है। मजबूरी है।

श्री विजयसिंह—

अभी मन्त्री जी ने कहा कि बोर्ड के निर्णय के बाद ६ महीने से ज्यादा समय न लगेगा, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एक महीने से अधिक समय न लगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैंने अभी बताया कि जो अधिक समय लगता था उसको दूर करने के लिये अधिकारियों के साथ एक बैठक मन्त्री जी ने की और यह कहा था कि कोई ऐसा सुझाव आया जिससे जल्दी से जल्दी निर्णय हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कहा था कि यह तय हुआ है कि ६ महीने से अधिक समय न लगे। इस पर यह प्रश्न है कि ६ महीने नहीं बल्कि १ महीने में छोड़ दिये जायं। तो अब आपका क्या मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी छोड़े जायंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा तो हो गया।

श्री भूपसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५५१ बन्दियों को छोड़ने के आदेश हुये हैं वह कब हुये, उनमें से कितने छूट चुके हैं और बाकी कब तक छूट जायेंगे?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

तालिका माननीय सदस्य के पास पहुंचा दी गई है। उसमें सब है कि कितने मामले बोर्ड के सामने आये, कितनों की सिफारिश की गयी और सरकार ने कितनों को स्वीकृति प्रदान की आदि।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दफा ३०२ के अन्तर्गत आजीवन सजा प्राप्त कितने कैदी हैं जिनको बोर्ड ने ७ साल से ऊपर सजा काटने पर भी रेकमेंड नहीं किया और जिनको रिकमेंड किया वे ७ साल के ऊपर हो जाने के बाद भी नहीं छोड़े गये ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री दीपनारायणसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजीवन सजा प्राप्त ३०२ के कैदियों में से कम से कम कितनी सजा काटे हुये कैदी छोड़े गये ?

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल तो ठीक है लेकिन इसके लिये अलग सूचना चाहिये।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार ऐसा करने की कृपा करेगी कि जेल के अन्दर कैदियों के पास जो उनका कार्ड होता है उस पर सेक्शन्स छपवा दिये जायं कि फलां-फलां सेक्शन्स के कैदी प्रोबेशन पर छोड़े जा सकते हैं और फलां के नहीं ताकि कैदियों को यह मालूम हो जाय कि और जिनको प्रोबेशन पर नहीं छोड़ा जा सकता उनसे किसी तरह की घूस न ली जा सके ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, बन्दियों को मालूम रहता है कि वे छोड़े जा सकते हैं या नहीं।

मड़ियाहूं टाउन एरिया में मतदान

*१४—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला अन्तर्गत मड़ियाहूं टाउन एरिया में प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या अलग-अलग कितनी है ?

स्वायत शासन मन्त्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

मड़ियाहूं टाउन एरिया के प्रत्येक वार्ड में मतदाताओं की संख्या निम्नलिखित है :—

(१) कजियाना	..	..	.. ११५१
(२) पीर जकरिया	..	..	.. १११०
(३) खैरुद्दीन गंज	..	..	.. १६३२

*१५—श्री जगन्नाथ राव (अनुपस्थित) तथा श्री केशरीप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त टाउन एरिया के प्रत्येक वार्ड में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित हुई है ? उसमें किस वार्ड में सुरक्षित सीट है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वर्तमान परिसीमन आज्ञा के अनुसार टाउन एरिया, मड़ियाहूं के प्रत्येक वार्ड से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या ३ है तथा वार्ड नं० २ पीर जकरिया में १ सीट सुरक्षित है।

तीसरे सामान्य निर्वाचनों के सिलसिले में परिसीमन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है परन्तु परिसीमन आज्ञा का अन्तिम प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। प्रस्तावित आज्ञा में वार्ड नं० १ कजियाना को ४ स्थान तथा वार्ड नं० २ पीर जकरिया, वार्ड नं० ३ खैरुद्दीनगंज को ३ स्थान दिये गये हैं। सुरक्षित स्थान वार्ड नं० २ में प्रस्तावित है।

नोट—तारांकित प्रश्न १४–१५—कुंवर श्रीपालसिंह ने पूछे।

गाजियाबाद मास्टर प्लान

*१६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बतायेगी कि मास्टर प्लान के लिये गाजियाबाद में सरकार कितनी जमीन और कितने गांवों को ले रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

मास्टर प्लान के लिये गाजियाबाद में न तो कोई भूमि या गांव अर्जित किया जा रहा है और न ही कोई उसका प्रश्न उठता है लेकिन गाजियाबाद के विकास के लिये नगरपालिका की सीमा के बाहर २२ गांव में से लगभग ६,२५१ एकड़ भूमि तथा नगरपालिका की सीमा के अन्दर ५ गांवों में से लगभग १,०४३ एकड़ भूमि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अर्जित किये जाने का प्रस्ताव है। किसी भी गांव की समस्त भूमि अर्जित नहीं की जा रही है।

*१७—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि इन किसानों को किस रेट पर मुआवजा दिया जा रहा है और वहां की जमीन के बाजारू रेट क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन किसानों की भूमि अर्जित की जा रही है या अर्जित की जायेगी उनको २३ जुलाई, १९६० के बाजार दर के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा ।

इस समय बाजार दर बताना संभव नहीं है। जमीन का मूल्य उसकी स्थिति (situation) तथा अन्य बातों पर निर्भर करता है। यह उसी समय मालूम हो सकेगा जब स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफीसर, गाजियाबाद के समक्ष भूमिपति (land owners) अपना सबूत पेश करेंगे और स्पेशल लैंड एक्वीजीशन आफिसर एवार्ड (award) देंगे।

*१८—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या यह सही है कि यहां भी जमीन के १७ न० पै० प्रति गज दिये जा रहे हैं जब कि वहां का बाजारू रेट ५०–६० रुपया प्रति गज है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो भूमि इस समय अर्जित की जा रही है उसमें से केवल ग्राम घरगल में लगभग ४ एकड़ ऐसी भूमि है जिसका मुआवजा लगभग १७ न० पै० प्रति वर्ग गज हो सकता है।

इस समय जिन गांवों में से भूमि अर्जित की जा रही है उन गांवों में ऐसी कोई जमीन नहीं है जो ५०–६० रु० प्रति वर्ग गज में बेची गई हो ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने बताया कि २३ जुलाई, १९६० के बाजार रेट पर मुआवजा दिया जायगा और आगे कहा कि सिच्वेशन पर निर्धारित करता है तो जो इस समय सिच्वेशन है उसके अनुसार रेट क्यों नहीं अंकवाया गया और १९६० के रेट के अनुसार मुआवजा क्यों दिया जायगा और जमीन आगे ली जायगी ? उस समय के रेट के अनुसार मुआवजा क्यों नहीं दिया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

श्रीमन्, कानून यह है कि जिस समय नोटीफिकेशन होता है उस समय का बाजार रेट लागू होता है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि अभी मुआवजे का रेट बताना संभव नहीं है और यह कहा है कि १९६० के बाजार भाव से दिया जायगा तो इस समय बताने में क्या झंझट है ? जो भाव है उसे बता दें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, बहुत स्पष्ट है कि बाजार भाव १९६० का ही लगेगा । लेकिन उस समय तक कितनी जमीन किस भाव पर बिकी इसका डैटा इकट्ठा करेंगे और जो इंटरेस्टेड हैं वे नजीर लेकर पेश करेंगे । लैंड एक्वीजीशन आफिसर उसको देखेगा और उसके मुताबिक वह निर्णय करेगा ।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि गाजियाबाद में ५१६ या ५१७ एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल ए स्टेट के लिये एक्वायर हुई हैं उसके मुआवजे के खिलाफ किसानों ने सत्याग्रह कर रखा है और १०० १२५ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और फिर रिहा हो गये हैं और वे कल फिर प्रधान मंत्री जी के पास जुलूस निकालकर जाने वाले हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मुआवजे की दर बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, जो दर बतलाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो जमीन सड़क के नजदीक है उसकी दर ऊंची होगी और जो सड़क से दूर है उसकी दर कम होगी । यह उनकी डिमांड को मीट करने के लिये ही किया गया है । अगर गवर्नमेंट को ऐसा मालूम हुआ कि और उदारता बरती जा सकती है तो उस पर विचार हो सकता है । अभी हम समझते हैं कि यह करीब-करीब ठीक है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो नियमावली बनी है उसमें यह प्राविधान है कि जो सरकारी कामों के लिये जमीन ली जाय उसका बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाय, लेकिन नियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि किस तरह से बाजार भाव निश्चित किया जाय और यही दिक्कत है कि बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिया जाता है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि जमीन का मुआवजा बाजार भाव पर दिया जायगा, तो कौन से नियम हैं जिनके अनुसार निश्चय करेंगे कि बाजार भाव यह है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, नियम तो बहुत प्रत्यक्ष हैं । कोई जमीन हायर प्राइस पर बिके तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, रेकार्डस् रहते हैं, वह पेश किये जा सकते हैं । अगर रेकार्ड्स नहीं हैं तो बहुत मुश्किल बात है । अगर कोई रेकार्ड नहीं है तो जिस तरह से प्रश्नकर्ता ने कहा कि ५०-६० रुपये गज की जमीन है । दूसरा यह कह सकता है कि जमीनें मुफ्त में दी जा रही हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिल जाय कि वहां के रजिस्ट्रेशन विभाग से डेटा मंगाने की कृपा करेंगे ताकि किसानों को मुकदमे में दोबारा न जाना पड़े ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, रजिस्ट्रेशन विभाग से हम भी कोशिश कर रहे हैं जानने के लिये, इसके अलावा अगर लैंड एक्वीजीशन आफिसर गलत मुआवजा दे दे तो रिवीजन हो सकता है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लिखित उत्तर उन्होंने यह दिया है कि लोकल सिचुएशन के आधार पर जमीन का मुआवजा तय किया जायगा और उधर उत्तर में कह रहे हैं कि लैंड रेकार्ड्स देख कर मुआवजा तय किया जायगा, तो कौन-सा आधार मान रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

दोनों हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा फायदा होगा उसको मान लिया जायगा ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेगी कि जिन किसानों की भूमि अध्याप्त कर ली जाती है और वह बेरोजगार हो जाते हैं उनको कोई रोजगार दे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

इसका एक जवाब तो यह है कि उन्हीं के लिये ही नहीं सरकार सबके लिये कोशिश करती है लेकिन बड़ा कठिन काम है। इतना आसान नहीं है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ट्रस्ट द्वारा या सरकार द्वारा ली जा रही है, उसके लिये किसानों को जो पेमेंट करना पड़ेगा और प्लाट बेचने पर सरकार को या ट्रस्ट को जो बीच का प्राफिट होगा वह किसानों में बांट देंगे और खुद प्राफिट न लेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जहां तक सरकार के प्राफिट करने का ताल्लुक है हमने करीब-करीब निश्चय कर लिया है कि सरकार का कोई प्राफिट न हो। जहां तक मुमकिन हो, अगर किसी जमीन को डेवलप करने से लोगों को फायदा हो, तो उन्हीं को पहुंचाया जाय। सरकार प्राफिट करके अपनी जनरल रेवेन्युज में कम से कम नहीं लाना चाहती है। अगर प्राफिट होगा तो वहीं डाइवर्ट कर देंगे।

बाराबंकी जिले में फैब्रीकेटर्स

*१९--श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने लोहे का सामान बनाने वाले फैब्रीकेटर हैं जिन्हें सरकार द्वारा लोहे का कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

१६।

*२०--श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि बाराबंकी के कुछ फैब्रीकेटरों का लोहा गत दिसम्बर, १९६२ या जनवरी, १९६३ में एक ट्रक द्वारा बाराबंकी से बाहर जाता हुआ पकड़ा गया ? यदि हां, तो वह लोहा किन-किन फैब्रीकेटरों का था और उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं। प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२१--श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त घटना में जो लोहा पकड़ा गया उसका कुल वजन कितना था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो उन्होंने १६ उत्तर दिया है, क्या यह ऐसे फैब्रीकेटर्स हैं जिनको सरकार की ओर से लोहा नहीं दिया जाता है या इनमें से कुछ ऐसे हैं जो लोहे का उपयोग न करके बाजार में बेच लेते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

रजिस्टर्ड फैब्रीकेटर्स तो हर प्रकार से मान्य हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या सरकार को जानकारी है कि इन १६ फैब्रीकेटर्स में से कुछ के खिलाफ ऐसी कार्यवाही चल रही है कि कुछ लोहा बाहर बेच दिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इनके विषय में कोई शिकायत हमारे पास है नहीं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन फैब्रीकेटरों को लोहा नहीं दिया जाता है और वह सचमुच लोहे के फैब्रीकेटरों का काम करते हैं, क्या उनको भविष्य में लोहा देने का परमिट देंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जब लोहे की पोजीशन अच्छी हो जायगी तो जितनों को दे सकते हैं, देने की कोशिश करेंगे । मगर एक बात जो आपने पूछी है, मैं नहीं जानता हूं कि फैब्रीकेटर्स वह हैं या नहीं, कोई दुर्गाप्रसाद एक हैं वह अगस्त, सन् १९६२ में पकड़े गए थे एक ट्रक लोड लोहे की शीट्स का जिले से बाहर ले जाते हुए, उनके खिलाफ चार्ज शीट लग गई है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल--

यह जो आपने उत्तर दिया है कि एक ट्रक में भरकर शीट्स ले जा रहे थे तो यह शीट्स किन फैब्रीकेटरों के थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

मैंने कहा कि मालिक का तो पता ही नहीं चल रहा है, वह तो ड्राइवर और क्लीनर पकड़े गये हैं । फैब्रीकेटर कौन हैं, यह मालूम ही नहीं होता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि फैब्रीकेटर्स का जितना सामान बनता है उसे डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन के अलावा और किसी दूसरी जगह वह न बेच सकें ? इससे यह फायदा होगा कि लोहा ब्लैक में नहीं जा सकेगा और सरकार को हर समय जानकारी रहेगी कि कितना सामान बना । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह संभव नहीं मालूम होता है । हम लोहा कम देते हैं और सामान वह और लाकर के बनाते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जायगा छांटना ।

कमालगंज में कोआपरेटिव बैंक से ऋण लेने वालों को नोटिस

*२२--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित) तथा श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक से लो-इनकम- हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण लेने वाले कितने व्यक्तियों को रुपया रिफंड करने के लिये नोटिस दिये गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

कमालगंज के सात लोगों को उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने नोटिस दिये थे ।

*२३--श्री महरामसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री सूबेदारसिंह--

क्या यह सही है कि इन लोगों ने ऋण नियमों के विरुद्ध लिया था और उसका दुरुपयोग भी कर रहे थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति अथवा ऋण के वितरण में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया । हां, जांच के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि इन सात लोगों में से दो व्यक्तियों ने अपने मकान टाउन एरिया की सीमा के बाहर इस प्रकार बनाने आरम्भ किये हैं कि इनका प्रयोग पाठशाला के रूप में भी किया जा सकता है ।

*२४--श्री महरामसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या यह रुपया रिफंड (refund) हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जिन दो लोगों ने ऋण का इस प्रकार प्रयोग किया है उन्होंने ऋण वापस करना स्वीकार कर लिया है किन्तु अभी तक रुपया वापस नहीं मिला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, फर्रुखाबाद को बैंक द्वारा इस विषय में फिर लिखा जा रहा है ।

श्री सूबेदारसिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि सात व्यक्तियों को ऋण वापस करने की नोटिस दी गई, तो क्या नोटिस देने से पूर्व इन मामलों की जांच करा ली गई थी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

श्रीमन्, यह तो शिकायत की गई । उसकी वहां से जांच करवा कर मंगवाई गई । जांच करने से मालूम होता है कि वास्तव में जो शिकायत की गई है उसमें बहुत ज्यादा सार नहीं है । लोगों ने मकान बनवाये हैं । सिर्फ एक जगह थोड़ी नाजायज बात मालूम होती है कि टाउन एरिया की सीमा के बाहर बना, यह भी जहां तक हाउसिंग की स्केयरसिटी की बात है उसको देखते हुए जरा सा हमारे कायदे के बाहर जरूर हो जाता है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर बहुत ज्यादा हमको ऐक्शन लेने की जरूरत हो । कोआपरेटिव सोसाइटी के नियमों में इसके लिये है और वह ऐक्शन लेंगे ।

श्री सूबेदारसिंह--

मैं जानना चाहता था नोटिस देने के पूर्व जांच कराई गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह किस नोटिस का आप उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सूबेदारसिंह--

जो रिफंड कराने के लिये नोटिस दी गई उसका ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

बैंक द्वारा जांच-पड़ताल के पश्चात् ज्ञात हुआ कि इन लोगों को ऋण स्वीकृत करने तथा वितरित करने में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है यानी इसके बाद जांच कराये और उसके बाद उनको नोटिस दिया वापस करने का ।

श्री भीखालाल--

इस हाउसिंग स्कीम के मातहत जो लो इनकम ग्रुप के लोगों को कर्जा सरकार देती थी मकान बनाने के लिये वह इस इमरजेंसी के दौर में बन्द कर दिया गया था और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने एप्लाइज के लिये भी बन्द कर दिया गया था, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अब निर्णय किया है कि पहली अप्रैल से पुनः वह चालू किया जायगा तो क्या प्रदेशीय सरकार पुनः इस पर विचार करेगी कि वह ऋण देना फिर से चालू करे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

यह सारी स्कीम केन्द्रीयसरकार की थी । अगर उन्होंने इसका निर्णय कर लिया है तो हमारे यहां इसका अपने आप निर्णय हो जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को सरकार की तरफ से ऋण दिया जाता है जमीन को एक्वायर करने के लिये । जिन २ व्यक्तियों को जमीन एक्वायर करके दी गई उन्होंने एरिया से बाहर बिल्डिंग बनाई । तो क्या उन २ व्यक्तियों की जमीन को दूसरे व्यक्तियों को दिया जायगा जिससे वह उसको रिसेल न कर सकें और फायदा न उठा सकें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

यह जो पैसा दिया गया था यह मकान बनाने के लिये दिया गया था । जमीन के लिये नहीं दिया गया था ।

श्री सूबेदारसिंह---

जब २ व्यक्तियों ने नियम विरुद्ध इस ऋण का उपयोग किया था तो ७ व्यक्तियों को नोटिस कैसे दी गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

मेरा खयाल है कि जैसे ही शिकायत आई तो इन सबको उन्होंने नोटिस दी कि तुम एक्सप्लेन करो वरना रुपया वापस करो ।

श्री सूबेदारसिंह---

मेरा मतलब यह है कि जब कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद नोटिस दी जाती है । असल बात यह है कि ७ व्यक्तियों ने गलत तरीके से मकान बनाये और इन सातों को नोटिस दी गई लेकिन ५ ने अपनी सिफारिश कर ली और बाकी दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका मतलब यह है कि ७ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न करके २ के खिलाफ कार्यवाही क्यों हो रही है ?

श्री सूबेदारसिंह---

जी हां ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

शिकायत ७ व्यक्तियों की थी और सातों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया । अब यह रिपोर्ट मिली है कि ५ ने गलती नहीं की है, २ ने की है । यह शिकायत आई, तो उस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री सूबेदारसिंह---

दो मकान टाउन एरिया के बाहर बनाये गये हैं और कोआपरेटिव बैंक ने उन मकानों के लिये भी ऋण दिया है । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोआपरेटिव बैंक ने नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया । जब कोआपरेटिव बैंक ने टाउन एरिया के बाहर मकान बनाने के लिये ऋण दिया है तो वह किस आधार पर कहते हैं कि कोआपरेटिव बैंक ने नियम का उल्लंघन नहीं किया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

आदरणीय सदस्य ने समझने में भूल की । मैंने तो यह कहा कि नियम जो है उसका उल्लंघन हुआ है टाउन एरिया के बाहर मकान बनाने में, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि यह नियम का अगर उल्लंघन हुआ। तो वह ऐसा है जिसको कंडोन किया जा सकता है और किया जाना चाहिये क्योंकि मकानों की दिक्कत है और अगर वे बन गये, तो कोई दोष नहीं है ।

नोट :---तारांकित प्रश्न २४ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

स्टेट ट्यूबवेल, कन्नौज में पाइप लगाने पर विचार

१--श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री प्रथम सत्र १९६२ के दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित मेरे प्रश्न संख्या १९ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि चीफ इंजीनियर को स्टेट ट्यूबवैल से सार्वजनिक नल लगाने की शासन से अनुमति मिल गयी है ? यदि हां, तो वह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--

जी हां ।

कार्य पूरा हो चुका है ।

२-३--श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)--

[८ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

४--श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)--

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया ।]

महोबा व चरखारी में बाटों का प्रयोग

५--श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला हमीरपुर के महोबा व चरखारी के बाजारों में बांटों का प्रयोग दुकानदार अपने स्वार्थों के अनुसार नये-पुराने बांट प्रयोग में लाते हैं जिससे किसान मजदूर को ठगा जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसको सूचना मानकर क्या सरकार रोकथाम करेगी कि बाजार के पुराने बांट हटा दिये जावें और नये बांटों का ही प्रयोग किया जावे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

महोबा तथा चरखारी बाजारों के अधिकांश व्यापारी नये मीट्रिक प्रणाली के बांटों का ही प्रयोग कर रहे हैं । शेष व्यापारियों को भी नये बांटों का प्रयोग करने के लिये उनके पुराने बांटों जो जब्त कर बाध्य किया जा रहा है ।

६--श्री मदनपालसिंह--

क्या खाद्य मंत्री को कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि महोबा, चरखारी, जिला हमीरपुर के बाजारों में उचित मूल्य पर अनाज की खरीद सरकार द्वारा कराई जावे क्योंकि इन बाजारों में अधिक मुनाफाखोरी के कारण व्यापारी लोग सस्ते दामों पर खरीद कर रहे हैं, या फिर खरीद ही नहीं करते ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी नहीं ।

बांदा जिले में सीमेंट का वितरण

७--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बांदा जिले के सप्लाई विभाग द्वारा जिला स्तर पर ब्लाकों तथा टाउन एरियाओं को सीमेंट का कोटा मुकर्रर है और वह गांव सभाओं को उचित मांग पर सही तौर पर वितरण किया जाता है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

बांदा जिले में सप्लाई विभाग द्वारा ब्लाकों को, जितना सीमेंट जिले में आता है, उसका १/४ दे दिया जाता है । टाउन एरियाओं को सीमेंट का कोटा जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा मुकर्रर नहीं है । गांव सभाओं में सीमेंट का वितरण नियोजन विभाग के अधिकारी (बी० डी० ओ०) करते हैं । इस विभाग के पास सही वितरण न करने की कोई शिकायत नहीं है ।

८--श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ब्लाक कमासिन को कितनी सीमेंट दी गई, वह किस-किस गांव सभा को तथा किस-किस काम के लिये दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस समय से संबंधित सूचना चाहते हैं । १ जनवरी, १९६२ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक कमासिन ब्लाक को कुल ३१० बोरी सीमेंट दी गई । शेष सूचना जिसका संबंध नियोजन विभाग से है एकत्रित की जा रही है ।

इलाहाबाद में स्टील ट्रंक के कारखानों को लोहा

९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद शहर में कितने कारखाने बाक्स (स्टील ट्रंक) बनाने के चल रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

३६ ।

१०--श्री कल्याण चन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो कारखाने स्टील ट्रंक के चल रहे हैं उन कारखानों को चलाने हेतु उनका classification किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कारखाने किस-किस क्लास में रखे गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां । इन कारखानों के classification की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०५-२०६ पर)

११--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद में स्टील ट्रंक के कारखानों को कितना-कितना लोहा १९६१-६२ में दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २०५-२०६ पर)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य द्वारा २२ मार्च, १९६३ की घटना के संबंध में समाचार-पत्रों में छपे समाचार में शोधन कराने की प्रार्थना

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं । २२ मार्च को जब आप कुछ विशेष परिस्थिति के कारण आधा घंटे के लिये सदन स्थगित कर के चले गये थे उसके बाद माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बैजनाथ सिंह वैद्य]

काशीनाथ मिश्र जाकर आपकी कुर्सी पर बैठ गये । यह बात मुझे कुछ अनुचित लगी और इस लिये मैंने वहां जाकर उनसे प्रार्थना की कि आप समझदार होकर ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, आप स्वयं अधिष्ठाता रह चुके हैं और अनेक बार इस सदन का कार्य संचालन कर चुके हैं । इतने में माननीया राजेन्द्रकुमारी जी को कुछ भ्रम हुआ और वे वहां गयीं और मुझ से कहा कि चले चलिये, उनके साथी उत्तेजित हो रहे हैं । उस समय राजेन्द्रकुमारी जी ने भी देखा था कि मेरी उनकी कोई सख्त बात नहीं हो रही थी और जब मैंने देखा कि उनके साथी उत्तेजित हो रहे हैं तो मैं वहां से वापस आया । कुछ लोगों ने इस घटना के लिये कहा कि वहां क्या आप लड़ाई करने गये थे, तो मैंने कहा कि यह बात गलत है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा था कि यह बात अनुचित है । माननीय नेकराम जी ने लंच के बाद उस प्रश्न पर भाषण दिया और फिर वाक आउट कर के चले गये और इससे भ्रम और बढ़ गया । इसके बाद भी मैंने प्रेस वाले भाइयों से कहा कि यह बात गलत है । मैं किसी तरीके से भी कोई और बात करने नहीं गया था, मुझे गुस्सा भी नहीं था । मैं वहां उनसे प्रार्थना करने गया था । थोड़ी देर बाद माननीय नेकराम जी मालमंत्री जी के पास खड़े थे, तो मैंने उनसे कहा कि यह आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दें, मुझ से थोड़ी सी गलती हो गयी, भ्रमवश मैंने ऐसा कह दिया । फिर मैंने प्रेस वाले भाइयों से कहा कि आपको यह खयाल निकाल देना चाहिये । बावजूद उन बातों के प्रेस में कुछ इस तरह की खबरें छप गयीं कि मुझे गुस्सा था और मैं गुस्से में उनसे बात कहने गया था । तो मैं यह प्रार्थना करुंगा कि मेरा यह स्पष्टीकरण है और इसे स्वीकार कर लिया जाय और उस बात का कंट्राडिक्शन हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है । प्रेस वाले यह नोट कर लें और माननीय सदस्य ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह छाप दें, ताकि वह भ्रम दूर हो जाय जो कि प्रेस रिपोर्ट देखने से होता है ।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण नियमावली, १९६३*

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगरपालिका (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ८६-सी० नि० १/११-ग-१-सी-६३, दिनांक ७ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर निर्धारण नियमावली, १९६३ को उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखती हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के १९६३-६४ का वार्षिक वित्तीय बिवरण पत्र†

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वर्ष १९६३-६४ के वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र को, इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गया प्रसाद द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री गयाप्रसाद जी का जो प्रश्न है उस के लिये मिश्र जी को मैंने बुलाया है । मालूम होता है कि कुछ भ्रम हुआ है । तो आप भी आ जाइयेगा तो बात हो जायगी ।

---

*छापी नहीं गयी ।

†छापा नहीं गया ।

श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—
मुझे भ्रम नहीं हुआ है और उनको भी नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—
तो ठीक है । बात कर लीजियेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—
एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव माननीय टम्बेश्वरी प्रसाद जी का आया है । यह विषय गंभीर नहीं है और इसलिये मैंने उसे अस्वीकर कर दिया है । शेष जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न आये हैं उनके संबंध में मैंने यह लिख दिया है कि यह नियम ५२ में नहीं आते । अल्पसूचित तारांकित प्रश्नोंद्वारा उनका स्पष्टीकरण हो सकता है । जल्दी प्रश्न दे दें तो हो जायेंगे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—
विषय महत्वपूर्ण जरूर है । इसके लिये कोई रास्ता निकालिये ।

श्री अध्यक्ष—
कोई विषय महत्व का नहीं होता ।

आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—
अब सूचना मंत्री जी अगला प्रोग्राम बतला दें ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—
अध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार से होगा, २६ तथा २७ मार्च के सायंकाल ५ बजे तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान और २७ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, १९६३ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन । उस पर विचार एवं उस का पारण ।

(२) २८ तथा २९ मार्च, १९६३ को निम्नलिखित विधायी कार्य होंगे—

(क) उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ (जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है) पर विचार एवं उसका पारण । (ख) उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर विधेयक, १९६३ पर विचार एवं उसका पारण । (ग) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (क्षेत्र समितियों के सदस्यों को चुनने की) नियमावली, १९६३ में श्री रक्षपाल सिंह, सदस्य विधान सभा, द्वारा दिये गये संशोधन पर विचार ।

श्री अध्यक्ष—
यह जो माननीय रक्षपालसिंह जी का है, उसमें और भी संशोधन आये हैं, वह हम आपक पास भेज देंगे और वह उसी हिसाब से हो जायगा ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—
श्रीमन्, यह कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिश है या माननीय सूचना मंत्री जी की तरफ से रखी गई है ?

श्री अध्यक्ष—
यह तो प्रोग्राम है इस वीक का । कार्य मन्त्रणा समिति यह तय करेगी कि किसको कितना समय दिया जायगा । इस वक्त तो जो वीक का प्रोग्राम है, वह बताया गया है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, यह जो कार्यक्रम है, इसमें आप देखें कि यह नया ही हुआ है। आज तक जो कार्यक्रम है, उसकी घोषणा २-३ रोज के अन्दर ही कार्य मन्त्रणा समिति से बातचीत करने के बाद ही होती थी। वह उसके बाद ही यहां पर घोषित होना चाहिये था ।

श्री अध्यक्ष--

इसमें नियम यह है कि अपने सुझाव वह हफ्ते के कार्यक्रम के बारे में दे सकते हैं कि वह क्या काम करना चाहते हैं। अब उसके बाद कार्य मन्त्रणा समिति बैठकर यह तय करेगी। इससे अधिक समय भी लिया जा सकता है । यह तो गवर्नमेन्ट की तरफ से एक सुझाव है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनका विचार इस सदन को कब तक चलाने का है ?

श्री बनारसीदास--

यह तो गालिबन ज्यादातर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पर डिपेन्ड करता है, परन्तु जहां तक संभव है, यह अधिवेशन ३ अप्रैल तक चलेगा ।

श्री नेकराम शर्मा द्वारा २२ मार्च, १९६३ की घटना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

श्रीमन्, अभी जब मैं सदन में नहीं था, तो माननीय बैजनाथ सिंह ने मेरे संबंध में कोई बात कही थी ।

श्री अध्यक्ष--

आप के संबंध में नहीं कही है । उन्होंने तो यह कहा है कि मैं प्रार्थना करने गया था कि माननीय काशीनाथ मिश्र कुर्सी पर न बैठें ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, उन्होंने शायद कहा है कि मैंने माफी मांगी ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह कहा स्पष्टीकरण देते हुये कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा कि मुझसे गलती हुई और मुझे अफसोस है ।

(व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं भी उस संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । जब माननीय काशीनाथ जी वहां पर बैठे हुये थे, तो माननीय बैजनाथ सिंह उनकी तरफ लपके और झपट कर गये थे । इसी बीच वहां माननीया राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पहुंच गईं । दूसरी तरफ से श्री किसुना राय आदि सदस्य भी वहां पर पहुंचे । अब आप..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक बात मैं निवेदन कर दूं । उसके बाद आप कह लीजियेगा । हमारी और आपकी शोभा इसी में है कि जब एक माननीय सदस्य अपना एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मेरे हृदय में यह भावना थी, तो उसको हमें चैलेन्ज नहीं करना चाहिये । उन्होंने कह दिया और उसको हम स्वीकार कर लें । हमारी और आपकी शोभा इसी में है । आपके ऊपर कोई लांछन नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, मैंने यह सुना था कि उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांगी थी । मेरे ऊपर लांछन लगाया गया । अब.....।

श्री अध्यक्ष—

उस पर खेद प्रकट कर दिया गया था और कोई बात नहीं है । और कोई विशेष बात उन्होंने नहीं कही ।

श्री नेकराम शर्मा—

मेरी जब उनसे माननीय उप नेता के सामने बातचीत हुई तो. . . . . .

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मैंने माफी की बात नहीं कही, बल्कि यह कहा है कि उन्होंने खेद प्रकट किया ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, जब माननीय उप नेता के सामने बातचीत हुई तो मुझे यह बताया गया कि श्री बैजनाथ जी की मन्शा उनको मारने की नहीं थी और उन्होंने यह कहा कि मैं तो उनसे प्रार्थना करने गया था । श्रीमन्, काशीनाथ जी ने मुझसे कल कहा कि वह मुझे मारने आये थे और मारना चाहते थे और अगर श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी न आतीं तो वे मुझे पीटते । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना कल यह भी थी कि माननीय बनारसी दास जी ने आदेश दिया जिसके कारण ऐसी घटना घट गयी थी । तो उन्होंने जब कहा कि उनकी यह मंशा नहीं थी तब मैंने उनसे कहा कि हो सकता है कि मुझसे गलती हुई हो, श्री काशीनाथ तथा श्री बैजनाथ जी जानें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी का वर्शन छपा है और अब उनका वर्शन आ गया है । उससे ज्यादा अब आवश्यक नहीं है ।

अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिये सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक बात और कह दूं माननीय सूचना मंत्री जी, नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय श्रीपालसिंह जी की चर्चा के लिये सूचना आयी है । उसका विषय हिन्दी के सम्बन्ध में है । (कुंवर श्रीपालसिंह से) आपके पास प्रतिलिपि उसकी होगी ? है या नहीं ?

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

इस समय तो मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है । मैं किसी दिन इसी सप्ताह में इसे रख दूंगा ५ से ७ बज तक के लिये ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

आप से जो आज्ञा मिली है उसको मैंने देखा । वह मेरे पास है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४३ में संशोधन करके अनिश्चित काल तक के लिये हिन्दी को सहभाषा बनाने के सम्बन्ध में हमारा प्रस्ताव था, लेकिन उसमें कुछ दूसरा है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें एक गलती हो गयी है । कांस्टीट्यूशन का संशोधन नहीं है । उसमें जहां तक मुझे याद है ला यह है Parliament shall by law यानी वह स्वयं कानून बनाकर, किसी बिल के द्वारा, इसको कर सकते हैं लेकिन जैसा आप कहते हैं, अगर कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करके कर रहे हैं तो फिर आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि अंततोगत्वा जो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेन्ट होते हैं वह यहां आते ही हैं तब आप उसी समय उस पर बहस कर सकते हैं । जब मैंने देखा कि उसमें by law शब्द है तो मैंने इसको एलाउ कर दिया है । अब सूचना मंत्री जी, इसको किस दिन रखा जाय ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

बेहतर यह होगा कि २७ तारीख को किसी समय रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, २७ तारीख को हमारा अन्य कार्य समाप्त होने के बाद २ घंटे इस पर बहस होगी ।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३३—विद्युत योजनायें (अधिष्ठान को छोड़कर), अनुदान संख्या ३४—विद्युत योजनायें—अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ५०—विद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, तीनों अनुदानों को एक साथ रख दूं ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से, प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३३—विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान को छोड़कर) के अन्तर्गत २,५६,६२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३४—विद्युत् योजनायें—अधिष्ठान के अन्तर्गत ४३,५६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ५०—विद्युत् योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,९२,३८,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

श्रीमन्, आज के युग में बिजली की कितनी आवश्यकता है इस बात का सदन में बारबार जिक्र आता रहा है । बिजली आज आराम की चीज ही नहीं है इस प्रदेश में जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिये बिजली एक अत्यन्त आवश्यक चीज भी है इसलिये जितनी बिजली बढ़ती जायगी उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज भी बढ़ती जायंगी और इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्वास्थ्य के लिये भी अस्पतालों में और गांवों में रोशनी के लिये बिजली नितान्त आवश्यक है । हमारा यह दुर्भाग्य रहा है कि पिछले प्लान में हम बहुत अधिक बिजली नहीं पैदा कर सके हैं, लेकिन इसके बाद जब हमारी तीसरी योजना शुरू हुई, हमने इस बात का प्रयत्न किया कि जो हमारी कमी है वह दूर हो और इस प्रदेश में बिजली पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल सके । मुझे आज यह कहते हुये खुशी है कि वह कमी काफी हद तक दूर हुई है और हम आगे बढ़े हैं । पिछले साल काफी लोगों को हमने बिजली दी । ट्यूबवेल्स के लिये भी, जो पहले हम नहीं दिया करते थे, हमने बिजली देना प्रारम्भ कर दिया है । इनको बिजली पहले हम रात को दिया करते थे, लेकिन अब हमने ऐसे आदेश दिये हैं कि सन् १९६४ तक उसका इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है । उसके लिये पहले हमारे यहां यह नियम थे कि ४० एकड़ तक के लिये हम वह देते थे, फिर हमने उसको २० एकड़ किया, अब उसको और घटा कर १० कर दिया है । इसके अलावा जो लोग इंडस्ट्री के लिये बिजली चाहते हैं उनको हमने देने का निश्चय किया है और हमने बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स का आवाहन किया है कि वे यदि हमारे यहां आकर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो हम उनको जितनी बिजली की जरूरत होगी, वह देंगे । हमारा यह भी प्रयास है कि हम अपनी बिजली को गांवों तक पहुंचायें क्योंकि वहां पर बिजली पहुंचने से वहां पर उद्योग ही नहीं पनपेंगे, बल्कि उससे वहां

का रहन सहन भी ऊंचा होगा । इसलिये हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बिजली गांव तक पहुंचायें ।

पिछले चुनाव के बाद बहुत से नये माननीय सदस्य यहां चुन कर आये हैं । पिछली बार हम कुछ ज्यादा नहीं बता सके थे, इस बार हम उनकी जानकारी के लिये कुछ और चीजें भी बतलाना चाहते हैं । मैं उनकी जानकारी के लिये बतला दूं कि बिजली का विभाग ४ तरह से काम करता है । एक तो हमारा इलैक्ट्रिक इन्सपेक्टोरेट है । वह यह देखता है कि जो बिजली कम्पनियां हैं वे किस तरह से बिजली बांटती हैं और कितना प्राफिट लेती हैं । कुछ हमारे यहां प्राइवेट कम्पनियां हैं । यह जो बिजली हमारे यहां वितरण करती हैं, यह तीन तरह की हैं । एक तो ऐसी हैं जो अपने यहां ही बिजली बनाती हैं, वे ७ हैं । कुछ ऐसी हैं जो खुद भी बिजली बनाती हैं और सरकार से भी लेती हैं, ऐसी ११ हैं, और २५ ऐसी हैं जो बिजली हमसे लेकरके उसका वितरण करती हैं ।

इसके अलावा पहले हमारी यह नीति थी कि यह कम्पनियां अपना काम करती चली जायं । लेकिन अब हमने इस नीति को बदल दिया है और यह तय किया है कि जब जब इन कम्पनियों का समय समाप्त हो, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको अपने पास ले ले । पिछले साल हमने ५ ऐसी कम्पनियां खरीदी थीं, इस साल भी ७ लेने का विचार है जो इस प्रकार हैं—(१) लक्ष्मी शुगर ऐण्ड आयल मिल, हरदोई, (२) ईस्टर्न यू० पी० इलैक्ट्रिक कम्पनी, गाजीपुर, (३) बलराम राज इलैक्टिक कम्पनी, बलरामपुर, (४) अपर जमुना वैली कम्पनी, मेरठ, (५) बाराबंकी इलैक्ट्रिक कम्पनी, (६) सेठ रामगोपाल ऐण्ड पार्टनर्स, एटा, (७) औरइया वाटर ऐण्ड इलैक्ट्रिक कम्पनी । इनको लेने का इस साल विचार है ।

इसके अलावा हमारे यहां एक राज्य विद्युत परिषद् है जो अप्रैल, १९५९ में स्थापित की गयी थी । आज इसकी पूंजीगत लागत ८७ करोड़, ९२ लाख, ६ हजार ६०० है । पहले बिजली विभाग काफी नुकसान पर चल रहा था, इस इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बनने के बाद इनसे यह कहा गया कि आप ऐसीव्यवस्था करें कि ५ वर्ष तक जितना नुकसान होगा सरकार आपको देगी, और उसके बाद वह अपना काम अपने आप चलायें । जो विवरण पत्र मैंने रखा है उसको देखने से पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐसे सुन्दर तरीके से चलाया जा रहा है कि करीब करीब एक लाख और कुछ रुपयों का उसमें फायदा है । ८७ करोड़ रुपया लगाकर हमारी पालिसी यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने काम को इस तरह से चलाये कि यह काम नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर आसानी से चल सके । इसी पालिसी के अनुसार राज्य विद्युत् परिषद् इस काम को चला रही है ।

हमारी चौथी यूनिट रिहन्द है । रिहन्द यूनिट में अभी तक ३७, १५ लाख रुपया खर्च हो चुका है । इसमें अभी तक १२ लाख रुपये का नुकसान है । लेकिन हमें आशा है कि वह भी शीघ्र ठीक स्थिति पर आ जायेंगा । जो यह मैंने नुकसान की बात कही है इसमें डिप्रीसियेशन और जो रुपया लगा है उस पर सूद की रकम आदि को भी निकाल दिया गया है । इसका मतलब यह नहीं है कि बिजनेस वाली बात हम कर रहे हैं । लेकिन हमारा इरादा यह है जो रुपया हमने दिया है उसको निकाल कर यह विभाग "नो प्राफिट नो लास" पर चले ।

इस प्रकार से हमारा बिजली का तमाम विभाग चार यूनिटों में काम कर रहा है । मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बारे में हमें सुझाव दें और जो अधिक बात वे कहेंगे उसके बारे में मैं अपने उत्तर में जवाब दूंगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

[श्री ऊदल]

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने जो विवरण अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने विवरण में यह नहीं बताया कि उस की मेनुफेक्चरिंग कास्ट क्या है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कटौती का प्रस्ताव जो आपने रखा है वह तीनों मदों के संबंध में है ?

श्री ऊदल--

जी, तीनों के संबंध में ही मैंने पेश किया है । माननीय मंत्री जी कृपया अपने उत्तर में बतायें जिसकी ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया । जैसे कि माननीय मंत्रीजी ने कहा, यह ठीक है कि बिजली हमारी प्रगति के लिये बहुत आवश्यक है, इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं । लेकिन हमारे प्रदेश में बिजली की जितनी कमी है और सरकार ने पिछले वर्षों में उसके लिये जो कार्य किये हैं, मैं समझता हूं सरकार के वे कार्य बहुत ही कम हैं और सरकार को इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । हम लोगों ने बार बार इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि जब तक सरकार इस दिशा में नहीं बढ़ती है कि अपने तौर तरीके से बिजली का उत्पादन करे, तब तक के लिये जो प्राइवेट कम्पनियां हैं जो खुद बिजली पैदा करती हैं और ठेकेदारी प्रथा से बिजली देकर जनता से ज्यादा पैसे हासिल करती हैं, उनको सरकार अपने हाथ में ले ले । लेकिन सरकार ने उसकी तरफ अपनी तवज्जह नहीं दी । इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जो बिजली भी पैदा करती हैं और सरकार से भी लेती हैं । इस सिलसिले में मोटे तौर पर मैं दो कम्पनियों का नाम रखता हूं । एक तो मिर्जापुर की बिजली कम्पनी है और दूसरी बनारस की मार्टिन कम्पनी है । मार्टिन कम्पनी का रोजगार बिजली के क्षेत्र में हमारे सूबे में और हिन्दुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन मार्टिन कम्पनी को माननीय मंत्री जी ने रिहन्द की काफी बिजली दे रखी है और उसका नतीजा यह है कि सरकार ने तो ५ नये पैसे यूनिट के हिसाब से इस कम्पनी को बिजली दिया है लेकिन कम्पनी ६ आने, ७ आने और ८ आने यूनिट का रेट लगा कर जनता से ज्यादा पैसे वसूल कर रही है ।

इसके अलावा तीसरी श्रेणी की एक और कम्पनी हैं जो ठेकेदारी प्रथा के मातहत आती है जो बिजली पैदा नहीं करती, सारी की सारी बिजली ठेके पर लेती है और ठेके की मार्फत जनता को बिजली बांटती है और उससे जनता से काफी पैसा वसूल किया जाता है ।

इन सब के बारे में, प्राइवेट कम्पनियां, जो इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, हम हमेशा इस बात की मांग करते रहे हैं और काफी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी लोगों ने यह मांग की थी कि अगर सरकार चाहती है कि प्रदेश का विद्युतीकरण हो, और प्रदेश में ज्यादा बिजली उपलब्ध हो और लोगों को रोजी रोजगार के लिये ज्यादा बिजली दी जा सके तो सरकार इन कम्पनियों को अपने हाथ में ले । माननीय मंत्री जी ने कहा कि गत वर्ष हमने ५ कम्पनियों को अपने हाथ में लिया और इस साल ७ को लेने का विचार कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि यह कदम जो है इसे कोई बहुत साहसिक कदम नहीं कहा जा सकता है । मैं आपसे मांग करता हूं कि इन कम्पनियों को लेने के लिये आप जितनी मजबूती के साथ कदम उठावें, उतना ही प्रदेश का भला हो सकता है और प्रदेश का औद्योगीकरण हो सकता है ।

इसके साथ ही साथ एक दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक बिजली का क्षेत्र है, हाइडल के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी काम किया है लेकिन हाइडल विभाग को बिजली के क्षेत्र में जो नुकसान होता है उसकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । यह नुकसान विशेष कर लाइन की खराबी की वजह से ही होता है । यह नुकसान जो लाइन की खराबी से होता है हमारे यहां ३३ परसेंट है, जब कि मद्रास में ६ परसेंट और पंजाब में ४ परसेंट है । लाइन की खराबी से जो ३३ परसेंट का नुकसान होता है, इसके सम्बन्ध

में आपके सामने मैं उदाहरण के लिये कुछ बातें रखना चाहता हूं । बिजली की लाइन खराबी के कई कारण हैं । एक कारण यह है कि बिजली की लाइन में तांबे का तार लगाने का आदेश है लेकिन विभाग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तांबे का तार न लगा कर लोहे का तार इस्तेमाल करते हैं । उदाहरण के लिये मैं एक पोआयां की ही बात बतलाता हूं जहां ६ ट्यूबवेल्स के लिये १८ मील लम्बी लाइन में तार लगाया गया है । मैं चाहता हूं कि आप उसकी जांच करें। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको मिल सकते हैं और इन्हीं सब का नतीजा हो रहा है कि ३३ परसेंट का नुकसान लाइन की खराबी की वजह से हो रहा है । मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ सोचे और इसके बारे में जो उचित कार्यवाही हो, वह करे ।

दूसरी बात यह है कि इस विभाग के कर्मचारियों के बारे में माननीय श्रम मंत्री ने यहां लखनऊ में और दिल्ली में भी एक त्रिदलीय कांफ्रेन्स बुलायी थी । उसमें एक समझौता किया गया कि यहां के, केसा के मजदूरों के केसेज ट्रिब्यूनल के सामने भेजे जायेंगे । लेकिन आप के जो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग हैं वे क्यों डरते हैं, मजदूरों को सुविधायें देने के मामले हैं, जो प्राइवेट कम्पनियों के ऐसे केसेज हैं उनको ट्रिब्यूनल में भेजते हैं और सरकारी कम्पनियों में क्या आपत्ति है ? ६ केस कानपुर के केसा के भेजे गये लेकिन एक पर भी विचार नही हुआ और कोई भी ट्रिब्यूनल के पास नहीं भेजा गया। जब आप यह आशा करते हैं कि मजदूरों के मामलों पर प्राइवेट कम्पनियों वाले सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और मजदूरों को हड़ताल आदि का मौका न दें और उनके अन्दर कोई दुर्भावना पैदा न हो तो ऐसे जो समझौते हुये हैं, दिल्ली में भी हुये हैं, वह यहां भी हुये और उसी का पालन एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केसा के अधिकारी करें तभी यह हड़तालें रुक सकती हैं और मजदूरों के दिल में सन्तोष हो सकता है। अगर उनकी उचित मांग होगी तो ट्रिब्यूनल मानेगा अन्यथा वह उसको नामंजूर कर देगा ।

(इस समय ११ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसी तरह से १५ जुलाई, सन् ५८ को एक आर्डर निकला कि सभी हाइडल की जो कम्पनियां हैं, उन में मजदूरों की वर्क्स कौंसिल बनना चाहिये लेकिन वह आदेश खटाई में डाल दिया गया है और २ जगह को छोड़कर उस का कहीं भी पालन नहीं हुआ है । मैं चाहता हूं कि सरकार की कोशिश होनी चाहिये कि इन हाइडल कम्पनियों में मजदूरों की वर्क्स कौंसिल बनें ।

हो सकता है कि आप हंसें इस हाइडल विभाग में जो अफसरान हैं वह अपने नीचे के कर्मचारियों को अपने निजी कामों में बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं और इस विभाग में ८१९ कर्मचारी अफसरों के यहां उनके बंगले पर तमाम निजी काम, बच्चों को पहुंचाने का, बाग बगीचे का और घर का काम करते हैं और इस तरह से हमारा अनुमान है कि ५ लाख रुपया सालाना का नुकसान हो रहा है । जो कर्मचारी प्रोडक्शन बढ़ाने के नाम पर रखे गये हैं वह बड़े कर्मचारियों के निजी कामों में लगे हैं, मैं नहीं समझ सकता कि इससे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में विभाग की ओर से कड़े आदेश जायं कि जो अधिकारी किसी नीचे के कर्मचारी को उस की ड्यूटी को छोड़कर निजी काम कराने में इस्तेमाल करेंगे और वह अगर पकड़े जायेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी । इसको रोकने का एक ही तरीका है कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बना दें या चेयरमैन जो विद्युत परिषद् के हैं वह समय समय पर अचानक दौरे करें और लोगों के बंगलों पर जाकर देखें और ऐसे केसेज को पकड़ें ।

इसके अतिरिक्त आप यह भी देखें कि हाइडल विभाग में ऐक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, ५३ मौतें इस सम्बन्ध में अभी सन् ६२ में हुई हैं । मुआवजे की रकम का आप ने इंतज़ाम किया है उस के लिये मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि ऐसे मेजर्स इस्तेमाल किये जायं और ऐसा सामान कर्मचारियों को दिया जाय जिससे वह अपना बचाव कर सकें

[श्री ऊबल]

और ऐसी मौतों को बचाने का सरकार कोई उचित प्रबन्ध करे । इसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया, इस विभाग में चोरी बड़े पैमाने पर होती है । मोबिल आयल है, तांबे का तार है और इस तरह की कुछ चीजें हैं जो गड़बड़ होती हैं । इसके अलावा बहुत से बिजली लेने वाले लाइसेंसी मीटर जो लगा रहता है उससे कनेक्शन न कर के अलग से कनेक्शन लेकर चोरी से बिजली लेते हैं, इसका न तो सरकार को और न विद्युत परिषद् को ही पता होता है कि कितनी बिजली खर्च हुई । इसको रोकने के लिये सरकार को उचित कदम उठाना चाहिये । मैं बताना चाहता हूं मोदीनगर में जो मीटर लगा हुआ है उसके अलावा भी कनेक्शन दे कर बिजली दी जा रही है । ऐसी धांधलियों को रोकना चाहिये ।

दूसरी चोरी बताऊं । बहराइच में १८ गैलन मोबिल आयल पकड़ा गया । जो लोग पकड़वाते हैं उनको आपने निकाल दिया और जो चोरी करते हैं वह विभाग में बने रहते हैं । इसकी एफ० आई० आर० दर्ज की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई । शाहजहांपुर में एक ट्रक पर ५,००० रुपये का तांबे का तार और बहुत सा सामान लाद कर ले जाया जा रहा था । जिस सज्जन ने पकड़वाया उसको एकदम पहाड़ में भेज दिया गया और जो स्टोर कीपर उसमें फंसा था वह रेल से कट कर मर गया, कुछ को सस्पेंड किया गया । इस तरह से यह विभाग कभी तरक्की नहीं कर सकता । तरक्की तभी कर सकता है जब निर्दोष हो । विभाग के कर्मचारियों के सामने कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उनको मुस्तैदी से उसको पकड़ना चाहिये तथा जो लोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये । ऐसा न करके जो ईमानदारी से काम करते हैं उन्हीं को सस्पेंड किया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है । मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । ऐसे लोग तो विभाग के सहायक हैं । इसलिये इस पर विचार करना चाहिये तथा इस चोरी को रोकने के लिये अगर हो सके तो जो मान्यता प्राप्त यूनियन्स हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनकी कमेटी का निर्माण करें, हाइडल, केसा में जो भी यूनियन मान्यता प्राप्त हों उनके कर्मचारियों की एक कमेटी होनी चाहिये जो इन सब मामलों पर विचार करे और चोरी को विद्युत परिषद् के सामने लाये ।

एक शिकायत और है हमारे यहां चोपन में जो बिजली घर है । वहां १-१-६२ से ३१-३-६२ तक ७३१ वैगन कोयला आया, जमुरिया कौलियरी, सीतारामपुर, बजेन्द्रा कोलियरी, बाराकर, सिरका कोलियरी, अगड़डा, इन कोलियरीज से वह कोयला आया तो वहां के लोगों ने क्या किया कि स्लैक किस्म के कोयले को रूबेल किस्म का दिखाया जिसकी वजह से पौने चार रुपया फी टन के हिसाब से रूबेल कोयला स्लैक से महंगा पड़ा, जब कि था वह स्लैक किस्म का, लेकिन दिखाया उसको रूबेल, तो इसकी जांच होनी चाहिये और जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ।

जहां तक क्रासिंग का सवाल है, नियम यह है कि तार के नीचे एक जाली लगनी चाहिये । आपने पढ़ा होगा अभी दो महीने की बात है हमारे पास औराई में क्रासिंग है वहां से एक सड़क चील को जाती है, एक इलाहाबाद को, एक जौनपुर को, वहां पर तार टूट गया जाली नहीं लगायी गई थी । सौभाग्य से कोई आदमी नहीं गया, लेकिन ५० एकड़ की फस्ल उस तार के टूटने से बरबाद हो गई । इस प्रकार की सावधानी विभाग को बरतनी चाहिये ।

सुहावल की बड़ी चर्चा की गई आपने सुना होगा ब्वायलर की मरम्मत करने का ठेका हुआ, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ । जहां तक मेरी जानकारी है, विभाग के बड़े कर्मचारियों ने ऐसी आग डलवा दी, जिसकी वजह से ३ लाख रुपया का नुकसान हो गया । इसकी भी जांच होनी चाहिये ।

अन्त में मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस विभाग में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं, जैसे कोयला ढोने वाले तथा अन्य निम्न वर्गों के कर्मचारी जिनकी तन्ख्वाह ३० रु० है और काफी दूर से बेचारे कोयला लाते हैं । उनको नोटिस तो कम्पनी की तरफ से मिलती है लेकिन हैं वह ठेकेदार के कर्मचारी, जो प्राविडेन्ड फंड की सुविधा उनको मिलती थी वह भी १ साल

से बन्द कर दी गई तथा अन्य सुविधायें बन्द कर दी गईं। अतः इस विभाग में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना चाहिये तथा ठेकेदार के अन्तर्गत जो कर्मचारी हैं उनको हर तरह से कम्पनी का या सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिये। इस विभाग में जो पे स्केल है वह बहुत पुराना है, १९४८ का तय किया है जो १९३९ के भाव से तय किया गया था। आप देखें हाइडल में साढ़े ५५ रु० तनख्वाह है, शुगर में ७६ रु०, टेक्सटाइल में ९० रु०, जूट में ९०रु० और केन्द्र के जो चपरासी हैं उनको भी ८०, ९० रुपये तनख्वाह मिलती। तो इन कर्मचारियों ने क्या गलती की है जो उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, छुट्टी अच्छी नहीं मिलती है ? अतः मेरा सुझाव है कि इस विभाग के कर्मचारियों के लिये सरकार वेज बोर्ड की स्थापना करे ताकि हर मसले पर वह विचार करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे तथा सरकार उसको कार्यान्वित करे।

केसा में जो मजदूर सभा यूनियन है उसकी मेम्बरशिप बहुत ज्यादा है। लेकिन पता नहीं क्यों आप उनको रिकग्नाइज नहीं करते। दूसरी तरफ आई० एन० टी० यू० सी० को, जिसकी मेम्बरशिप काफी कम है, उसको रिकग्नाइज किया है। अगर यह शिकायत सही है तो श्रम मंत्री जी और विद्युत् मंत्री जी मिल करके इस शिकायत को दूर करें ताकि जो बहुमत प्राप्त यूनियन है उसकी शिकायत दूर हो सके।

अन्त में मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह इस तरफ काफी अग्रसर हैं। अन्त में एक चेतावनी देना चाहता हूं। रिहन्द डैम के संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार से कुछ समझौता हो रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उस बांध में हमारा ४६, ४७ करोड़ रुपया लगा है जो प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई है। इसलिये मध्य प्रदेश सरकार को अगर आप बिजली दें तो जो लागत हमारी लगी है बिजली कम्पनी में उसका हिस्सा उनसे जरूर वसूल करें। इसी तरह से माता टीला से भी देने जा रहें हैं। किशाऊ बांध बनवाने के लिये पंजाब की सरकार से काफी झगड़ा है और वहां के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य मेरे पास है वह काफी बिगड़े हुये हैं। उनका कहना यह है कि हम हिस्सा देने को तैयार हैं और आप कहते हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार हिस्सा नहीं लेगी तब भी हम हिस्सा लेंगे यह उनका कहना है। तो मैं कहता हूं कि अगर वह रुपया देने को तैयार है तो ले लिया जाय और बांध बना लिया जाय। बिजली बनने लगे तो उनका हिस्सा दे दिया जाय। इसमें शान शौकत का सवाल नहीं है। वह हिस्सा ले लेंगे। आप नहीं देंगे तो केन्द्रीय सरकार दिलवा देगी और मध्य प्रदेश को भी दिलवा देगी।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में इस विभाग को वे ज्यादा तरक्की की ओर ले जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा बिजली का उत्पादन करेंगे।

*श्री राजनारायणसिंह (जिला वाराणसी)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी के अनुदानों का हृदय से समर्थन करता हूं। यह हम लोग भली भांति जानते हैं कि आज के युग में बिजली की कितनी आवश्यकता है। जिस देश में बिजली हो उस देश में उद्योग ही नहीं बल्कि खेती भी काफी उन्नति कर सकती है। आज जब देश एक संकट कालीन स्थिति से गुजर रहा है तो खेती के लिये बिजली की कितनी आवश्यकता है।

मैं अपने विरोधी भाइयों के सवालों का जवाब न देकर सिर्फ अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में परगना किरयात है जो गंगा के किनारे स्थित है। बड़े बड़े खेत हैं और जमीन बड़ी उपजाऊ है। जितनी फसल पैदा होती है उससे दुगुनी और तिगुनी पैदा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायणसिंह]

जा सकती है अगर सिंचाई का प्रबन्ध हो सके तो । नहर की व्यवस्था तो नहीं की जा सकती है, लेकिन बिजली ऐसी चीज है अगर उस क्षेत्र के लिये उपलब्ध हो तो ट्यूबवेल अथवा प्राइवेट कुवें लगा कर सिंचाई का प्रबन्ध किया जा सकता है । वहां ५०, ६० गांव हैं और जनता वहां की शिक्षित है । कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि कम से कम ४, ६ ग्रेजुएट वकील न पाये जाते हों । वहां की जनता इतनी प्रगतिशील या आधुनिक तरीकों से खेती करने वाली है जिस से काफी पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन बिजली न होने से उनका सब उद्योग निष्फल हो रहा है । इसलिये मंत्री महोदय बिजली का समुचित प्रबन्ध करने की कृपा करें ।

वहां चार ट्यूबवेल बनाये गये हैं और बिजली वहां आ गयी है जिसकी वजह से सिंचाई में काफी सहूलियत हो गयी है । वहां बिजली पहुंचने से काफी तरक्की खेती में की जा सकती है । मैं यह देखता हूं कि ट्यूबवेल आपरेटर्स के खिलाफ काफी शिकायत पाई जाती है । आपरेटरों के खिलाफ़ रिश्वतखोरी की शिकायत पाई जाती है । तो मेरा सुझाव है कि जब वहां चकबन्दी खत्म हो जाय तो २०-२५ एकड़ के बड़े बड़े चकों की सोसायटी बना कर उनको सहायता दी जाय ताकि वे प्राइवेट तरीके से कुंये बनवा कर बिजली से सिंचाई कर सकें । इस तरह से किरयात की जमीन जो बहुत ही उपजाऊ है और जहां पर सब लोग बहुत ही शिक्षित हैं और नये ढंग से खेती करना चाहते है और सहकारी खेती की तरफ भी उनका काफी रुझान है मैं चाहता हूं कि वहां काफी बिजली दी जाय जिससे काफी पैदावार वहां हो ।

इसी तरह से एक और क्षेत्र है परगना हवेली जो चुनार से मिला हुआ है। वहां ३० , ४० गांव हैं । वहां उत्तर में गंगाजी बहती हैं, पश्चिम में वह चुनार टाउन से मिला हुआ है, दक्षिण में पक्की सड़क और रेलवे लाइन है और पूर्व में भी पक्की सड़क है । वहां सिंचाई के प्रबन्ध के लिये मैंने सिंचाई के इंजीनियर महोदय से कंटैक्ट किया लेकिन मुझको बतलाया गया कि उस क्षेत्र के लिये नहर ले जाना असंभव है । अतः मै अनुरोध करूंगा कि उस क्षेत्र के लिये भी बिजली दी जाय। अगर इन ३०, ४० गांवों को बिजली उपलब्ध कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ वहां उद्योग ही बढ़ सकता है, बल्कि खेती की पैदावार भी दुगुनी काफी आसानी से की जा सकती है । जबकि चुनार में उद्योगी करण के लिये काफी इन्तजाम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और चुनार टाउन में बिजली दी जा रही है तो मैं नहीं समझता कि चुनार के आसपास के गांवों में जहां सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती वहां बिजली देने में क्या दिक्कत हो सकती है । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि परगना हवेली के लिये भी बिजली उपलब्ध की जाय, ताकि वहां काश्तकारों को काफी सुविधा हो ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम है ।

श्री राजनारायणसिंह—

श्रीमन्, चुनार एक ऐसा टाउन है जहां काफी पहले से मिट्टी के बरतन बनाये जाते हैं । इसके अलावा दूसरे रोजगार किये जाते थे ।

श्री राजेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राजनारायणसिंह—

श्रीमन् मैं कह रहा था कि चुनार में जो पुराना किला है वहां काफी मकान बने हुये हैं । किसी जमाने में वहां रेफार्मेटरी स्कूल था और काफी लड़के वहां रखे जाते थे, लेकिन बटवारे के

बाद वहां काफी शरणार्थी लोग रखे गये थे मगर आजकल वे सब मकान खाली पड़े हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि जब वहां बिजली दी जाय तो जो काफी मकान वहां बने हुये हैं उनका भी उपयोग किया जाय और किसी न किसी किस्म का उद्योग चालू किया जाय ।

इसी तरह से अहरौरा जो किसी जमाने में गल्ले की बहुत बड़ी मंडी थी और बम्बई और कलकत्ता से भी लोग आ कर वहां तिजारत किया करते थे, मैं चाहूंगा कि वहां बिजली देकर उद्योगों को पनपाया जाय और रेशम का उद्योग जो वहां चालू किया गया है उसको प्रोत्साहन दिया जाय ताकि वहां के लोग जो खराब हालत में हैं उनको रोजगार मिले । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । श्रीमन्, अभी पूर्व वक्ता माननीय ऊदल जी ने उल्लेख किया कि रिहन्द बांध और माता टीला की बिजली के जो जाने की बात है तो ठीक दाम लगाकर, पैसा लेकर बिजली दी जाय । लेकिन मैं थोड़ा और आगे जाकर कहूंगा कि जब बिजली अपने प्रदेश से बच जाय और किसी प्रकार उपयोग न हो सके तो बची हुई बिजली को ठीक दाम पर अन्य प्रदेशों को दी जाय अन्यथा अपने यहां ही उसका इस्तेमाल किया जाय । इसका कारण यह है कि रिहन्द बांध की बिजली के बारे में बहुत दिनों से प्रचार है कि यह फतेहपुर होकर कानपुर आयेगी । श्रीमन्, विचित्र अवस्था है, कानपुर से थोड़ी दूर तक बिजली हमारे यहां पहुंच गई है और उधर इलाहाबाद से भी १५-२० मील तक बिजली पहुंच गई है और फतेहपुर के पश्चात ४० मील का बीच का एरिया ऐसा है जहां बिजली नहीं पहुंच सकी है । इस एरिया में बिजली के तार वगैरा नहीं गये हैं । वास्तव में श्रीमन्, बहुत दिनों से प्रचार था कि रिहन्द से बिजली मिलेगी । इसके अलावा जो बिजली कानपुर से मिल रही है वह कितनी कीमती है, इसको हम ही जानते हैं और प्रयाग जिले का जो पश्चिमी भाग है, उसमें बिजली नहीं मिल पा रही है, और बहुत से ऐसे स्थान है जहां बिजली नहीं मिल पा रही है । इसलिये इसके पहले कि सरकार बिजली के बारे में किसी प्रकार का लेनदेन करे या उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी कम्पनियों को बेचे, मैं मंत्री जी का ध्यान इधर दिलाऊंगा कि रिहन्द की बिजली के एक्सटेंशन की जो कानपुर तक होने की योजना है, उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय और जो इलाहाबाद और फतेहपुर का भाग छूटा हुआ है और जिसके बारे में खागा–किशुनपुर अनेक स्थानों से सरकार के पास मांगें आती रहती है और सरकार ने भी उनको स्वीकार किया है कि बिजली देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है । इसलिये मंत्री जी का ध्यान इधर जाना चाहिये । इन सब योजनाओं के पूरी होने के बाद यदि बिजली बचे तो अन्य प्रदेशों को उचित दाम पर बिजली देनी चाहिये ।

श्रीमन्, जैसा कि बताया गया है कि यह बिजली खेती के काम में उपयोग हो पाती है, उसके बारे में अनेक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया है कि यह बिजली ट्यूबवेलों को देनी पड़ती है और ज्यादा दाम इसलिये रखे जाते हैं कि वर्षा होने से बिजली इस्तेमाल नहीं होगी पर तार और मशीन वगैरा लगी रह जाती है और इसके मेन्टीनेंस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है इसलिये ज्यादा महंगी पड़ती है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि जहां पर ट्यूबवेल हों वहीं पर कुछ काटेज इंडस्ट्रीज हों और इस काम का कृषि मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री तथा पावर मंत्री मिलकर ऐसा समावेश करें कि ट्यूबवेल की बगल में इंडस्ट्रीज हों और उसकी बिजली बीच के समय में तथा रात के समय में इस्तेमाल होती रहे । ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । इससे सरकार को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बिजली खर्चीली पड़ती है और कम इस्तेमाल होती है बल्कि इससे बिजली का सदुपयोग होगा

[श्री रक्षपालसिंह]

और हमारी काटेज इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेंगीं ।

इसके अलावा श्रीमन्, जो ठेकेदारी सिस्टम सरकार ने बना रखा है उसे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, समाप्त करना होगा । वैसे तो सरकार प्रयत्नशील है ही परन्तु उसे और शीघ्रता करनी चाहिये । मेरा निवेदन है कि यह बहुत अन्यायपूर्ण बात दीखती है कि पांच-सात पैसे में सरकार से बिजली लेकर पांच सात आने में दी जाय । डिस्ट्रिब्युटिंग एजेंसी बीच में इतना मुनाफा खाये, यह बहुत ज्यादा है । इसको धीरे-धीरे करके खत्म करना चाहिये । वैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि पांच कम्पनियों को पहले ले चुके हैं और सात इस बार ले रहे हैं । मुझे विश्वास है कि सरकार इस ओर आगे कदम बढ़ायेगी । लेकिन जब तक यह संभव नहीं होता तब तक मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करें कि जो इतना बड़ा डिफरेंस है, जितने पर सरकार से बिजली लेते हैं और जितने पर जनता को बिजली देते हैं वह अन्तर कम हो सके । उसके लिये विशेष समिति बना कर विचार करें ।

अब मैं कानपुर के केसा के मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं । जब से केसा का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से टी० ए०, डी०ए०, और तनख्वाह तथा मंहगायी मिला कर २७ रुपया पहले जब कि सरकार के पास बिजली कम्पनी नहीं थी तब से अब कम मिल रहा है । सरकार ने पिछले साल यह स्वीकार किया था । केसा का नेट लाभ नौ दस गुना ज्यादा बढ़ गया है । सरकार को चाहिये जिन कर्मचारियों के काम से सरकार को इतना लाभ हो रहा है, सरकार द्वारा चलाये जाने वाले संस्थानों में भी कर्मचारियों को वह सुविधायें मिलनी चाहिये जो अन्य संस्थानों में मिलती हैं । जिन सरकारी कर्मचारियों के आधार पर बिजली का इतना उत्पादन हो रहा है उनकी स्थिति को सुधारना आवश्यक है । इन चन्द सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत् मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । साथ ही मैं कुछ देहात की समस्याओं को रखना चाहता हूं क्योंकि ८०-८२ फीसदी जनता देहातों में रहती है । उसको अपने कामों के लिये बिजली की बहुत जरूरत है । बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां ट्यूबवेल करीब हैं वहां बिजली नहीं दी गयी है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको बिजली की जरूर सुविधा दें । इर्रीगेशन और बिजली का अलग अलग बटवारा है इससे तकलीफें होती हैं । जरा सी आपरेटर से ऐंठ हुई कि उसने बिजली बन्द कर दी, पानी बन्द कर दिया । यह दोनों महकमे एक जगह हो जायं तो अच्छा है ।

साथ ही मैं रामपुर की बात कहना चाहता हूं । मीरगंज के इलाके में फसल लहलहा रही है और पड़ोस में मिलक का एरिया है वहां न पानी का साधन है, न बिजली का साधन है । वहां बिजली के कुओं को लगाना चाहिये । वहां दूनी पैदावार हो सकती है । बाकी कुछ इलाका शाहाबाद का है वहां भी बिजली जरूरी है । वहां कुछ कुएं बढ़ा दिये जायं । कुछ टाउन एरियाज हमारे यहां हैं । कुछ में बिजली पहुंच चुकी है और बाकी पीछे रह गयी हैं । उनमें बिजली नहीं पहुंची है । मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली देहात में पहुंचानी चाहिये अगर देहात के लोगों को आगे बढ़ाना है । जब तक पानी और बिजली के साधन नहीं होंगे तब तक पैदावार देहात में नहीं बढ़ सकती है और न उद्योग लग सकते हैं । ऐसा देखा जाता है कुछ एरिया ऐसे हैं जहां बिजली पहुंच जाती है और कुछ में नहीं पहुंचती । मेरा सुझाव है कि जिस लाइन पर बिजली दी जाय उस लाइन पर पूरी बिजली दी जाय यह नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाय । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बिजली देहात में उद्योग बढ़ाने के लिये दी जाय । इतना कह कर मैं खत्म करता हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में बैठने वालों की गिनती से यह जाहिर होता है कि कितने कम लोगों को सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी है । मैं आपके द्वारा माननीय राममूर्ति जी का और माननीय शांति प्रपन्न जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--

ऊंचे सौदे पटा रहें हैं बौने ।
पगला रखा है माजियों की रौ ने ।
घाटे में दे दिया है मुस्तकबिल को ।
हाल को बेचते हैं औने पौने ।।

*श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का जो अनुदान पेश है उस के समर्थन के वास्ते मैं खड़ा हुआ हूं । बिजली एक ऐसा विषय है जो आज के युग में बिजली के बगैर कोई काम हमारे देश और प्रदेश की उन्नति का नहीं हो सकता है । किसी भी देश या प्रदेश की तरक्की इस बात से आंकी जा सकती है कि उस प्रदेश या देश में कितनी बिजली खर्च होती है । थोड़े से दिनों में हमारे प्रान्त ने कितनी तरक्की की है बिजली के संबंध में, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान में बिजली से जितनी तरक्की हमारे प्रदेश की हुई है वह काफी संतोषजनक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । हम उम्मीद करते हैं कि इसी रफ्तार के साथ दिन दूनी रात चौगुनी बिजली के संबंध में उन्नति होती चलेगी ।

हमारा प्रदेश खेतिहर प्रदेश है । यहां की उन्नति खेती के द्वारा हो सकती है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उद्योग-धंधों के लिये बिजली का उपयोग आवश्यक है वहां खेती के लिये सिंचाई की कम आवश्यकता नहीं है । लेकिन उद्योगों के लिये कितनी बिजली खर्च होती है उससे अन्दाजा लगता है कि हम बिजली उन मुकामों पर ले जाना चाहते हैं जहां जितना हम खर्च करते हैं उतना हमारा वसूल होगा या नहीं होगा । मैं विशेष ध्यान इसलिये आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो उनकी नीति है यह उद्योगों के लिये और बड़े-बड़े शहरों के लिये तो लागू हो सकती है लेकिन खेत के लिये, किसान के वास्ते और उन पिछड़े हुये इलाकों के वास्ते यह नीति लागू नहीं हो सकती है । हम उन खेतों में, उन गांवों में तभी बिजली ले जायंगे जब हमारा वह खर्च उससे वसूल हो जायगा, जो कि हम उसमें लगा रहे हैं,यह नीति उनके साथ लागू नहीं हो सकती । इसी तरह बिजली के द्वारा पानी जिन इलाकों को मिलेगा उसमें यह अन्दाजा लगायें कि पानी से इतनी हमको आमदनी होगी या नहीं, यह जो नीति है इसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है । इसलिये मेरा पहला तो सुझाव यह है कि हमें अपनी नीति में संशोधन करना पड़ेगा । उद्योग धन्धों के लिये वह नीति हो सकती है लेकिन सिंचाई के लिये और खेतों के लिये यह नीति नहीं लागू होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं मजदूरों के संबंध में कहना चाहता हूं जो इसमें काम करने वाले हैं क्योंकि बिजली का काम करने वाले मजदूरों के लिये बड़े खतरे का सवाल रहता है और उनकी जिन्दगी और मौत का सवाल हर समय रहता है इसलिये उनकी तनख्वाह और उनकी सुविधायें और कर्मचारियों के मुकाबिले में विशेष होनी चाहिये । उनकी तनख्वाहें भी अधिक होनी चाहिये और उनके परिवार वालों के लिये भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि अगर कोई ऐसे वाकयात हो जायं कि जिससे उनकी मृत्यु हो जाय या उनका किसी तरीके से अंग भंग हो जाय तो उनके परिवार वालों को जीवन भर के लिये कोई ऐसी सुविधा प्राप्त हो जिससे कि बिजली का काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता रहे ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माताटीला बांध, रिहंद बांध और बहुत सी और योजनाओं के द्वारा कितना काम हमारे प्रदेश में हो रहा है । अभी आपने देखा कि

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बृजमोहनलाल गुप्त]

रिहंन्द बांध से सीमेन्ट की योजना चली और बिजली की योजना चली और उसके जरिये से बड़े बड़े कल कारखाने चल रहें हैं, यह किसी से छिपी बात नहीं है । आज के इस विकास के युग में जब कि संकटकालीन परिस्थिति भी है और दुनिया के और विकसित देशों के मुकाबिले में हमको अपने को खड़ा करना है तो बिजली में हमें अधिक से अधिक खर्च करने और अनुसंधान करने की जरूरत है । दूसरे देशों से और ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ यहां पर लाये जायं, उनके द्वारा हम यहां कल कारखानों को स्थापित करें, तभी हम तरक्की कर सकते हैं । हमारे सूबे का काफी इलाका पिछड़ा हुआ है । काफी वह इलाका है जिसमें किसान रहते हैं, जो खेती के जरिये से अपनी गुजर करते हैं । मैं बुन्देलखंड की बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा यह चार जिले हैं और जहां ८० फीसदी किसान रहते हैं, जिनका जीविकोपार्जन खेती द्वारा ही होता है । वहां कोई बड़े-बड़े उद्योग धन्धें नहीं है, कोई बड़े बड़े पूंजीपति भी वहां नहीं है जिनके द्वारा उद्योग धंधे वहां लगाये जा सकें और गवर्नमेन्ट की तरफ से भी कोई उद्योग वहां खोलने की बात नहीं है ऐसी स्थिति में वहां पर केवल खेती ही एकमात्र साधन रह जाता है जिसमें बिजली से उसकी सिंचाई में तरक्की की जा सकती है । यही एक सुविधा हमको प्राप्त हो सकती है । यह सुनने को मिला है कि माताटीला बांध से बिजली बुन्देलखंड को मिलने वाली है । लेकिन हमने सुना है कि केवल बांदा शहर तक ही वह बिजली मिलने वाली है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल बांदा शहर से हमारे पूरे जिले को वह फायदा नहीं हो सकता है जो दूसरे जिलों को मिलने वाला है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूरे जिले के खास-खास स्थानों में बड़े बड़े प्रमुख टाउन्स और कस्बों में बिजली ले जाने की कृपा करें और उसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि यह पिछड़ा इलाका है, जहां से उनको इस वक्त उतनी आमदनी नहीं मिल सकती जितने के लिए उन्होंने अपनी नीति निर्धारित कर रखी है । इसलिए वहां उन्हें कुछ विशेष सुविधा देने की जरूरत पड़ेगी । हमारा वह पिछड़ा हुआ तिरहार का इलाका जहां न कोई सड़क है, न कोई कल कारखाना है, न बिजली है, उस की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहूंगा । यह समझ में नहीं आता कि किस तरह से उसको यह सारी सुविधायें प्राप्त होंगी । साल भर के दौरान में मैं माननीय मंत्रियों को नहीं समझा सका कि आखिर किस तरह की सुविधायें वह वहां देने जा रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रगति वहां नजर नहीं आयी । मैं उनका ध्यान मऊ के इलाके की तरफ और पाठा के इलाके की तरफ आकर्षित करूंगा जहां एक एक घड़ा पानी आठ-आठ आने में मिलता है, जहां कोई सिंचाई का साधन नहीं है, कोई बिजली का साधन नहीं, जहां के कुंओं में २०० हाथ नीचे पानी निकलता हो, जिनके नीचे चट्टान हो, जहां अच्छे पानी की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही हो वहां कौन सी सुविधा प्राप्त हो सकती है यह सोचने की बात है । मैं माननीय मंत्री जी से पार्टी मीटिंग में और प्राइवेट बातचीत के दौरान में अपनी गाथा सुना चुका हूं लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि उनका ध्यान इस पिछड़े हुए इलाके की तरफ आकृष्ट हो । वहां पर अगर हम बिजली पहुंचा सकें, बिजली के द्वारा हम सिंचाई करा सकें, लघु उद्योगों की स्थापना वहां पर कर सकें तो यह बहुत ही लाभ की बात वहां के लिये होगी । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे इस इलाके में काटेज इन्डस्ट्री खुल सकती है, छोटे छोटे उद्योग लगाये जा सकते हैं लेकिन उन उद्योगों को चलाने के लिये हमको बिजली की आवश्यकता है । इसमें कोई शक नहीं है कि उद्योग विभाग की तरफ से लाखों रुपया हमारे जिले को दिया गया लेकिन चूंकि बिजली की सुविधा वहां पर नहीं है इसलिये उद्योगों का फायदा नहीं मिल रहा है जो कि मिलना चाहिये । इसलिये आज इस अनुदान पर बोलते हुए मैं माननीय मंत्री जी से इस बात के लिये प्रार्थना करूंगा कि जहां बड़े शहरों की तरफ और बड़े इलाकों की तरफ ध्यान दिया जाता है वहां हमारे पिछड़े इलाके बांदा जैसे इलाके की तरफ भी ध्यान दिया जाय और वहां पर बिजली पहुंचाने की कोशिश की जाय ।

दूसरी बात यह है कि रिहन्द बांध से मध्य प्रदेश को जो बिजली दी जाय वह मानिकपुर की तरफ से या करवी की तरफ से मऊ के इलाके में पहुंच सकती है । यदि उस इलाके को बिजली दे दी जाय तो उससे लोगों को बहुत साधन मिल सकेगा । जैसा अभी रक्षपाल सिंह जी ने

कहा कि अगर फतेहपुर के इलाके में बिजली दी जाय तो वह जमुना के उस पार तक आ सकेगी और जब वह उस इलाके में आ जायेगी तो उसके आस-पास जो ४२ गांव हैं उनमें भी बिजली मिल सकेंगी। आज वहां पर कोई भी सुविधा नजर नहीं आती है। वहां पर बिजली पहुंचने से लोगों को रोजगार मिल सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस पिछड़े हुये इलाके को बिजली देने की कोशिश करेंगे। इसके साथही मेरा एक यह भी सुझाव है कि अपनी नीति में भी कुछ लचीलापन लाने की कोशिश करें। साथ ही उन मजदूरों के लिये भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है जिनकी जिन्दगी हर समय बिजली का काम करने में खतरे में रहती है। उनको विशेष सुविधा दी जाय। इसके साथ यह भी निवेदन करूंगा कि बांदा जिले में मुझे मालूम हुआ कि वहां पर डिजेल आयल में हजारों रुपये का गबन पकड़ा गया है। साल भर के बाद वहां पता लगा कि कितना डिजेल आयल लगना चाहिये। हजारों ड्रम वहां पर गायब कर दिये गये। ऐसे गबन की इनक्यावरी होनी चाहिये। मेरा यह निश्चित मत है कि कोई भी गबन अधिकारियों और कर्मचारियों के मिले बिना नहीं हो सकता है। उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिये। यह मिसाल के तौर पर बांदा की बात है लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रान्त के हर हिस्से में इस तरह की गड़बड़ी होती होगी। इस प्रकार से जो धन का दुरुपयोग होता है और धन का सही इस्तेमाल नहीं होता है उससे किसानों और मजदूरों को जो लाभ मिलना चाहिये वह नही मिलता है इससे कुछ पूंजीपति लोग, कर्मचारी और तिकड़मबाज लोग लाभ उठाते हैं जो इन मामलों से दिलचस्पी रखतें हैं। इसलिये सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिये कि हम इस बात को देंखे कि जो पैसा हम खर्च करते हैं, उस पैसे का पूरा लाभ हो रहा है या नहीं और उसका सदुपयोग हो रहा ह या नहीं। इस दृष्टि से अगर इस अनुदान को देखा जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह धन जो इस अनुदान के लिये रखा गया है वह बहुत कम है। बिजली के अनुदान के लिये और अधिक रुपया दिया जाय तो हमारे प्रदेश की तरक्की जल्दी होगी। मैं उन सभी भाइयों से अपील करता हूं जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं ऊदल जी से भी निवेदन करूंगा कि वह अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेलें और उनको अपने सुझाव रखने चाहिये। कटौती के प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता नहीं है। यदि यहां पर प्रकाश बन्द हो जायगा तो हमारा और आपका उत्थान नहीं हो सकेगा। इन शब्दों के साथ, मैं फिर अपील करूंगा कि ऊदल जी इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और जो हमारा अनुदान पेश है उसको सर्वसम्मति से पास करें जिससे एक आदर्श यहां पर उपस्थित हो और यह हमारे सब के लिये बड़ी शोभा की बात होगी। अन्त में, मैं फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ-साथ कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। यह एक ऐसा टेक्निकल विषय है कि इस पर तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही सही राय दे सकता है लेकिन जो प्रेक्टिकल कठिनाइयां आती हैं बिजली प्राप्त करने के बारे में उनके संबंध में, मैं कुछ निवेदन करूंगा। आज हमारे सामने रिहन्द बांध की बड़ी चर्चा हुई कि वहां हमने इतनी बिजली पैदा की और हम ४५ करोड़ की जगह केवल ३७ करोड़ ही खर्च कर पाये हैं ऐसा संकेत किया माननीय मंत्री जी ने। मैं देखता हूं कि १९५६ में जो एक पुस्तिका बांटी गयी थी, उसमें लिखा था कि ४५ करोड़ रुपया हम इस योजना पर खर्च करेंगे और साथ ही यह भी था कि किस किस जिले को कितना-कितना लाभ होगा। मैं मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि जो बिजली हम पैदा कर रहें हैं वह उस समय के अनुमान से कम है। उस समय अनुमान था कि हम २५०

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]
मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और उससे लाभ होगा मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया, सुल्तानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, बांदा, इलाहाबाद आदि जिलों को । उससे ४०० नलकूप चालित होंगें और जिनसे २० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। इस समय मंत्री जी ने नहीं बतलाया कि वे कितना कर पा रहे हैं और वहां उत्पादित बिजली का वितरण किस प्रकार होगा। मैंने तो देखा कि केवल २०,००० किलोवाट बिजली ही पैदा की जा सकी और उससे लाभ वाराणसी और मिर्जापुर जिलों को ही हुआ है। चुर्क को और मेसर्स साहु केमिकल्स को ही बिजली दी गयी है। मंत्री जी ने यह नहीं बतलाया कि और कौन-कौन जिले इससे लाभ उठा सकते हैं। योजनायें बनाते समय बड़ी लम्बी लम्बी योजनायें बनायी जाती हैं और उनमें खर्च कम और लाभ अधिक दिखाया जाता है, लेकिन योजना बनाने के बाद पता लगता है कि खर्च तो दुगना, तिगुना हो गया और माताटीला में तो तिगुना, चौगुना हो गया, और लाभ उतना नहीं हुआ। रिहन्द में ५०,००० किलोवाट बिजली कम पैदा की गयी है। इस समय सिचाई मंत्री भी यहां बैठे हैं। अभी तक ४० फीसदी सिंचाई का कमांड माना जाता था और आज जो प्राइवेट ट्यूबवेल लोग लगाना चाहते हैं उन्हें नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। उनको रुपया भी देना पड़ता है और ठोकर भी खानी पड़ती है। इसीलिये मेरा सुझाव है जिनके पास १० एकड़ जमीन है उनको ट्यूबवेल के लिये बिजली आसानी से मिलनी चाहिये और उन पर से यह नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट की शर्त उठा लेनी चाहिये। आपने सीलिंग साढ़े बारह एकड़ की कर दी है और ४० एकड़ से ज्यादा जमीन कोई आदमी रख नहीं सकता, इसलिये १० एकड़ वाले को अगर वह ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो बिना दिक्कत के बिजली मिलनी चाहिये। दूसरे मैं देखता हूं कि प्रदेश में कई सौ ट्यूबवेल ऐसे हैं कि जिनको बिजली नहीं मिल पायी है। जब बिजली अधिक पैदा हो रही है तो उनको बिजली अवश्य दी जानी चाहिये ताकि लोगों को सिंचाई में आसानी हो। इसके अतिरिक्त मैं सिंचाई मंत्री और बिजली मंत्री, दोनों से कहूंगा कि हमारे ट्यूबवेल आपरेटर्स बिजली को चोरी करना अच्छी तरह जानते हैं। इससे हमारे रेवेन्यू का नुकसान होता है। आपरेटर्स ऐसा बार गलाते हैं कि रीडिंग नहीं हो पाती। मीटर में गड़बड़ी होने के कारण हमारे सिंचाई विभाग को टोटा और आपका टोटा। सब में एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। मेरा मतलब यह है कि जो चोरी बिजली, सिंचाई विभाग में आपरेटर महोदय करते हैं वह खत्म होनी चाहिये। मैं आपको बिजनौर जिले की सूचना, जो कि कन्फर्म नहीं है, वहां पर लाखों का गबन बिजली की चोरी में हो गया है। वह कारखानें वालों ने किया है। वह सूचना यद्यपि कन्फर्म नहीं है, फिर भी मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं। मन्त्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जो बिजली का गबन होता है, उसको कैसे रोका जाय, इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। आप देखें कि बिजली का गबन पता नहीं चलता है। यह बात इक्स्पर्ट्स ने स्वयं बता दी है। हमारे सामने जो गबन के बिजली के केसेज हैं वह नहीं आ रहे हैं। जो बिजली की कास्ट है, वह १.२ नये पैसे आ रही है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि जो उन्होंने कहा कि नो प्राफिट और नो लास बेसिस पर हम कार्य करेंगे, उस पर ध्यान दें। परन्तु उस समय बड़ा दुख होता है कि जब यह देखा जाता है कि हमारी कम्पनियां ही सारा लाभ लेती है और उपभोक्ता को कुछ नहीं मिल पाता है। मेरी प्रार्थना माननीय मंत्री जी से है कि यह नो प्राफिट और नो लास वाली बात से उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करें। यदि ऐसा हो जाय तो मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। पर दुख की बात है कि आज उस बेसिस पर जनता को बिजली नहीं दी जा रही है।

दूसरी बात मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आज कोई काटेज इन्डस्ट्री वाले यदि १० एच० पी० चाहते हैं, अपना मसाला वगैरह पीसने के लिये, तो उनको केवल २।। एच० पी० ही दिया जाता है, जोकि बिलकुल नाकाफी होता है। ऐसी सूरत में यह देखना चाहिये कि वास्तव में बिजली की कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से दी जानी चाहिये। इस प्रकार से नहीं कि काटेज इन्डस्ट्री ही न चल सके। यह बात सही जरूर है कि जिसको

१० हार्स पावर की जरूरत होती है, वह ३० हार्स पावर के लिये एप्लाई करता है। लेकिन फिर भी ऐसा न कर दें कि उसकी इन्डस्ट्री ही न चल पावे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह कि आज मीटर रीडिंग में भी कठिनाई पड़ती है। जब मकान बन्द होते हैं तो रीडिंग न हो पाने के कारण उन पर जुरमाना होता है। इसलिये निवेदन करूंगा कि वह पद्धति खत्म कर दी जानी चाहिये। वह ठीक ढंग से हो सके इसके लिये दिन बढ़ा दिये जाने चाहिये जिससे कि यह सब कठिनाई उपभोक्ताओं को न हो।

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह कि जो बिजली कम्पनी वाले इस्टीमेंट देते हैं वह बढ़ा-चढ़ा कर दिये जाते हैं। जब उसकी शिकायत आफिस में की जाती है, तो यह कहा जाता है कि कमीशन तय कर लो तो इस्टीमेंट घटा कर पहुंच जायेगा जिससे वह सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। परन्तु ऐसी बातों को सरकार को रोकने के लिये प्रबन्ध करना चाहिये। जो एक्चुअल इस्टीमेट हो, वही होना चाहिये न कि यह कि उपभोक्ताओं के पास बढ़ा चढ़ा कर भेजा जाना चाहिये। इससे उपभोक्ता का बड़ा नुकसान होता है।

श्रीमन्, एक बात और कह देना चाहता हूं और वह यह कि आप मार्टिन बर्न कम्पनी को जल्दी से जल्दी लेने की कृपा करें। उसकी बिजली में न जाने क्या डिफेक्ट है कि वोल्टेज उसका घटता बढ़ता रहता है जिससे कि उपभोक्ता पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसको पैसा अधिक देना पड़ता है। लिहाजा इस मार्टिन कम्पनी को जल्द से जल्द लिया जाय जिससे जो डिफेक्ट कम्पनी की वजह से हो जाता है और लोगों पर ज्यादा खर्चा पड़ता है, दूर हो सके।

पिछले दिनों इस हाउस में सवाल आया था और रिपोर्ट में भी है कि रिहन्द डैम में ५ टरबाइनों में से २ या ३ चल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। जितनी मशीन जरूरी हैं उतनी ही खरीदी जायं लेकिन ज्यादा मशीनें जो हैं वह काम के बगैर न रहें। रिपोर्ट में भी है लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं आकर्षित करूंगा क्योंकि उस ओर आपका ध्यान जायेगा। लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा मशीनें न खरीदी जायं ताकि मशीनें बेकार न रहें। अखबारों में निकला है कि टरबाइन सेकण्डहैंड हैं। मैंने उन्हें देखा नहीं है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कहना लोगों का कहां तक ठीक है ?

आज जो एलेक्ट्रिफिकेशन की बात है उसके लिये मैं कहता हूं कि हर गांव का आदमी चाहता है कि उसके गांव में बिजली लगे। इसलिये जिस गांव की आबादी ५,००० से अधिक हो वहां बिजली की सुविधा प्रदान की जाय क्योंकि आज गांवों में तीन चौथाई आदमी बेकार पड़े हुये हैं। अगर बिजली वहां आ जाय तो लोग वहां निजी धंधे चला लेंगे। जहां ट्यूबवैल लगाये गये हैं वहां बिजली सप्लाई न करने से लास होता है। तो छोटे धंधे वालों को अधिक से अधिक लाइसेंस मिलना चाहिये। वहां बिजली पहुंच जाय और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल हो। अगर बिजली वहां पहुंच जाय और इस्तेमाल पूरी तरह से न हो तो आपको लास पड़ेगा। इसी वजह से सिंचाई विभाग आपका लास पर रन करता है। उसका कारण यही है कि वहां यह नहीं देखा जाता कि कितनी सिंचाई हुई और कितनी बिजली दी गयी। दूसरे, जहां ट्यूववैल्ल हैं वहां पर काटेज इन्डस्ट्रीज को पनपाया जाय, प्राइवेट इन्डस्ट्रीज को पनपाया जाय। मैं आपका ध्यान इन सब बातों की ओर आकर्षित करते हुये इतना ही निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं पहुंचे हैं वहां सिंचाई के साधन पहुंचाये जायं और जहां पहुंच गये हैं वहां प्रांइवेट इन्डस्ट्रीज और काटेज इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं, विद्युत मन्त्री जी ने जिन अनुदानों की मांग की है उनके पक्ष में, बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यही एक ऐसा विभाग है जिसमें ढंढ़ने पर भी कोई खराबी मुझ को नजर

[श्री किशोरीलाल अग्रवाल]

नहीं आयी। यही एक ऐसा विभाग है जो लोगों को अंधेरे से उजाले में पहुंचाता है। उजाला लाने में प्रयास करना ही पड़ता है। हमारा प्रदेश इसमें पिछड़ा हुआ था लेकिन प्रथम योजना में २३६ मेगावाट बिजली हमारे प्रदेश में पैदा हुई, दूसरे में १९६ मेगावट और तीसरी में ५०० मेगावाट बिजली पैदा होने की आशा है। इस प्रगति से हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आज हाउस में कुछ ऐसी पद्धति-सी बना ली गयी है कि हर विभाग में कुछ न कुछ खराबी निकाली जरूर जाय। जिस विभाग में कोई खराबी है ही नहीं, उसके बारे में मेरा ख्याल है कि खराबी जबर्दस्ती निकालना कोई शोभा नहीं देता। यह विभाग ऐसा है जिसने कि यमुना योजना, हरदुआगंज योजना, कानपुर योजना पूरी की है और माताटीला योजना इस साल के अन्त तक, ६४ के शुरू में, पूरी हो जायगी। रिहन्द डैम की योजना चलायी गई। इस योजना से सबसे ज्यादा फायदा पूर्वी जिलों को होने वाला है। मैंने पिछले बजट पर विवाद के समय एम० एल० एज० को यह कहते सुना था कि हमारे वित्त मन्त्री पूर्वी जिलों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज वही लोग तारीफ कर रहे हैं। इस योजना से वहां के लिये काफी बिजली उपलब्ध हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बाद में कहियेगा। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर श्रीपाल सिंह के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन : आरम्भ हुई।)

श्री किशोरीलाल अग्रवाल --

अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन कर रहा था कि बिजली विभाग ने अपने प्रदेश में, जैसी कि उसकी आर्थिक स्थिति है, उसके अनुसार बहुत ही प्रगति दिखायी है जिसकी कि हम आशा तक नहीं करते थे। गांवों में बिजली की चमक दिखायी पड़ती है। १९६६ तक हम १,५०० गांवों में बिजली दे देंगे।

एक चीज की ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिला देना चाहता हूं कि वे मध्य प्रदेश को बिजली देने को क्यों उत्सुक हैं जब कि हमारे प्रदेश में खुद बिजली की कमी है। मध्य प्रदेश ने तो जमीन का ज्यादा से ज्यादा दाम ले लिया है, अब उसको बिजली न दी जाय। इस पर मुख्य मन्त्री जी ध्यान दें और किसी भी प्रदेश को बिजली न दी जाय।

इन बातों को देखते हुये, हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बिजली की प्रगति हुई है उसके लिये बिजली विभाग और बिजली मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) --

मान्यवर, इसमें संदेह नहीं कि बिजली नये जीवन का प्रतीक है तथा हमारे प्रदेश, देश और दुनिया के हर पिछड़े देश के विकास के लिये बिजली एक अनिवार्य चीज है। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पिछले वर्षों में सरकार ने बिजली के उत्पादन और प्रसार के लिये काफी चेष्टा की है और उसमें उसको कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। परन्तु हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी और उद्योगों धंधों में पिछड़ेपन को देखते हुये यह जरूरी है कि सरकार और तेजी से कदम बढ़ाये। बहुत-सी चीजों को प्रायोरिटी दी जा सकती है और कुछ चीजें छोड़ी जा सकती हैं या उनको वर्ष दो वर्ष के लिये पोस्टपोन कर सकते हैं अथवा तीन चार योजना के बाद भी ले सकते हैं, जिनसे हमारे प्रदेश और देश के विकास में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बुनियादी महत्व की हैं उनको तो हमें पहले ही लेना पड़ेगा, इन्हीं चीजों में बिजली भी एक है। इस दृष्टि से देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि बिजली के फैलाव की ओर जो सरकार का ध्यान गया है वह बहुत ही धीमी गति से गया है, उसमें हमें तेजी करने की जरूरत है। मान्यवर, महात्मा लेनिन जो समाजवादी रूस के संस्थापक थे, उन्होंने समाजवादी क्रान्ति के बाद इस बात को कहा था कि अगर रूस की क्रान्ति का लाभ जनता को पहुंचाना है और सोवियट यूनियन के हर

गांव के निवासियों को क्रान्ति की चमक देनी है तो जरूरी है कि हर गांव में बिजली पहुंचाया जाय। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का भी यह लक्ष्य होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश के बड़े गांव कोई भी न बचें जिनके भीतर हम बिजली न पहुंचा सकें।

बिजली विभाग में जो बनिया मनोवृत्ति आज प्रचलित है--मेरा मतलब काफी मुनाफे से है--सरकार भी अगर इस विभाग को केवल मुनाफे के आधार पर चलावे तो उससे बिजली के प्रसार और फैलाव तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में बाधा पड़ सकती है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पूरा आधार केवल मुनाफे की बुनियाद पर है कि उसकी लागत कितनी है और कितना उसको उससे प्राप्त होगा, इसका तखमीना लगाकर ही कहीं बिजली दी जाती है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार मुनाफे के आधार पर चिपकी रही तो उससे नुकसान होगा, इसलिये इसमें कुछ ढीलापन होना चाहिये। अगर सरकार को थोड़ा बहुत कहीं बिजली लगाने से घाटा भी हो और जनता को उससे लाभ होता हो तो सरकार को उदारतापूर्वक इस विषय में आगे बढ़ना चाहिये।

महंगी बिजली की शिकायत बराबर की गयी है और बिजली का रेट भी प्रदेश भर में एकसा नहीं है। उत्तर, पूरब, पश्चिम, मध्य या दक्षिण जहां भी देखिये, हर जगह बिजली का रेट अलग-अलग है। यह एक बहुत बड़ी अड़चन है जनता व उपभोक्ताओं तक बिजली ले जाने में, इसलिये बिजली के रेट में एक यूनिफार्मिटी हो यानी एक-सा रेट होना चाहिये। इसके लिये सरकार को सोचना होगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनकी चर्चा माननीय मन्त्री जी ने भी की है और जो अभी निजी हाथों में हैं। वे निजी कम्पनियां बहुत दिनों से काम कर रही हैं। जितनी उनकी पूंजी लगी है उसका काफी बड़ा हिस्सा वे मुनाफे के रूप में ले चुकी है। आज इस बात की जरूरत है, विशेषकर के आज की लड़ाई के माहौल को देखते हुये और सरकार के अपने साधनों की कमी को देखते हुये जिसके लिये टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है और जैसा अभी भी विचार किया जा रहा है, अब सरकार इन बिजली कम्पनियों को जो निजी हाथों में हैं, एक कलम अपने हाथ में ले, यानी उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। क्योंकि ये कम्पनियां मजदूरों को सस्ती मजदूरी देकर और उपभोक्ताओं के हाथ महंगी बिजली बेचकर और सरकार से भी सहायता लेकर तीन तरफा मुनाफा कमाती रही है और लाभ उठाती रही है। आज सरकार से अपेक्षा की जाती है और माननीय मन्त्री जी से आशा की जाती है कि वे कड़ाई के साथ कदम उठावें और प्रदेश में जितनी भी प्राइवेट बिजली कम्पनियां हैं उनको राज्य अपने हाथ में ले ले। इस बात की अब उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, कि सरकार का बिजली विभाग पूंजीपतियों के साथ रियायत करता है और उपभोक्ताओं को बिजली मंहगे दाम में देता है। यह २ प्रकार का व्यवहार, जनता के साथ एक प्रकार का और जनता के ऊपर बड़े-बड़े मुनाफा कमाने वालों के साथ दूसरे प्रकार का नहीं होना चाहिये, बल्कि जनता को भी सस्ते रेट पर बिजली मिलना चाहिये। छोटे कन्जयूमर्स को सस्ती बिजली मिलेगी तो वह भी छोटे उद्योगों में बिजली का उपभोग कर के तरक्की करेंगे, उनको लाभ होगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ बेकारी की समस्या भी कम होगी।

बिजली की सप्लाई समय से न होने से सिंचाई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जो देहात से सम्बन्ध रखते हैं वह जानते हैं कि अक्सर सीज़न पर यानी सिंचाई के समय पानी नहीं मिलता और इसका नतीजा यह होता है कि मौके पर पानी न मिलने सें मटर, गेहूं और ऊख आदि की फसल खराब होती है और इससें किसानों का और देश का नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि बिजली और सिंचाई के महकमे में समन्वय और कोआर्डिनेशन होना चाहिये और बिजली की सप्लाई कुओं के लिये समय पर मिले और वह किसी भी दशा में बन्द न होने पायें।

बिजली की दर अधिक होने से सिंचाई किसानों को बहुत मंहगी पड़ती है। सरकार का सिंचाई की दर बढ़ाने का कदम उचित नहीं है, उसने जो छूट दे रखी थी वह समाप्त कर दी है,

[श्री झारखंडेराय]

इसके मन्सूख करने सें किसानों पर बोझ और बढ़ गया है। इस का नतीजा यह हुआ है कि बजाय इसके लिये कि किसान अधिक पानी लेकर पैदावार बढ़ाते, इन्होंने रेट अधिक होने के कारण पानी लेना बहुत हद तक बन्द कर दिया है। इसलिये जरूरत इस बात की है कि किसानों को सिंचाई के लिये सस्ती बिजली दी जाय।

हमारे सरकारी उद्योग एक आदर्श होने चाहिये। उन में मजदूरों के साथ व्यवहार, मजदूरों के अधिकार, उनके हित की सुरक्षा,इस तरह से एक नमूने के तौर पर होनी चाहिये जिस से निजी उद्योगों को प्रोत्साहन मिले और उनमें सत्य भय पैदा हो कि अगर वह आगे मजदूरों को अधिकार और सुरक्षा नहीं देंगे तो उन के खिलाफ सख्त कदम उठाये जा सकते हैं। लेकिन अगर स्वयं सरकारी उद्योगों में ही उनको कोई अधिकार नहीं मिलता, उनको यूनियन को मान्यता नहीं मिलती जो उनके नेताओं से अधिकारी बात तक करना पसन्द नहीं करते, अपमान समझते हैं, अगर यह नौकरशाहियत की जहनियत रहती है और मजदूरों के साथ जो व्यवहार सामन्तशाही और नग्नपूंजीवाद के जमाने में व्यवहार होता था वह होगा तो निश्चय ही वह असन्तुष्ट मजदूर कभी भी बिजली के अधिक उत्पादन करने में हिस्सा नहीं लेंगे और उससे उत्पादन बिजली का घटेगा, उस की मात्रा कम होगी। इसलिये सरकारी उद्योगों में मजदूरों के साथ ऐसा व्यवहार हो कि अन्य उद्योगों के लिये भी वह एक आदर्श की तरह हो। मैं चाहूंगा कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मजदूरों की मान्यता प्राप्त यूनियन की ओर से एक चुना हुआ आदमी मेम्बर होना चाहिये। मैनेजमेंट में भी उनका हिस्सा होना चाहिये जिसकी मांग बराबर प्रगतिशील क्षेत्रों में हो रही है। इसके लिये भी सरकार आदर्श पेश करे। इस तरह से मजदूरों के हितों की रक्षा होगी।

इसके अतिरिक्त बिजली का वेस्टेज बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अभी श्री ऊदल ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि बिजली को लाइन पर बहुत वेस्टेज होता है, उसके अलावा बड़े पैमाने पर जो दफ्तरों में बिजली का अपव्यय होता है उसकी तरफ भी ध्यान जाना चाहिये। क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बिजली बचाकर हम काफी मात्रा में बिजली इकट्ठा कर सकते हैं। एक-एक पैसा बटोर कर हमने राष्ट्रीय सुरक्षा कोषमें प्रदेश में ५, ६ करोड़ रुपरा इक्ट्ठा किया और केन्द्रीय खाते हैं ५० करोड़ के करीब हो गया है। इसी तरह जो बिजली दफ्तरों में वेस्ट होती है रुकना चाहिये। काम नहीं हो रहा है लेकिन बिजली जल रही है, पंखे चल रहे हैं, और कमरे में कोई नहीं बैठा है, इसका अनुभव हम यहीं विधान मण्डल और विधान भवन में करते हैं, अगर इस बिजली को बचाया जाय तो दूसरे कामों में उसका उपयोग हो सकता है। चीन हमारा विरोधी देश है, लेकिन हमारी सभ्यता का तकाजा रहा है कि दुश्मन में भी अगर कोई गुण हो तो हमको सीखना चाहिये और सीखा है। चीन में किसी भी आफिस में व्यर्थ न एक मिनट के लिये बिजली जल सकती है और न पंखा चल सकता है। काम के खत्म होते ही बिजली बन्द हो जाती है। यहां बाबू से लेकर साहब तक बिजली जलाकर चले जाते हैं लंच पर, दो-दो घंटे बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, न चपरासी बुझाता है और न पी०ए० बुझाता है। यह एक परम्परा-सी बन गई है जिससे बहुत बड़े पैमाने पर वेस्ट होता है जिसको बचाया जा सकता है तथा अन्य काम में उपयोग में ला सकते हैं। सड़कों पर आपको अनुभव होगा बिजली के बल्ब दिन-दिन भर जलते रहते हैं। अगर इन छोटी-छोटी बातों पर ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा पिछड़ा हुआ मुल्क जिसमें साधनों की अभी कमी है, सदा बनी रहेगी और यह कमी पूरी नहीं हो सकती। सब कमी का साधन एक ही सोचे कि जनता पर टैक्स लगायें इससे काम नहीं चल सकता। बचत का रास्ता भी अपनाना चाहिये।

जो मजदूरों की संस्थायें हैं उनके प्रति देश और प्रदेश के पूंजीपतियों का हमदर्दी का रुख नहीं है साथही सरकारी कर्मचारियों का भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिये और बिजली के मजदूरों से हमदर्दी होनी चाहिये। मन्त्री जी तथा विद्युत् परिषद् के जो चेयरमैन हैं यह मजदूरों की मीटिंग बुलायें और खुलेआम इस बात की गारन्टी करके कि कोई कुछ भी

कहेगा उसको नुकसान नहीं होगा, वह कमियों को बतावें और सुझाव दें जिनसे उनको दूर कर सकें, अगर ऐसा किया जाय तो गड़बड़ियों को दूर करने में काफी सहायता मिलेगी। वे कर्मचारी जो तार खींचते हैं, जो खंभे गाढ़ते हैं, जो लाइन पर काम करते हैं उनके सुझावों को अगर हम इक्ट्ठा करें तो हम लोग, जो ले मैन हैं और जो बड़े-बड़े साहब हैं जो विषय के मर्मज्ञ नहीं हैं उनसे उनको अधिक जानकारी होती है जो मौके पर काम करते हैं, उनके सुझावों को विभाग इक्ट्ठा करे तो विद्युत् विभाग की अन्दरूनी गड़बड़ियों के बारे में, मिसमैनेजमेंट के बारे में, वेस्टेज के बारे में, करप्शन के बारे में बहुत-सी बातें, जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़तीं वे, सरकार तक पहुंचेंगी। सरकार को इस नये कदम को उठाना चाहिये। रिहन्द की बिजली के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। जिस तरह से उसको दिया जा रहा है उससे पूर्व के लोगों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकेंगी। पूंजीपतियों को एक रेट पर और उपभोक्ताओं को दूसरे रेट पर उस बिजली को दिया जा रहा है, उसमें काफी फर्क है। मैं चाहूंगा कि जो भेदभाव की नीति है गरीबों और पूंजीपतियों के साथ उसे खत्म होना चाहिये।

रेडटेपिज्म का भूत इस विभाग में भी है। स्टेट इलेकट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन काफी सक्षम व्यक्ति हैं। उनकी योग्यता से विभाग में काफी सुधार हुआ है लेकिन फिर भी जो बहुत भारी भरकम ढांचा है और उसमें जगह-जगह गड़बड़ियां थीं वे दूर नहीं हुई हैं। मामूली कनेक्शन देने में अनहोनी देर की जाती है जिससे देर में काम होता है।

दो एक गांव और टाउन एरियाज के बारे में मुझे कहना है। आजमगढ़ जिले में एक गोंठा ग्राम है। मामूली टाउन एरिया से भी धनी है और १५, १६ हजार की साल में आमदनी है। दो साल से दरख्वास्त दे रखी है। गांव के आस-पास बिजली के खंभे हैं लेकिन बिजली गांव में नहीं पहुंची है। कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आजमगढ़ जिले में घोसी तहसील हेडक्वार्टर है, उसके आस-पास ४ गांव सभायें हैं। घोसी विकास केंद्र है, घोसी मैकापुर-समसपुर-बड़ागांब और खटीमुकानपुर तहसील हेडक्वार्टर है, घोसी थाना है। चारों गांव सभाओं को एक यूनिट मान कर बिजली सप्लाई की जा सकती है। कुछ मानी में हुई है और कुछ मानी में नहीं हुई है। सरकार इस ओर जल्दी ध्यान देगी और पूरी गांव सभा को एक यूनिट मान कर बिजली देगी।

गाजीपुर जिले में बहादुरगंज एक मशहूर टाउन एरिया है। कासिमाबाद और मऊ के बीच में वह पड़ता है। टौंस के किनारे है। बाढ़ आती है तो पानी से घिर जाता है और आस-पास से कट जाता है। वहां विभाग ने बिजली उदारता पूर्वक सप्लाई की है लेकिन आधे में की है और आधे में नहीं की है। मेरा निवेदन यह है कि पूरे में यह बिजली सप्लाई की जाय।

यह मुनाफे वाली प्रवृत्ति को सरकार को खत्म करना चाहिये और उदारतापूर्वक टाउन, कस्बे तथा गांवों को बिजली देना चाहिये। राज्य विद्युत् परिषद् का मतलब यह नहीं है कि व्यापार और मुनाखोरी करे।

कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं। यह एक ऐसा अनुदान है कि जिसका सभी सम्मानित प्रतिनधि तथा प्रदेश की जनता हृदय से समर्थन करती है और जिसकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की कामना करती है। रस्मीतौर पर माननीय ऊदल जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा हो लेकिन वे भी उसे वापस लेने को सहमत होंगे।

पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि यह एक ऐसा विषय है, जैसा कि मैंने सिंचाई के अनुदान पर बोलते हुये कहा था कि विद्युत् और सिंचाई का हमारे जीवन से बड़ा गहरा सम्बन्ध है विशेषरूप से जब हमारे यहां पर बेकारी, बेरोजगारी और बीमारी है। मैं यह समझती हूं कि सिंचाई के

[कुमारी श्रद्धादेवी]

के लिये हमारी जितनी नदियां हैं उनमें पर्याप्त जल नहीं है, इसलिये सिंचाई के लिये भी हमारी बिजली की उत्तरोत्तर वृद्धि की परम आवश्यकता है। सिंचाई के द्वारा ही हमारे यहां रा मैटीरियल पैदा होता है जिसके जरिये उद्योग-धन्धा बढ़ता है और उन उद्योग-धन्धों से हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है। इस तरह से आज बिजली का हमारे जन-जीवन से हमारे स्वास्थ्य से भी गहरा सम्बन्ध है। मौत से तो कोई लड़ नहीं सकता, बाकी आज इस बिजली के जरिये डाक्टर लोग एक्स-रे करते हैं, आपरेशन करते हैं और उन आपरेशन्स के लिये सूक्ष्मतम यन्त्र बनते हैं उसका भी आधार, हमारे जन-जीवन की आयु बढ़ाने का आधार चाहे औषधियों के रूप में हो, चाहे और किसी रूप में हो, यह बिजली ही है। इसलिये इसका महत्व हर दृष्टि से बहुत बढ़ गया है।

श्रीमन्, इस विभाग ने उत्तरोत्तर वृद्धि की है। कुछ कारणवश हमारी प्रथम और द्वितीय योजनाओं में आशातीत वृद्धि नहीं हो सकी क्योंकि फारेन एक्सचेन्स, इस्पात और शिक्षित कर्मचारियों की कमी थी। दुनियां के हर देश में इन कारणों से बिजली की उन्नति में गतिरोध रहा है और वह हमारे यहां भी रहा। लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इसकी प्रगति उत्तरोत्तर ही रही है जिसके लिये विभाग और सरकार, दोनों बधाई के पात्र हैं। सरकार पुरानी योजनाओं की पूर्ति करते हुये कई नवीनतम योजनाओं को पूरा करने जा रही है जिसका बजट आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आज इस हाइड्रोजन और ऐटम बम के युग में और चन्द्र लोक में दुनिया बसाने के युग में मैं यह कह सकती हूं कि बिजली ही एक मात्र ऐसा साधन है जिसके कारण हम इस दुनिया में जो विज्ञान के कारण अब बहुत छोटी हो गयी है। १५ वर्ष से स्वतन्त्रता प्राप्त यह देश और प्रदेश सदियों से उन्नति किये हुये वैज्ञानिक देशों के साथ दौड़ सकते हैं। आज इस देश की जनता शहरों में या गांवों में अधिक रहती है क्योंकि हमको दौड़ना है उन देशों के साथ जो समुन्नत और समृद्धशाली हैं, जहां पर उत्पादन समुद्रों में डाला जाता है और जहां पर आप के युग में हमारी सीमाओं पर चीन ने अपने वैज्ञानिक साधनों के जरिये साहस किया है हमारी स्वतन्त्रता को खतरा पैदा करने का। ऐसे युग में अगर हमें स्वतन्त्र रहना है तो अपनी ७५ फीसदी जनता को साथ लेकर चलना होगा। मुझे थोड़ा सा यह देखकर खेद होता है कि हमारा जितना ध्यान बिजली के वितरण में शहरों की तरफ गया है उतना गांवों के ट्यूववेल्स या उद्योग धन्धों की तरफ नहीं गया। मैं थोड़ी सी तुलनात्मक दृष्टि से उसकी यहां पर विवेचना करूंगी। रिहन्द डैम से उत्पादित बिजली का वितरण इस प्रकार है। बड़े उद्योग धन्धों में ५१ प्रतिशत, कुटीर उद्योगों में ११ प्रतिशत, कृषि व सिंचाई दोनों में ५ प्रतिशत, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में १५ प्रतिशत, शहर और गांव के विद्युतीकरण के लिये ८ प्रतिशत, मध्य प्रदेश को १० प्रतिशत। दूसरे शब्दों में मैं यह कहूं कि ४० हजार किलोवाट अलमूनियम फैक्टरी को, ३० हजार किलोवाट पिपरी फैक्टरी को, साहूपुर को ६ हजार किलोवाट, चुर्क फैक्ट्री को ७ हजार किलोवाट, मिर्जापुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी को १ हजार किलोवाट, इलाहाबाद इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम्पनी को ३ हजार किलोवाट और साहू केमिकल्स को ५ हजार और राजकीय नलकपों को भी ५ हजार किलोवाट बिजली दी जा रही है। इस बात की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

हमारे प्रदेश में बिजली का कंजम्पशन ८६५.७१ लाख यूनिट है जिसमें से उद्योगों पर ६४ प्रतिशत है और कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों पर केवल ८ प्रतिशत है और कानपुर में उद्योग धन्धे गांवों में नहीं चलते हैं क्योंकि वहां जीरो प्रतिशत है। मैं मुख्य मन्त्री तथा उप मन्त्री से निवेदन करना चाहती हूं, वे बड़े सहृदय व्यक्ति हैं और जितने गांव वाले उनके पास आते हैं उनसे सब प्रसन्न होकर ही जाते हैं, जितना उनके पास है वह देते ही रहते हैं और देने की आशा भी दे देते हैं। लेकिन यह पालिसी का सवाल है। इसमें मन्त्री जी, अपने विभागीय कर्मचारी और अधिकारी जो बड़े सहृदय और उत्तम हैं और शायद अमरीका से उनकी मांग हुई है, वे गांव की तरफ अपना उचित ध्यान देंगे, ऐसा मन्त्री जी उनसे कहेंगे, यह मेरी प्रार्थना है, जनता की तरफ से और गांव के प्रतिनिधियों की तरफ से।

अन्त में श्रीमन्, जैसा कि इधर और उधर से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि बिजली का बड़ा भारी वेस्टेज है, जितना वह होगा उतना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जहां तक हो सके इस इमर्जेंसी के जमाने में हीटिंग और कूलिंग आदि पर कमी करनी चाहिये। दूसरी चीज यह है कि जिन जिलों में ट्यूबवेल्स हैं और जो ६–७ हजार घंटे तक चलते हैं उनका बिजली से सैचूरेट कर दीजिये ताकि बेकारी की समस्या दूर हो सके। मैं चाहती हूं कि जहां पर ट्यूबवेल्स सैचूरेट किये जायं वहां पर उद्योग धन्धे भी दे दें ताकि वहां स्त्री-पुरुष अपनी दशा को सुधार सकें। वे स्त्री, पुरुष किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र के हों, चाहे पश्चिमी जिले, जहां के आदमी और ज्यादा मेहनतकश होते हैं, वहां के इलाकों को सैचुरेट किया जाय उद्योग धन्धों तथा सिंचाई से।

दूसरे मैंने पढ़ा है, यदि मैं गलत होऊं तो मुझे ठीक कर दिया जाय, कि जो लोग १०० किलोवाट से बिजली ज्यादा लेंगे उनके साथ बिजली की दर में रियायत की जायगी, ऐसा आपके विद्युत परिषद् ने २९ मई, १९६२ को तय किया है। इनमें ज्यादातर बड़े-बड़े उद्योगपति होंगे और जो छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले गरीब आदमी कम बिजली लेंगे उनके लिये रेट ज्यादा होगा। मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ तो आप छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाने जा रहे हैं, छोटे-छोटे उद्योग द्वारा बेकारी की समस्या दूर करने जा रहे हैं, जमीन पर से भार दूर करने जा रहे हैं। दूसरी ओर गरीबों को बिजली ज्यादा मूल्य पर देकर राज्य विद्युत परिषद् अपना लास पूरा करेगी। गरीबों के प्राफिट से नो प्राफिट नो लास के आधार पर अमीरों को सहूलियत देना चाहते हैं और दूसरी ओर उनके लिये बिजली के रेट्स कम रखते हैं। मैं चाहूंगी कि छोटे-छोटे उद्योगों के बिजली रेट्स कम होने चाहिये और उनको सबसिडी मिलनी चाहिये। इसके लिये सदन का हर दल तैयार होगा। आप सैचुरेशन कीजिये, कम रेट पर बिजली दीजिये और नो प्रोफिट नो लौस की बेसिस पर उनको सहूलियत दीजिये।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं, माननीय ऊदल ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी ने विद्युत शक्ति के उत्पादन में जो वृद्धि की है उसके लिये धन्यवाद देता हूं और सहर्ष धन्यवाद देता हूं, यद्यपि माननीय मन्त्री जी ने बड़ी उपेक्षा बुन्देलखंड के साथ की है और किसानों के साथ विशेषतौर से, जैसा कि माननीय झारखंडेराय तथा अन्य सदस्यों ने बताया कि किसानों को विद्युत शक्ति देने में विशेष रूप से उपेक्षा की गई है।

मान्यवर, प्रदेश की प्रगति का भार दो तीन चीजों पर आधारित होता है, प्रदेश में कितना पावर का उत्पादन होता है, कितना कोयले का उत्पादन होता है कितना इस्पात का उत्पादन होता है। प्रशासनिक आधार पर तीन चीजों का इकट्ठा होना आवश्यक होता है। प्रशासन में पावर इंडस्ट्री और प्लानिंग तीनों चीजें एक ही मन्त्री के पास होनी चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री ने पहले प्लानिंग अपने से अलग किया, परन्तु बाद में इंडस्ट्री को भी अलग कर दिया। केवल पावर ही रह गया है अलग हो जाने से एक दूसरे से सम्बन्ध टूट जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे प्रदेश ने जो प्रगति की है वह प्रगति बहुत धीमी है। वेस्ट बंगाल ने ८०.८ परसेंट, गुजरात और महाराष्ट्र ने ६०.१ परसेंट पावर का उपयोग किया है जबकि यू० पी० ने केवल १२.७ परसेंट का किया है। सरकार उद्योगीकरण जिस तेजी से बढ़ाना चाहती है उसका नमूना सामने इन आंकड़े में आजाता है। सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया था कि १५सौ गांवों में बिजली दी जायगी। पर आज प्रदेश की बड़ी-बड़ी म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज बाकी हैं

[श्री विजयसिंह]

जिनमें अब भी बिजली नहीं है। अभीभी, एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रदेश में इतनी प्रगति की है कि गांवों में बिजली का प्रकाश दिखायी देता है। शायद सड़कों पर जलते हुये दिखायी देते होंगे पर बिजली इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हुई है। देहात में नान टेक्निकल आदमी हैं, देहात के कृषि उपकरणों का मैकेनिक जो बढ़ई और लोहार है, वह बिजली से क्या सामान बनाना चाहते हैं। लेकिन न उनके पास नये प्रकार के उपकरण हैं और न बिजली है। कृषि में विशेष रूप से इसकी उपेक्षा की गई है जब कि शहर में सुख साधनों में बिजली का दुरुपयोग होता है। देहात में मेकनाइज्ड फार्मिग आ गई है लेकिन उसमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों के पुर्जे शहर से व विदेशों से भी मंगाने पड़ते हैं। महीनों और हफ्तों ट्रैक्टर, पुर्जे न मिलने के कारण खड़े रहते हैं जिससे खेती के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है। अगर देहात में बिजली हो तो वह छोटे-छोटे पुर्जे वहीं बन सकते हैं। देहाती लोहारों को नये रूप से समझा कर, ट्रेनिंग देकर उन्हें छोटे-छोटे पुरजे बनाना सिखाया जा सकता है और खेती के उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। यह आवश्यकता है कि 'टेक्निकल नो हाऊ' पैदा करके छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को पैदा किया जा सकता है। देहात में जो ऐग्री इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिये और फसलों की प्रासेसिंग होनी चाहिये आज उसका बिलकुल अभाव है। आज देहातों में बहुत सा बीज बरबाद हो जाता है और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आपने बड़े-बड़े सीड स्टोर शहरों में कायम कर रखे हैं। अगर वह देहातों में बीज इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाये जाते तो देहातों में बिजली का ज्यादा उपयोग सिद्ध होता और बीज भी cold storage में सुरक्षित रहता।

मान्यवर, सिंचाई के साधनों में ट्यूबवेल्स में बिजली का उपयोग होता है। उसका जिक्र बहुत हो रहा है जिसके पानी का इस्तेमाल न होने का मुख्य कारण यह है कि बिजली की दरों में सरकार ने ज्यादा बढ़ोत्तरी कर दी है और इसी कारण ट्यूबवेल बन्द पड़े रहते हैं और लोगों ने पानी लेना भी बन्द कर दिया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर किसानों का रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है जैसे कि और हर किस्म के लोगों के यहां प्रतिनिधि पहुंचने का प्रश्न है वैसे ही किसानों का भी प्रतिनिधि वहां होना चाहिये जो अपनी बात वहां कह सके और समझा सके। मान्यवर, माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि देश की पंचायतें और पावर हमारे देश का उज्जवल नक्शा पेश करती है। पंचायतों की बात तो ठीक है परन्तु पावर का नक्शा हमारा उस स्थान पर नहीं पहुंच रहा है जिस पर कि उसे पहुंचना चाहिये था। पावर की जो प्रदेश में परिस्थिति है उसका ज्ञान अब तक मान्यवर, आपको स्पष्ट हो गया होगा। प्रदेश में दो इलाके बड़े गरीब माने जाते हैं। एक तो बुन्देलखंड जिसमें चार जिले हैं—झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा और दूसरा पूर्वी इलाका। पश्चिमी इलाके में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ही और पूरब में भी सरकार ने कृपा करके गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने की तरफ ध्यान दिया है लेकिन उन चार जिलों के अन्दर कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहां पर लोग कुछ काम पा सकें। माताटीला डैम की एक योजना सरकार ने बनाई कि उससे बिजली वह इन जिलों को देगी। पर वह योजना क्या हुई, पता नहीं कागज पर रह गई या क्या हुई? अब कुछ काम हो रहा है लेकिन कब, कैसे, क्या होगा? कैसे बिजली वहां तक आयेगी? यह नहीं मालूम बुन्देलखंड की जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है सरकार को, चूंकि टेक्निकल आफीसर का सारा मामला है,इस प्रकार से सरकारी अधिकारी दबा लेते हैं कि वह इस बात को नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है? टेक्निकल मामले को सरकार नहीं समझ पाती। मान्यवर, कानपुर से जालौन जिले को बिजली गई। इसके लिये मैं माननीय चतुर्भुज शर्मा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत जोर लगाया और जालौन में बिजली ले जाने की कोशिश की। ओरई से जालौन के लिये बिजली गई और ओरई से कोंच जाने की व्यवस्था की गई। मान्यवर, जालौन से कोंच १४ मील पड़ता है और ओरई से १९ मील पड़ता है।

एक सदस्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विजयसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि बिजली जो जालौन से कोंच जाने को थी वह ओरई से ले जाई गई जोकि वहां से १९ मील दूर है जबकि जालौन से १४ मील दूर पड़ता था। बिजली ले जाने का ८ हजार रुपया एक मील पर खर्चा पड़ता है। इस तरह से ४० हजार रुपया का नुकसान हुआ। इसके अलावा ओरई से कोंच जाने में बीच में कुल चार गांव पड़ते हैं जबकि जालौन से कोंच जाने में ७ गांव पड़ते हैं। और जहां तक आबादी का सवाल है ओरई से कोंच के बीच के गांव की आबादी ४ हजार है और जालौन से कोंच के बीच के गांवों की आबादी ८,८ हजार तक है। मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था, मैंने भी इसके लिये चेष्टा की, पर यह उत्तर मिला कि टेक्निकल प्वाउंट आफ व्यू से वह ठीक नहीं है। मान्यवर, उसमें टेक्निकल बात कोई भी हो सकती है लेकिन यह नहीं देखा कि उससे कितना ज्यादा जनता को लाभ होता और सरकार का ४०,००० रुपया बचता और अब सरकार का उसमें कितना पैसा खर्चा हुआ और लाभ भी कम हुआ। मेरे कहने का आशय यह है कि बिजली जालौन से जाती तो बहुत ज्यादा दूसरे लोगों को भी उससे फायदा होता। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात की जांच कराये और देखे कि सिर्फ टेकनिकल बात को लेकर ही यह कहना कि इस तरह बिजली नहीं जा सकती, यह ठीक नहीं है। किसी भी तरह सरकार उस Technical कमी को पूरा करके और थोड़ा पैसा खर्च करके और उसे ४० हजार की सेविंग के अन्दर उसको कर सकती थी। मेरा सुझाव है कि सरकार एक हाई पावर कमेटी को नियुक्त करे, जो प्रदेश में यह देखे कि कौन-कौन से क्षेत्रों में बिजली की आवश्यकता है और विशेष रूप से जालौन से कोंच बिजली लाने के असुविधा पर विचार करे और कौन-कौन सी वहां पर इंडस्ट्री कायम हो सकती है। उसी आधार पर सरकार वहां पर बिजली दे। मान्यवर, मैंने जैसा निवेदन किया, कमेटी में किसानों का प्रतिनिधित्व अवश्य हो। मैं इतनी बात कह कर माननीय ऊदल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो अनुदान माननीय मन्त्री जी ने सदन के सन्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे पहला निवेदन यह करना है कि उसमें जो यह लिखा हुआ है कटौती के प्रस्ताव में कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय, कमी का कारण-विभागीय नीति की आलोचना तथा सुझाव देना, तो सुझाव तो कोई आया नहीं, आलोचना हुई है विरोधियों की तरफ से। यह मेरा निवेदन है कि जहां तक विभागी नीति की आलोचना करने की बात है हम उनकी नीति की आलोचना करें तो यह कटौती का प्रस्ताव वापस हो जाय। दूसरी चीज यह है कि इस अनुदान में बिजली के सम्बन्ध में मुझे निवेदन आजमगढ़ के सम्बन्ध में करने हैं। आजमगढ़ में मधुबन थाना है। १९४२ में आन्दोलन में वहां के लोगों ने बड़ा भारी भाग लिया था। वहां पर १५, २० आदमियों ने अंग्रेजी सरकार की गोलियों से अपनी जान गंवाई थी। वह स्थान ऐसा है जो देवरिया जिले, बलिया जिले और आजमगढ़ जिले की सरहद पर पड़ता है। पिछले वर्ष भी इस बात की मांग की गई थी कि वहां पर बिजली लगनी चाहिये और इस वर्ष और भी हमारा निवेदन है कि मन्त्री जी को वहां के लिये फिर ध्यान देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री इन्द्रासनसिंह]

पिछले वर्ष जो माननीय मन्त्री जी की तरफ से एक किताब छपी थी जिसमें आजमगढ़ जिले में जिन जगहों में बिजली लगाने का कार्यक्रम था उसमें सगड़ी तहसील में आजमगढ़ कप्तानगंज और जियनपुर में बिजली लगनी थी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य शुरु नहीं हुआ है। जिन सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया है, मैं ऐसा समझता हूं कि वे लोग प्रकाश की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और अन्धकार में रहना चाहते हैं। प्रदेश में रिहैंड डैम से बिजली मिलने की बात है। आजमगढ़ और पूर्वी जिलों के सभी लोग बड़ी आशा भरी निगाह से उस तरफ देख रहे हैं कि बिजली जल्द से जल्द आजमगढ़ और पूर्वी जिलों को आये और वहां के लोगों की गरीबी दूर हो, छोटे मोटे उद्योग धन्धे बढ़ें, देहातों की बेकारी खत्म हो। यहां पर जितने माननीय सदस्य हैं, मैं समझता हूं अधिकांश लोग देहात के रहने वाले हैं जहां पर बिजली नहीं है। यह सबकी इच्छा है और हर एक यह चाहता है कि देहातों में प्रकाश हो। देहात का अन्धकार मिटे, चाहे वह आर्थिक हो अथवा सामाजिक। ऐसी हालत में मैं चाहता हूं कि बिजली का विस्तार गांव में जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिये क्योंकि हमारी समस्यायों के समाधान का एक मुख्य माध्यम बिजली ही है जिससे हम अपनी बेकारी और बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले में एक वर्ग मील एरिया में ८५० से १०५० तक की आबादी पड़ती है और खेती कम है। खेती की पैदावार तथा उद्योग धन्धे बढ़ाने के लिये बिजली बहुत आवश्यक है। हमारे यहां छोटी-छोटी नहरें और नलकूप बिजली से चलते हैं, लेकिन कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। उन स्थानों पर सरकार को बिजली देनी चाहिये। दूसरे जहां ट्यूबवेल लगे हैं वहां इर्द गिर्द आटे की चक्की और चावल कूटने की मशीनें आदि लगनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे फायदा उठा सकें। इन शब्दों के साथ, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बिजली के अनुदान पर बोलने का समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, इस वर्ष का बजट अधिवेशन ४ फरवरी को प्रारम्भ हुआ था और उस समय से प्रतिदिन कोई न कोई अनुदान सामने आता रहा है। हमारे सदन के अनेक सदस्यों ने मन्त्रियों को भाषणों द्वारा रोशनी दी, किन्तु माननीय मन्त्री जी का यह विभाग ही दूसरों को रोशनी देता है इसलिये विद्युत मन्त्री जी को क्या रोशनी दी जाय, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको कहे बिना नहीं रहा जा सकता।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि जब से प्रान्त में अधिक बिजली का उत्पादन हुआ है तब से जनता को काफी लाभ हुआ है। पी० डब्लू० डी० और सिंचाई और बिजली, ये बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। यह अच्छा ही है और हमारे सिंचाई मन्त्री जी यहां बैठे हुये हैं। मैं सिंचाई विभाग के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं जिनका सम्बन्ध बिजली से है। सरकारी नलकूपों के साथ-साथ बहुत से प्राइवेट लोगों के नलकूप हैं और वे आयल इंजन से चलाये जाते हैं और लोग अपनी सिंचाई भी करते हैं और अन्य सिंचाई कर उससे पैसा कमाते हैं, लेकिन जब वे बिजली लेने जाते हैं तो उनसे नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाता है और यह प्रतिबन्ध उन पर लगाया जाता है कि तुम इससे अन्य लोगों की आबपाशी नहीं करोगे। यह कठिनाई किसानों के सामने है। पिछले वर्ष जब रात को १० बजे बिजली आती थी तो किसान आतुर रहता था आबपाशी करने के लिये। यह सोचते हैं कि गवर्नमेंट का यह क्या तरीका है। वह रात के दस बजे बिजली आने पर अपनी आबपाशी ठीक नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आयल इंजनों से बड़ी आबपाशी हुई और बड़े किसानों ने इससे पैसा कमाया है। किसानों ने कहा कि आयल इंजन अच्छा साबित हुआ है। जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, उसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। मुझे याद है कि १५०० एकड़ जमीन उस पर लगी होती है। सिंचाई मन्त्री जी जांच कराके कितना

उस कूप के ऊपर रकबा लगा हुआ है और कितनी आबपाशी उस कूप पर हुई है, उतना प्रत्येक कुयें का फालतू रकबा काट दें, जिससे कि रहट के कुवें आदि लगा सकें। मैं माननीय बिजली मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सिंचाई मन्त्री जी से मिल कर इस विषय में कोई योजना बनायें, जिससे थोड़ी जमीन वाले भी बिजली पा सकें और उससे उनको कोई कठिनाई न हो। मैं यह कह देना चाहता हूं कि बिजली के वितरण का एक भाग जिलाधीश के पास भेजते हैं। वहां पर वह एक कमेटी बनाते हैं। मुझे तो अपने जिले के मुताल्लिक यह कहना है कि वहां पर जो आपकी पार्टी के अधिकारी हैं और जिलाधीश हैं, आप देखें कि जिलाधीश ने सारा भार कमेटी के अधिकारी के ऊपर डाल रखा गया है। जो वहां पर पार्टी अधिकारी के क्लर्क हैं जब उनके पास बिजली की दरख्वास्त लेकर कोई आ जाता है, तो वह उनसे रिश्वत का पैसा तय करके यह कहते हैं कि इतना पैसा दो तो बिजली दिला देंगे। इस तरह से पैसा लेकर बिजली दी जाती है। इसकी सूचना मैंने मन्त्री जी को दी थी और उन्होंने उस दिशा में कुछ सुधार भी किया है। हमारे भाई माननीय हिम्मत सिंह जी ने कहा था कि १५ हार्स पावर जो बिजली मांगता है, उसको ढाई हार्स पावर बिजली दी जाती है। यह तो वह बात हुई कि जिस प्रकार से सीमेंट की बोरी दी जाती है, उसी प्रकार से १५ हार्स पावर मांगा तो ढाई हार्स पावर दिया। जब १० हार्स पावर मांगने पर केवल ढाई हार्स पावर दी जाती है, तो लेने वाला यह कह कर कि हमको ऐसी बिजली की आवश्यकता नहीं है, उसको छोड़ कर चला जाता है। मैं यह चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा उस कमेटी में जिलाधीश, गैरसरकारी व्यक्ति भी रखें। ऐसी दशा में उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं माननीय मन्त्री जी की तारीफ करूंगा कि वह सारे उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रार्थनापत्रों पर बिजली देते हैं, लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि वह रात के लिये ही देते हैं। इसके फलस्वरूप उन मजदूरों का स्वास्थ्य खराब होता है और रात में उन मालिकों को भी बैठना पड़ता है अपने माल की रक्षा के लिये बैठते हैं। इस लिये उनको दिन की बिजली देनी चाहिये।

श्रीमन, हमारे देश में गन्ने की पैदावार बढ़ी है। आप देखें कि कुछ जमीनों पर मूंगफली की भी पैदावार होने लगी है, जिससें कि तेल के कारखाने लगे हैं और उत्पादन बढ़ा है। उसके लिये जो प्रार्थनापत्र आते हैं उनको मेरी राय में दिन की बिजली दी जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि कई सदस्यों ने टाउन एरिया की बिजली के बारे में कहा और म्युनिसिपैलिटी के बारे में भी कहा है। मैं १५-२० साल तक टाउन एरिया का मेम्बर रहा हूं। यह कोई मंत्री जी के हाथ की बात नहीं है। वह तो वहां के निकायों के हाथ की बात है। वही बिजली का प्रबंध किया करती है। यहां पर माननीय लोकल सेल्फ मिनिस्टर नहीं हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि जैसे वह प्रत्येक कस्बे को नाली, खड़ंजा आदि के लिए एड देते हैं, उसी प्रकार उनको बिजली के लिये भी एड देनी चाहिए और इस प्रकार की सहायता से कस्बों के प्रत्येक भाग में बिजली का काम पूरा हो सकता है।

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की जो चोरी होती है, उसके लिये वह प्रत्येक जिले में छान-बीन करायें। बिजनौर की बात हमारे साथी हिम्मत सिंह जी ने कही। मैं आप को बता दूं कि वहां पर १ लाख ८० हजार की चोरी किसी फैक्टरी ने बिजली की की है। मुझे आशा है कि मंत्री जी छानबीन करायेंगे।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)---

अधिष्ठाता जी, मैं आप का कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्रीमन्, मैं माननीय विद्युत् मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं। हम एक ऐसे प्रदेश के निवासी हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यवीर कुंवर]

जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। हमारी एकानमी कृषि पर आधारित है। हम इस पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का तरफ जा रहे हैं। तो यह दोनों, कृषि और उद्योग, बिजली के ऊपर आधारित है। मैं समझता हूं कि जो मांग की गई है वह बहुत नाकाफी है। यद्यपि आजादी के बाद हमने बिजली के उत्पादन में उन्नति की है। पहले जो ३३७.११ हजार किलोवाट बिजली का हमारा उत्पादन था वह अब आजादी के बाद ५६६.५९ हजार किलोवाट हो गया है इसलिये इसमें कोई शक नहीं है कि विद्युत् मंत्री जी ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है और हम उनको धन्यवाद देते हैं। इतनी ही बिजली से हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता जैसा कि माननीया श्रद्धा देवी ने कहा कि ७५ फीसदी से अधिक कृषक इस प्रदेश में रहते हैं किन्तु बिजली के वितरण का ढंग ऐसा है कि उसका बहुत कम हिस्सा मिलता है। मैं उनका समर्थन करता हूं। विजली का वितरण ऐसा होना चाहिए थे जिससे काश्तकारों को पर्याप्त हिस्सा उनको मिलता।

श्रीमन्, इसी प्रकार हमारे यहां जो योजनायें बन रही हैं, जैसे रामगंगा प्रोजेक्ट और माताटीला आदि उनमें जब तक हमारी थरमल पावर की विशेष योजना जैसे गंगा की योजना नहीं बन जाती तब तक हमको पर्याप्त मात्रा में बिजली सुलभ नहीं हो सकती। हमारे यहां पानी बहुत है। यदि कोई बांध हिमालय में हाइडल प्रोजेक्ट का बन जाय तो पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। श्रीमन्, हमारे विद्युत् मंत्री, १५ हार्स पावर बिजली ग्रामीण जनों को दे रहे हैं लेकिन श्रीमन्, ऐसी बिजली से फायदा क्या, जब कि लाइसेंस तो है लेकिन न तो वहां ट्रांसमिशन लाइन है और न कनेक्शन ही इसलिए ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि कृषकों और उद्योगपतियों की मांगों को तब माना जाय, नहीं तो उन्हें वर्षों इन्तजार करना पड़ता है कि कब लाइन लगेगी, जब साथ ही साथ ट्रांसमिशन लाइन हो और आप कनेक्शन दें। जब तक आप कनेक्शन नहीं देते हैं तब तक तो जो आप करने जा रहे हैं, वह सब बेकार जाता है।

इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बहुत कार्य किया और डेफीसिट जो जा रहा था उस को वह सरप्लस ले जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जितने पिछले कर्जे थे वह सब बेबाक हो जायेंगे और हम अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे। विजय सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि कृषकों का रिप्रेजेंटेशन वितरण के कार्य में होना चाहिये क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में ७५ फीसदी कृषकों के रहते हुए भी उनके हितों की रक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो सकी है। तो निवेदन है कि कृषकों का रिप्रेजेंटेशन विशेषकर इस प्रदेश के अन्दर, जहां लघु उद्योगों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, हो। वह काम तभी हो सकेगा जब वितरण ठीक प्रकार से हो सके अन्यथा मेरा नम्र निवेदन है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज में तथा ऐग्रीकल्चर में भी पूर्णतया प्रगति नहीं कर सकेंगे। इन सुझावों के साथ, मैं माननीय विद्युत् मंत्री की मांगों का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि और भी अधिक हम लोगों को, विशेषकर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अधिक मात्रा में बिजली मिलनी चाहिये। कई जगह डेफिसिट दिखाया जा रहा है, रुड़की और मुरादाबाद में भी यही है, मगर उसके सही हिसाब का कोई पता नहीं लग लग रहा है। उस पर कोई नियन्त्रण सरकार का होना चाहिये। इन सब सुझावों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सभी मानते हैं कि देश की उन्नति के लिए विद्युत् शक्ति भगवान की शक्ति से कम नहीं है। जो लोग बादलों की ओर देखना चाहते हैं, बिजली के महत्व को नहीं समझते, उनके लिये भले ही इसका मूल्य कुछ न हो, मगर किसी भी पिछड़े हुये देश या प्रदेश की तरक्की के लिये बिजली का होना बहुत जरूरी है। हमें आज यह देखना है कि द्वितीय योजना के बाद हमने इस ओर कितनी प्रगति की। फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन आदि ऐसे जिले हैं जो गंगा और जमुना के किनारे हैं और वहां पर सिंचाई के कोई साधन

नहीं है, और वहां पर कोई कारखाने नहीं खुले हैं, और वहां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप जरा दिल पर हाथ रख कर ठंडे दिल से सोचें और बतायें कि कितने कारखाने वहां पर खुले हैं और कहां-कहां पर आपने बिजली पहुंचाई है ?

बिजली आप दो प्रकार के जनों को देते हैं––एक तो उपभोक्ताओं को तथा दूसरे उद्योग चलाने वालों को। फतेहपुर में उपभोक्ताओं को ७ आना प्रति यूनिट बिजली दी जाती है और कानपुर और इलाहाबाद में ३ आना प्रति यूनिट दी जाती है। आपने फतेहपुर और बांदा आदि जिलों की दौलत को लूट कर कानपुर और इलाहाबाद को बसाया है और वहां पर मोटे-मोटे आदमियों को ३ आना प्रति यूनिट बिजली आप देते हैं। हमार यहां, जहां पर आमदनी का कोई जरिया नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, वहां पर आप ७ आना प्रति यूनिट देते हैं। क्या इसी तरह से आप प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं ?

श्री अधिष्ठाता––

यह 'आप' शब्द आप किसके लिये इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास तो कोई बिजली नहीं है। (हंसी)

श्री दीपनारायणसिंह––

'आप' शब्द मैं माननीय मन्त्री जी के लिये प्रयोग कर रहा हूं। आप एक माध्यम हैं, आप के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं और यही नियम सदन में रहा है। आप के माध्यम से मैं यह माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भगवान ने आप को बिजली जैसी चमक दी है, और चेहरे पर भी रौनक है, आप यह बतायेंगे कि आपने हमारे जैसे जिले के लिये क्या सोचा है ? क्या आप बता सकते हैं कि फतेहपुर में आज तक कोई कारखाना क्यों नहीं खुला ? कानपुर का सेठ अगर वहां कोई कारखाना खोलना चाहता है तो वह तो सस्ते दामों पर बिजली पा सकता है, मगर फतेहपुर वाला नहीं पा सकता। विद्युत् परिषद् के १९५९ के आंकड़े बताते हैं कि पहले आप को घाटा हुआ, मगर उसके बनने के बाद तो लगातार फायदा हो रहा है और ५ करोड़ का फायदा हुआ है। यह आप का एक बिजनेस केन्द्र हो गया है। विद्युत् विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके द्वारा पिछड़े, अनौद्योगिक, जहां रोशनी न हो, जहां अशिक्षा बेरोजगारी हो, जहां आदमी काम चाहता हो, आप की तरफ भगवान के रूप में आप को सप्रश्न-कर देखता हो, उन क्षेत्रों को बिजली दी जानी चाहिये। पुराने जमाने में इन्द्र को देवता मानते थे और बिजली को शक्ति की देवी मानते थे। अगर कोई इन्द्रासन पर कब्जा करना चाहता था तो भगवान् विष्णु का अवतार लेकर उस की रक्षा करते थे। ऐसे भगवान की शक्ति आप के कर कमलों में आमलकवत् नाच रही है। आप उस बिजली को अपने पास ही रखना चाहते हैं। बहुत सी बिजली आपने अपने पास ही रखी है, उस बिजली की चमक को अंधकार के क्षत्र में भी आने दीजिये। जो लोग १००–२०० रुपया माहवार पाते हैं उनको आप ७ आना यूनिट देते हैं और सेठ राम रतन जी को ढ़ाई आना, तीन आना, ढ़ाई पैसा यूनिट देते हैं। यानी पूंजीवालों को कम और गरीबों को ज्यादा दाम पर दे रहे हैं, छोटे आदमियों की जेब आप कतरते हैं, किसान मजदूरों के प्रतिनिधियों से लंबी रकम लेते हैं। आप इस बिजली का समाजीकरण करें। बिजली किसी आदमी की चीज नहीं है, वह राष्ट्र की संपत्ति है। उसको नेशनेलाइज कीजिये। मुरादाबाद में भी यही रेट है। राष्ट्र की संपत्ति को सेठ लोगों को ही दे देना समाजवाद का नाश है। आप को उसे गरीबों को सस्ते दामों पर देना चाहिये।

आज तेरह साल हो गये, जिला फतेहपुर जिसकी आबादी ११ लाख है, वहां धूल उड़ रही है। ७६ फीसदी वहां किसान हैं और बाकी खेतिहर मजदूर हैं, वहां कोई कारखाना नहीं है क्योंकि उस जिले में बिजली है ही नहीं। मुझे खुशी है कि आप ने वायदा किया है कि जिला फतेहपुर के गरीब लोगों को भी बिजली कम दामों में देंगे। आप फतेहपुर बांदा

[श्री दीपनारायणसिंह]

जैसे स्थानों को ढाई पैसा में दीजिये और कानपुर जैसे शहरों से ज्यादा पैसा लीजिए। एक हजार साल से आप ने पिछड़ा हुआ रखा है, क्या आप उसे अब भी पिछड़ा हुआ रखना चाहते हैं? आप देवी वाले देवता हैं, आप उस चमक को उन गरीबों के हृदय में रख दीजिये जिससे उनके हृदय में आनन्द छा जाय।

राममूर्ति जी जल के मालिक हैं, खेती को पानी देने वाले हैं, खुम्की को दूर करने वाले हैं। सिंचाई मन्त्री —रामम्रूति जो भगवान का स्वरूप हैं, रामचन्द्र जी १२ कला के अवतार हैं और आप बिजली मंत्री जी १६ कला के औतार हैं। लेकिन १६ कला और १२ कला वाले दोनों एक जगह नहीं होते। श्री शान्ति प्रपन्न जी पानी दीजिये, श्री शांति प्रपन्न जी बिजली दीजिये, लेकिन यही तो दिक्कत है कि आप जिन क्षेत्रों को बिजली देना चाहते हैं उनको नहीं दे पाते हैं। अपनी लड़की, जल की लड़की। बिजली को भी किसानों को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बीच में आप बैठे हुए हैं, इसलिये आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि आप (राममूर्ति जी) और आप (शान्ति प्रपन्न शर्मा जी) दोनों मेल करें और अपनी पुत्री जलोत्पन्ना बिजली को हमें दें, किसान मजदूर सिर्फ यही चाहते हैं। ज्यादा बकना बेकार है, माननीय राममूर्ति से जी मेरा विशेष कर निवेदन है कि बिजली के बिना किसान अब उन्नति नहीं कर सकता है। जल की लड़की बिजली है और लक्ष्मीनारायण जल में निवास करते हैं। लक्ष्मीनारायण जब सोते हैं तो लक्ष्मी जी उनके साथ लेटती हैं। लेकिन आज लक्ष्मी को सेठ लक्ष्मीनारायण लिये हुए हैं जब कि उसे आज किसानों मजदूरों के पास होना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, और कुछ कहना बेकार है, मेरा यही निवेदन है कि बिजली का जो सौदा है वह बनियौटा न होकर किसानौटा होना चाहिये और किसान मजदूरों को बिजली दी जाय और वह सस्ते से सस्ते दामों पर।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से, माननीय मन्त्री जी ने जो विद्युत् अनुदान सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन और विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह तो निर्विवाद सत्य है कि हमारा प्रदेश बिजली के मामले में अन्य प्रदेशों से पीछे था। इसके विकास के लिये विद्युत् विभाग ने पिछले १५ वर्ष में सुसंगठित रूप से जो कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। हमारा उत्तर प्रदेश जहां की आबादी अधिक है, जहां खेती पर अधिक लोग निर्भर करने वाले हैं, उनको हमें उद्योग धंधों की तरफ लाना है और बिजली जो है वह औद्योगिक उन्नति के लिये एक आवश्यक अंग है।

प्लानिंग कमीशन ने यह बतलाया है कि अगले ८–१० वर्ष में करीब ९--१० मिलियन तक मजदूरों की आबादी बढ़ जायगी जिनको काम देना है। जहां तक काम का सम्बन्ध है, दो तिहाई उद्योग धंधे में लगे हों तभी सम्भव हो सकता है कि उनको काम मिले। इस प्रकार हम देखें तो बिजली का महत्व कई दृष्टियों से बढ़ जाता है। फिर वह प्रदेश जहां की आबादी अधिक हो, जहां मजदूर अधिक हों, जहां कृषि पर निर्भर करने वाले अधिक हों, आज जरूरत है कि कृषि में काम करने वाले लोगों को उद्योग धंधों में लगाया जाय। यों तो माननीय मन्त्री महोदय ने, पिछले १५ साल में बिजली के क्षेत्र में हमने किस गति से प्रगति की, इस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है, इस पर मुझे तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन हां, एक, प्रश्न अवश्य है कि जब हमारी आबादी अधिक है तो परसेंटेज जो हमारे गांव को बिजली मिलने का है वह कम है और इस ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिये। क्योंकि यदि हमें देहात के छोटे-मोटे उद्योगों को पनपाना है, और वहां कृषि के लिये अधिक ट्यूबवेल्स लगाना है तो वहां अधिक बिजली देने की जरूरत है।

इसके अलावा हमारे जिले में सरकार ने जो विशेष प्रकार की बिजली की योजना बनायी है, उसके लिये हमारा जिला आभारी है। रिहन्द डैम जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, अब मैं उसकी कुछ चर्चा करना चाहता हूं। रिहन्द डैम से मध्य प्रदेश को बिजली देने तथा उसके बटवारे के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच कुछ बातचीत चल रही है। मैं सरकार से जानना चाहता

हूं कि जब मध्य प्रदेश की जनता से ली गयी जमीन का मुआवजा हमारी सरकार ने काफी ऊंची दर में दे दिया है तो फिर मध्य प्रदेश को बिजली देने का प्रश्न ही कैसे उठता है ? मुझे मध्य प्रदेश की तरफ जाने का मौका मिला तो मैंने वहां की जनता को यह कहते सुना कि क्या ही अच्छा होता कि हमारी जमीन भी डूब गयी होती। क्योंकि हमारी सरकार ने काफी मुआवजा दिया है और फिर भी वे बिजली के लिये लड़ें तो मेरी समझ में यह बात आती नहीं। इस पहलू से भी हमको विचार करना है कि कितनी उनकी जमीन डूबी है और जितना उनका नुकसान रिहन्द डैम की वजह से हुआ है, उससे कहीं अधिक मुआवजा हमारी सरकार ने दे दिया, फिर सरकार को उनसे बिजली देने की बात नहीं करनी चाहिये। इसके अलावा रिहान्द डैम के एक दूसरे पहलू पर भी हमको सोचना है। एक तरफ तो हम बड़े-बड़े डैम्स बना रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण पहलू है और हमारा पहलू इन बंधों के कारण जनता के कल्याण का है। उसमें ४५ हजार वहां की जनता उद्वासित हुई है यह रिहन्द डैम का प्रभाव हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हुं कि हमारी सरकार ने अभी तक उस जनता के साथ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वह मनुष्य की तरह रह सके। मैं बताना चाहता हूं कि पशुओं के पानी की तो क्या वहां पर मनुष्यों के पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। एक ओर तो वहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे कायम हो रहे हैं लेकिन अभी ४५ हजार लोग जो वहां से उजड़े हैं उन की समस्या पर विचार नहीं हुआ है। अगर रिहन्ड डैम से आप सारे प्रदेश को जगमगाने जा रहे हैं, उद्योग की व्यवस्था कर रहे हैं वहां इन लोगों की ओर भी ध्यादन जाना चाहिये। अभी आश्वासन समिति द्वारा मुझे एक पत्र मिला है जिसमें प्रश्न था कि इन उद्वासितों के क्षेत्र में भी बिजली देने की योजना होना चाहिये लेकिन उस का उत्तर मिला है कि क्योंकि उन लोगों के अभी फूंस के माकन हैं इस लिये उन को बिजली देना सम्भव नहीं है। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पर जो लगभग ४८ ब्लाकों में ४५ हजार जनता बसी है उनके फूंस के मकानों पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। वहां पर लोग मिट्टी के मकान बनाते हैं लेकिन अगर वह मकान बनाने चाहते हैं तो उन को लकड़ी नहीं मिलती, महीनों से प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं और लोग परेशान होते हैं लेकिन लकड़ी नहीं मिलती।

इसके अलावा जो जमीन देने की बात है अभी तक ४-५- एकड़ भी जमीन पूर्णरूपेण नहीं दी गई है, २ एकड़ भूमिहीनों को भी नहीं मिली है और जो खेतिहर लोग हैं उन को ५ एकड़ से अधिक नहीं दी गई है। जहां जमीन ऊंची नीची, पथरीली, अनउपजाऊ, और खराब है वह भी वहां के लिये सरकार ने एक वृहत् योजना बनाई है स्वायल ऐंड वाटर कन्जर्वेशन की लेकिन अभीतक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। पहले वहां पर जब रिहन्ड डैम का काम हो रहा था और अल्युमीनियम फैक्ट्री का काम चल रहा था तब तो लोगों को मजदूरी मिल जाती थी लेकिन अब वह भी नहीं मिलती और बहुत असन्तोष की भावना व्याप्त है, उन लोगों की २-४ एकड़ जमीन से गुजर हो सकती थी लेकिन वह भी ऐसी है कि जिस पर सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है।

इसके अलावा वहां पर आवागमन की बड़ी समस्या है, दूर-दूर तक ६०-६० मील तक कोई आने-जाने के साधन नहीं हैं लोग मजदूरी करने जाते हैं उन को बहुत तकलीफ होती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन क्षेत्रों को जोड़ने के लिये कुछ सड़कें बनाई जायं और उन लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। वहां पर सरकार ने पहले १५-२० बन्धियां बनाने की योजना तैयार की थी लेकिन पुनर्वास अधिकारी कहते हैं कि अभी इधर काम नहीं हो रहा है जो बन्धियां बनने वाली थीं उन को भी पीछे धकेला जा रहा है। वहां पंचायतघर और स्कूल अवश्य कुछ बन गये हैं लेकिन उनसे इन उद्वासितों को कोई विशेष लाभ न होगा। मैं निवेदन करूंगा कि जब हम किसी क्षेत्र में उद्योग या रिहन्द जैसी चीज बनायें तो उस क्षेत्र के उदवासितों का भी प्रबन्ध पहले से करें। जो जमीन दी भी जा रही है उन लोगों के वह खेती की जमीन नहीं है, जंगल विभाग उस में भी अड़ंगा डाल रहा है और हटाना चाहता है। यह वहां की मोटी-मोटी

[श्री रामप्यारे]

समस्यायें हैं जिन को तरफ आशा है कि सरकार ध्यान देगी और उनको समस्याओं को हल करेगी। ४६ करोड़ रुपया लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश को जगमगा रहा है रिहन्द डैम से और अल्मूनियम फैक्ट्री से। वहां उन उदवासितों का, इतना खयाल नहीं किया जा रहा है, जितना होना चाहिये था। मुआवजा भी बिहार में २१ गुना और मध्य प्रदेश में भी ११–१२ गुना दिया गया है। जो कम्पनसेशन का प्रश्न उठता है इसकी भी एक समस्या है। हमें मार्केट वैल्यू पर कम्पनसेशन देना चाहिये। ओबरा डैम है जहां थर्मल पावर है सैकड़ों घर उखाड़े जा रहे हैं। अगर १८९४ के लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक ही मुआवजा दिया गया तो हम पिछड़े हुए लोगों को बहुत घाटा होगा। हमारा भविष्य बड़ा अंधकारमय है। सीमेंट फैक्ट्री हमारे चोपन में बनने जा रही है, नाना प्रकार के उद्योग सरकार वहां कायम कर रही है इसलिये सरकार को चाहिये कि जब वहां औद्योगिक आस्थान बन रहे हैं तो वहां के किसान आदवासियों के लिये भी सरकार को सोचना चाहिये जिससे उनको संतोष हो। इन शब्दों के साथ, मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)––

अधिष्ठाता महोदय, आधुनिक समय में किसी देश की औद्योगिक उन्नति का इतिहास वास्तव में बिजली की उन्नति का इतिहास ही होता है। पिछली दो योजनाओं में जो बिजली का उत्पादन हुआ है वह अपूर्णतः असंतोषजनक रहा। अब भी जिस तरह से उत्पादन हो रहा है वह न तो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है और न बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उपयुक्त है। जो तृतीय योजना का प्रारूप दिया गया था उसी में मेरी बात को पुष्टि हो जाती है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की परियोजनाओं में अधिक काम नहीं हो सका। योजना में बिजली विकास की कई परियोजनायें जैसे यमुना जल विद्युत् परियोजना, माताटीला जल विद्युत् परियोजना, हरदुआगंज योजना, रिहन्द परियोजनायें राज्य सरकार द्वारा रखी गई थीं। इनमें से केवल रिहन्द योजना ही कुछ आगे बढ़ सकी। इन सब परियोजनाओं को किसी न किसी कारण से बन्द करना पड़ा। वर्तमान मांग की पूर्ति के लिये बिजली कम पड़ गई और नई मांग की पूर्ति जो २ लाख ५० हजार किलोवाट है सरकार के लिये पूरा करना कठिन हो गया है। इस वर्ष न नये उद्योग धंधे स्थापित किये जा सके और न चालू उद्योग धंधों का विकास किया जा सका। वास्तव में यह स्थिति जैसी पहले थी वही आज बनी है। मैं इसका एक विशेष कारण समझाता हुं। यद्यपि हीले बहाने कई बना दिये जाते हैं, हम योजना बना लेते हैं, रुपया तय कर लेते हैं लेकिन जिन हाथों में वह योजना दी जाती है वह उसको ठीक तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं। माताटीला डैम के बारे में देखा गया कि ३ करोड़ की योजना बनी, १८ करोड़ खर्च होने पर भी पूरी नहीं हो पायी। मेरे जिले में कालागढ़ डैम बन रहा है जो चौथी योजना तक पूरा होगा। ६८ करोड़ का अनुमानित व्यय है लेकिन वहां की हालत देखने से पता चलता है कि ५, ७ योजनाओं के बाद भी पूरा नहीं होगा। वहां स्टाफ पहले से काफी बढ़ा हुआ है, सामान भेजा नहीं गया और अब अगर सामान जा रहा है तो उसे बाजार में बेचा जा रहा है। वहां सीमेंट रोज ट्रकों से टनों बाजार में बेच दिया जाता है, मैं अतिशयोक्ति पूर्ण बात नहीं करता, सरकार का ध्यान दिलाया लेकिन सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जो मैटीरियल आप देते हैं डैम के लिये अगर वह बाजार में बिकता है तो क्या डैम मजबूत बन सकेगा? निर्माण में दोष ज्ञात होने पर हमेंशा कोई न कोई बहाना ढूंढ़ लिया जाता है कि साइट कमजोर थी या कोई और बहाना निकाल लिया जाता है, लेकिन कमी यह होती है कि जो मैटीरियल दिया जाता है वह लगाया नहीं जाता है। देखना यह चाहिये कि जिनके हाथों में योजनाएं दी जाती हैं वे उसको पूरा करने के लिये सचेष्ट हैं कि नहीं। अगर यह न देखा गया तो जो ५ साल के लिये योजना बनी है वह १५ साल में भी पूरी नहीं होगी और जिस तेजी से देश की पापूलेशन और बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने के लिये जो हमें उद्योग बढ़ाने होंगे, उनको पूरा नहीं कर सकेंगे। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि भारत की बढ़ती हुई आबादी के लिये, बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये हमें छोटे-छोटे उद्योग धंधे

पनपाने होंगे। उनका केन्द्रीयकरण नहीं करना होगा। जब कभी समाजवाद की चर्चा की जाती है, पूंजीवाद की चर्चा की जाती है, तो पूंजीवाद के विरोध में हमारे सामने केवल यही आता है कि समाजवाद ही एक ऐसा हथियार है जो हमारी इकोनामी को ठीक कर सकता है। लेकिन जिस तरह से पूंजीवाद में पूंजी का केन्द्रीयकरण चन्द हाथों में होता है उसी तरह से समाजवाद में पूंजी का केन्द्रीयकरण राज्य के हाथ में होता है और दोनों स्थितियों में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जनतन्त्र के लिये जहां राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण आवश्यक है उसके साथ-साथ आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीयकरण भी आवश्यक है और अगर आर्थिक सत्ता राजनीतिक सत्ता के साथ राज्य के हाथों में केन्द्रित होती जाती है तो राज्य निरंकुश हो जायगा और जनतन्त्र समाप्त होकर तानाशाही होगी। मैं कहना चाहता हूं कि आज तानाशाही लाने की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जहां हमें आर्थिक स्थिति को एक ओर ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं वहां बेरोजगारी को दूर करने के लिये लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना होगा। इतने से ही सन्तोष नहीं कर लेना होगा कि बड़े उद्योगों का कुछ क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण न करके दूसरे क्षेत्रों में उनको ले जायं। हमें छोटे पैमाने पर उद्योगों को लाना होगा। गांव-गांव में बिजली पहुंचानी होगी और उसके लिये जरूरी यह है कि जो हमारी योजनायें हैं उनको तेजी से पूरा किया जाय और जो शिथिलता बरती जा रही है उसमें चैतन्यता किया जाय। अभी कालागढ़ डैम का मैंने जिक्र किया था। वहां पर इंजीनियर्स की एक फौज पड़ी है। क्या जरूरत होती है इतने इंजीनियरों की? सिर्फ क्लेरिकल काम के लिये ही वे रहते हैं। मैंने उनके काम को समझने की कोशिश की। मैं साइन्स से भी वास्ता रखता हूं और टैक्निकल चीजों को भी समझता हूं। वहां क्लेरिकल जाब के अलावा इन इंजीनियरों को फौज के लिये और कुछ नहीं होता है। हमें इन दोषों की तरफ जल्दी ध्यान देने की जरूरत है ताकि योजनायें जल्दी पूरी हों और हम गांव-गांव और घर-घर बिजली पहुंचा सकें। इससे खर्चा भी कम होगा। एक तरफ तो हम टैक्स वसूल करते हैं और जिसके पास एक समय खाने को नहीं है उससे टैक्स वसूल करते हैं और दूसरी तरफ ये इंजीनियर धन का दुरुपयोग करते हैं, विलासिता का जीवन बिताते हैं। जो एस्टिमेट बनाया जाता है बाद में उसका कई गुना हो जाने पर भी काम पूरा नहीं होता। इसको जल्दी से चेक करने की आवश्यकता है। इंजीनियर लोग जो खर्च करते हैं उसमें कमी होनी चाहिये।

प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली पैदा की जा रही है वह पब्लिक सेक्टर की बिजली की अपेक्षा सस्ती पड़ती है। थर्मल पावर से जो पैदा होती है वह हाइडिल से सस्ती बैठती है। इन दोषों को दूर करना चाहिये। साथ ही यह ध्यान देना चाहिये कि हम सामान्य स्थिति में सबके साथ एक सा व्यवहार करें और छोटे उद्योग धंधों को पनपाने के लिये उसी रेट से बिजली दें जिस रेट से हम बड़े उद्योग धंधों को देते हैं। उसमें हमको समानता की नीति बरतना चाहिये। छोटे-छोटे उद्योगों के लिये बिजली की बड़ी कमी रहती है और उनको लाइसेन्स प्राप्त करने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें यह देखना है कि जो छोटे उद्योग पनपाना चाहते हैं उनको हम ठीक तरीके से बिजली दे सकें और लाइसेंस पाने में लोगों को आसानी हो। लेकिन मैंने देखा है कि जो छोटा आदमी है, जो पहुंच नहीं सकता, जो रिश्वत नहीं दे सकता उसको बिजली मिलना दुर्लभ है। जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर देने का अधिकार था तब भी ऐसा हो रहता था और वही हालत आज भी है। छोटे उद्योगों को बिना रिश्वत दिये बिजली नहीं मिल पाती। अगर हम छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं तो हमें चीज को दूर करना है और जो छोटे उद्योग-धंधे खोलना चाहते हैं उनको अपनी तरफ से एनकरैजमेंट और इनिशियेटिव देना होगा।

इसके बाद मैं अपने क्षेत्र की तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और जिला बिजनौर में जितना पिछड़ा हुआ इलाका है वह सब इकट्ठा करके इसमें लगा दिया गया है। शिवालिक हिल्स के साथ-साथ यह चला गया है और काउन्डरी

[श्री बसन्तसिंह]

डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ भी है। इसलिये उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। कालागढ़ डैम उसी क्षेत्र में बन रहा है लेकिन जो पड़ोस में अफजलगढ़ और बढ़ापुर टाउन है वहां बिजली नहीं पहुंच पायी है। वहां बिजली पहुंचाना चाहिये जिससे उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके।

श्री गणेशप्रसाद पांडेय--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अनुदान पर बोलने का मुझे सुअवसर प्रदान किया है। साथ ही मैं विद्युत् मन्त्री को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता जिनके द्वारा हमारे सूबे को पर्याप्त बिजली वितरित की जा रही है। लेकिन आज मैं सिद्धांत की बात न कह कर केवल अपनी आवश्यताओं को आपके द्वारा बिजली मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं। वह यह कि हमारे क्षेत्र में बांस गांव एक तहसील है और बड़ा कस्बा है, उसमें १ मील पक्की सड़क है। लेकिन वहां आधे मील तक तो बिजली गयी है और आधा मील खाली है। पूरी पक्की सड़क भी बिजली नहीं प्राप्त कर सकी और इसी प्रकार से दूसरे कस्बे में ग्रामों में भी बिजली आधी दूर में पहुंचायी गयी है। वह कस्बा एक मील लम्बा और एक मील चौड़ा है। उसमें आधी सड़क तक बिजली पहुंची है और आधी बाकी है। जहां तक बिजली पहुंची है वहां कई उद्योग-धंधे पनप रहे हैं, कई एक मशीनें लग गयी हैं और बाकी लोग तरस रहे हैं। अगर वहां बाकी भागों में भी बिजली पहुंचा दी जाय तो काफी उद्योग-धंधे पनप सकते हैं। इसी तरह से उस इलाके में एक खजनी बाजार है जहां पुलिस स्टेशन है, हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और ब्लाक केन्द्र भी है, नया बाजार है लेकिन वहां बिजली के लिये लोग तरस रहे हैं। इसी तरह से सिकरीगंज भी पुलिस स्टेशन है। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल है। वहां भी बिजली नहीं दी जा रही है। यद्यपि नया बाजार है। आबादी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बढ़ रही है एक उरवा बाजार भी है। वहां आबादी कम है लेकिन इन्टर कालेज है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और ब्लाक केन्द्र है बढ़ता हुआ बाजार है, पक्की सकड़ है। वहां ट्यूबवेल भी हैं लेकिन सार्वजनिक रूप में बिजली नहीं दी जा रही है। इसी प्रकार शाहपुर, कूरी और बेलघाट भी बाजारें है। यह आखिरी तीन बाजारों घाघरा और कोआनों नदियों के दोआबें में हैं। बेलघाट में ब्लाक केन्द्र भी है। पुलिस स्टेशन, जूनियर हाई स्कूल और प्राइवेट हाई स्कूल भी है। वहां उद्योग धंधे पनप सकते हैं। वहां गन्ने की खेती काफी होती है। अक्सर वहां हर साल बाढ़ आया करती है। लेकिन गन्ना बाढ़ से भी बच जाता है। वहां गन्ना ८ आने मन बिक जाता है। बैलगाड़ी पर लोग बीज के लिये ले जाते हैं। अगर मिल तक ले जाने के साधन होते तो गन्ना और जगह लोगों को लाभ पहुंचा रहा है, इनको भी लाभ पहुंचा सकता। लेकिन वहां पर ८ आने मन ही गन्ना बिकता है और वहां के किसान बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं।

इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप के इंजीनियर्स इस दोआबे में ट्यूबवेल लगाने का कष्ट करें और बिजली लगायें ताकि दोआबे के १५० गांवों की उन्नति हो सके, वहां उद्योग धंधे पनप सकें और वहां के लोगों की हालत अच्छी हो सके। यद्यपि वहां पर एक प्राइवेट ट्यूबवेल मुकारिमपुर गांव में हैं जहां पर ५५ एकड़ जमीन में साढ़े तिरपन मन प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं पैदा हुआ और वह गांव रीजनल कम्पटीशन में प्रथम नम्बर पर आया और उसको ४,००० रुपया इनाम मिला। इस साल भी वह गांव इनाम में आया है। उस गांव का नाम मुकारिमपुर है। अगर वहां प्राइवेट ट्यूबवेल सफल हो सकते हैं तो सरकारी क्यों नहीं हो सकते हैं। यह आपके इंजीनियरों की बुद्धि की बलिहारी है। उनको वहां पर ट्यूबवेल लगाने चाहिये। बांस गांव में ८० ट्यूबवेल लगे हैं लेकिन दोआबा में एक भी नहीं लगा है। सिंचाई के अनुदान पर हमें बोलने का अवसर नहीं मिला वरना मैं सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान अवश्य दिलाता। लेकिन अब मैं विद्युत् मन्त्री जी के द्वारा उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि वहां पर बिजली देने की कृपा करें और ट्यूबवेल लगवायें। यद्यपि अब वह हमारे क्षेत्र में नहीं है लेकिन वहां के लोगों की गरीबी को देखकर हमें हमदर्दी है। इसलिये मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं। इसके बाद टकवाबाजार, गगहा बाजार, बांसगांव, तनकहा,

गजपुर बढ़यापार, माल्हनयार, भैरवपार, गोपालपुर और भैंसाबाजार, ये खास-खास बाजार हैं जिनकी आबादी ४, ५ हजार के लगभग है, इन गांवों में भी बिजली देनी चाहिये। ये सारे गांव पक्की सड़क पर हैं, सरकारी अफसरों के भी आने जाने में सुविधा होगी, उद्योग-धंधे पनप सकेंगे और देहात के लोग भी उन्नति कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ में अनुदान का समर्थन करता हूं और एक बार पुनः आपको और मंत्री जी को धन्यवाद देकर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––

अधिष्ठाता महोदय, ऊदल जी के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं। जहां तक कटौती के प्रस्ताव के समर्थन का सवाल है, झारखंडेराय जी और श्रद्धा बहन जी के कहने के बाद कुछ कहना बाकी नहीं रहता। मैं विद्युत मंत्री तथा सिंचाई मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आज से १०–१५ साल पहले सिवाय नहर के और कोई साधन नहीं था। छोटे-मोटे तौर पर कुएं और रहट से सिंचाई का काम करते थे। १०–१५ साल पहले हमारा पश्चिमी इलाका नहर से सिंचित होता था, पूर्वी इलाके की बात मैं नहीं कह सकता। मगर इन दस-पन्द्रह सालों में इन दोनों विभागों द्वारा, सिंचाई और विद्युत्, हमारे पश्चिमी जिलों में ट्यूब-वेल के जरिये बहुत कोशिश की गयी और मैं तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता। हमारे बहुत बड़े रकबे में ट्यूबवेल के जरिये सिंचाई की गयी है। मैं जहां धन्यवाद देता हूं वहां यह भी जरूर कहूंगा कि कोई चीज बगैर एवज के नहीं दी जा सकती। जहां ट्यूबवेल काफी संख्या में बन रहे हैं और आगे बनने वाले हैं उसके साथ-साथ मंत्री जी को यह जरूर विचार करना चाहिए कि आज भी हमारे ट्यूबवेल्स कम से कम महीने में ६, ७ दिन बन्द हो जाते हैं। कभी दिन को बन्द हो जाते हैं, कभी रात को बन्द हो जाते हैं। मुख्य रूप से उस वक्त बन्द होते हैं जब फसल बोने का वक्त हो या कटने का हो जिससे फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। हमारे ट्यूबवेल के डिपार्टमेंट में एक नया कानून लागू किया गया है कि अब ट्यूबवेल पर नहरी ओसराबन्दी लागू होगी। आज तक ट्यूबवेल इस हिसाब से चलते थे कि जिसके जितने घंटे होते थे उसके बाद दूसरा काश्तकार आ जाता था। लेकिन अब ट्यूबवेल पर भी, जैसा कि नहर पर होता है रात के दस बजे से सुबह के चार बजे तक एक काश्तकार और सुबह के चार बजे से सुबह के दस बजे तक दूसरा काश्तकार, इसी तरह से ट्यूबवेल पर भी ओसराबन्दी हो गयी है। अगर इसकी ओर विद्युत विभाग ध्यान नहीं देगा तो इससे काश्तकार को काफी नुकसान होगा।

दूसरे, आज अगर हम गौर से देखें तो दूध से निकला मक्खन हमारे लिए सस्ता है मगर पानी से निकली क्रीम वह हमारे लिए महंगी है, कई गुना महंगी पड़ती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप बिजली के रेट इस तरह पर मुकर्रर करें जो कि किसान की जो पैदावार की कीमत का औसत है उसके हिसाब से हो। अगर ऐसा हो तो आपको भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है और काश्तकार को भी लाभ होगा।

आप प्राइवेट ट्यूबवेलों को काफी बिजली दे रहे हैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आपका लिमिटेशन यह है कि सौ बीघे या इससे नीचे के काश्तकार को बिजली नहीं दी जायगी। मैं पुरजोर अपील करता हूं कि आप इस हद को जितना कम कर सकते हैं कम कीजिये।

(इस समय ३ बज कर ५२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

अगर दस बीघे का किसान ट्यूबवेल लगाना चाहता है तो उस काश्तकार की हिम्मत की तारीफ कीजिये। आपका कोई नुकसान नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी सीमा दस एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी इलाके में काश्तकार को खेती करने की जितनी भूख है उसको हम जानते हैं। और शायद

[श्री विजयपालसिंह]

हमारे माननीय मंत्री महोदय जानते हों, हमारा किसान पूरी तरह से अपनी शादी में, अपने खाने में, अपने कपड़े में कटौती करके चाहता यह है कि मेरी काश्त बहुत अच्छी हो और उस काश्त के लिये जहां दूसरी चीजों की जरूरत है वहां सबसे ज्यादा जरूरत पानी की है । इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि आज हमारी सरकार ५०० एकड़ पर एक ट्यूबवेल लगाती है और उसके बाद भी पश्चिमी इलाकों में ट्यूबवैल को चलाने से फुर्सत नहीं मिलती । अगर यह ३०० एकड़ पर भी लगाये जायं तो मैं समझता हूं कि ६,००० घंटे से कम आपका ट्यूबवेल नहीं चलेगा । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा अगर एक स्टेट ट्यूबवेल के कमांड एरिया में दो तीन प्राइवेट ट्यूबवेल भी लगाये जायं तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा । आप जानते हैं कि १०० बीघे से ऊपर के काश्तकार तो अब रहे नहीं । ज्यादा से ज्यादा ५०, ६० बीघा तक के काश्तकार हैं । तो अगर एक स्टेट ट्यूबवेल के कमांड एरिया के अन्दर ४, ५ काश्तकार प्राइवेट ट्यूबवेल लग लेते हैं और उसमें २००, ३००, ४०० बीघा खाम तक भी जमीन निकल आती है तो स्टेट को उससे कोई नुकसान नहीं होगा और दूसरी तरफ काश्तकारों को उससे ज्यादा फायदा हो गा । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि एक स्टेट ट्यूबवेल के कमांड एरिया में ४, ५ प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने की आज्ञा दे दी जाय । मैं बहुत ज्यादा न कह कर गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं और कहता हूं कि खामियां इस विभाग में हैं । ऊदल जी ने बतलाई, बहन श्रद्धा जी ने बतलाई लेकिन फिर भी मैं यह कहता हूं कि दूसरे विभाग को देखते हुए इस विभाग में जो खामियां हैं उनको जल्दी दूर किया जा सकता है । यह एक प्रेक्टिकल विभाग है । दूसरे विभागों की तरह नहीं है । इसकी गलतियों को समझना तथा ठीक करना कोई मामूली बात नहीं है । मैं माननीय उप मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह विद्युत् विभाग का रुख जरा शहरों से देहातों की तरफ कर दें । जैसा श्रद्धा जी ने बतलाया, जहां बड़े बड़े उद्योगों को ७४ प्रतिशत तक बिजली मिलती है वहां देहातों को जिसमें ट्यूबवेल वगैरह सब शामिल हैं कुल ८ प्रतिशत बिजली आप देते हैं । तो आप बिजली का मुख देहातों की तरफ मोड़िये । मैं नहीं कहता कि शहरों में पंखें न चलाये जायं । लेकिन बिजली के पंखों के बजाय हाथ के पंखे चल सकते हैं, बिजली की रोशनी के बजाय गैस के हंडों से रोशनी करायी जा सकती है लेकिन सिंचाई का जो काम है, और ट्यूबवेल वगैरह का जो काम है वह बिजली से ही किया जा सकता है, वह मिट्टी के तेल से नहीं किया जा सकता । इसलिये बिजली ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिये और छोटे छोटे उद्योगों के लिये देहातों में दी जाय, देहातों की तरफ उसका रुख कीजिये ।

आपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स के लिये टाइम स्विच कर रखा है । लेकिन आपके ८० से ९० फीसदी ट्यूबवेल्स रात को नहीं चलते, आप एन्क्वायरी कराकर देख लीजिये । ये सब ट्यूबवेल्स दिन में चलते हैं । लेकिन आपके आर्डर का उल्लंघन कौन करता है ? किसान नहीं करना चाहता । मगर वह जो आपका इंसपेक्टर है वह उनसे पैसा लेकर कहता है कि तुम दिन में चलाओ । मैं कहता हूं कि एक तो आपके हुक्म की मौत हुई, आपके हुक्म के मुकाबिले में आपके इंसपेक्टर का हुक्म ऊपर पहुंचा और दूसरे किसान की आत्मा को भी ठेस पहुंची । इसलिये टाइम स्विच तो उद्योगपतियों को दीजिये जिनको कोई कठिनाई नहीं है और किसानों के ऊपर से यह टाइम स्विच हटा दीजिये क्योंकि अगर रात को किसान पानी चलाता है तो जितनी देर मे एक बीघे की सिंचाई उससे करता है वह पानी दिन में चलाये तो उतनी देर में डेढ़ बीघे की सिंचाई कर लेगा । इसलिये यह टाइम स्विच हटा दिया जाय । रात में वह कुट्टी काटने का काम कर सकता है, पशु पालन पर सरकार बहुत जोर देती है, अगर २० जानवर किसान के पास हैं तो ५ आदमी २० जानवरों की कुट्टी काटेंगे । अगर रात में ट्यूबवेल चलते हैं तो फिर वह किस तरह से जानवरों के लिये कुट्टी काट सकता है और रात के समय कैसे कुट्टी काटी जायगी ? वह दूसरा काम भी कर सकता है और जरूर किसान लगा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस दिक्कत को देखते हुये हमारे उपमंत्री जी इस टाइम स्विच की पाबन्दी को खत्म कर दें और किसानों को दिन में या रात में पानी चलाने की सुविधा प्रदान कर दें तो इससे किसानों का लाभ होगा । मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने

सजेशन रखे हैं कि प्राइवेट ट्यूबवेल वालों को बड़ी मुश्किल से कनेक्शन मिलते हैं इस ओर ध्यान दिया जाय और उनको ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन देने की कृपा की जाय तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)––

उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की जितनी शक्तियां हैं, शासन की शक्ति, न्याय की शक्ति, इन्तजाम की शक्ति, टैक्स लगाने की .....

श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)––

मुकुन्दीलाल जी को रोजाना मौका मिल जाता है, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलता है जब कि रोजाना खड़ा होता हूं । मैंने साल भर में एक बार ही यहां पर भाषण दिया है । आज भी मुझको मौका नहीं मिला जब कि यह आज हमारा ही आइटम है ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपको भी मौका मिलेगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर––

मैं यह कह रहा था कि शासन की शक्ति, न्याय की शक्तियों के प्रयोग से सरकार अनपापुलर होती है, प्रजा अपने को पीड़ित समझती है, लेकिन गवर्नमेंट की ये शक्तियां, जैसे मार्गों का बनाना, पुलों का बनाना, स्कूलों का बनाना, अस्पताल का बनाना और विद्युत् का देना, ऐसी शक्तियां हैं जिनके जरिये गवर्नमेंट की शान, गवर्नमेंट की सेवा और गवर्नमेंट की उपयोगिता जनता तक पहुंच सकती है । इसलिये यह जरूरी है कि जनता को विद्युत सरलता से और अधिक दी जाय, जिससे जनता को अनुभव हो सकता है कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है तब से हमारी सरकार ने क्या क्या कारनामे किये हैं । और हमारे लिये क्या क्या किया है, कितनी जगहों में बिजली पहुंची है । इससे हमारी सरकार की सेवा का प्रदर्शन होता है । इसलिये यह जरूरी है कि विद्युत् विभाग में जो दोष बतलाये गये हैं या त्रुटियां बतलायी गई हैं उनको दूर किया जाय । सरकार का यह ध्येय है कि हमारी छोटी छोटी झोपड़ियों में और छोटे छोटे गांवों में बिजली पहुंचे; हमको देखना यह है कि हमारे गांव के लोगों के पास वह साधन मौजूद हैं या नहीं कि वे बिजली का उपयोग कर सकते हैं । बिजली का कंजप्शन इस्तेमाल बहुत महंगा है और गांवों में बिजली पहुंचाना मुश्किल है । मेरा एक बंगला कोटद्वारा में है जिसमें बिजली की फिटिंग सन् १९५९ में हुई और बिजली की जो सेक्योरिटी होती है वह भी मैंने सन् १९६० में जमा कर दी थी और बिजली विभाग को मैंने मुफ्त सबस्टेशन बनान के लिये अपनी जमीन में से जमीन दी । लेकिन अभी तक मेरे बंगले में बिजली नहीं पहुंच पाई है । यह वह बंगला है जिसमें दो मिलिटरी के अफसरों के माता पिता रहते हैं । बीमार बहन रहती हैं और एक मिलिटरी अफसर की स्त्री और तीन लड़के रहते हैं । बावजूद इस बात के आपकी बिजली लाइन वहां तक गई है और बावजूद इस बात के कि एक उच्च अधिकारी के कहने पर भी आज तक बिजली मुझे नहीं मिली है । बिजली कनेक्शन के लिये तीन खम्भे लगने थे । वे तीन खम्भे भी लग गये हैं । अब बिजली वाले मुझसे कहते हैं कि ४४८ रुपया और जमा करो । कोटद्वार में सब मकानों में बिजली सड़क पर के बिजली के उस खम्भे से मिलती है जो मकान के पास होता है, नजदीक होता है । लेकिन मुझसे कहा जाता है कि तुमको बिजली देंगे सब स्टेशन से क्योंकि वह स्ट्रीट लाइट की लाइन है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को यह देखना होगा कि जो नियम बिजली को वितरण करने के हैं उसमें संशोधन किया जाय । मैं आपको यह कहने के लिये तैयार हूं कि एक मेरे मित्र बिजली विभाग के उच्च अधिकारी हैं । अगस्त के महीने में उन्होंने वहां के अधिकारी को फोन से कहलाया कि तीन खम्भे लगाने की बात है, फौरन खम्भे लगा दो । इस्टीमेट पीछे सैंग्सन हो सकता है । खम्भे तब से फरवरी में लगे, ३ नहीं वरन् १३ । तब भी बिजली नहीं अब ४४८ रुपये देन

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

को बात हो रही है । मैंने कहा, सलाम । मैं तो गर्मी में नैनीताल चला जाऊंगा, मैं तो ४४८ रुपया नहीं देता हूं । जब दूसरे मकानों में बिजली लगेगी तो मेरे यहां भी आयेगी । उस सड़क पर १३ खम्भे हैं और मेरा मकान तीसरे खम्भे पर है । मैं शिकायत नहीं करता लेकिन कह रहा हूं कि यह वर्तमान नियमों के कारण है । जब मेरी स्थिति के आदमी को बिजली मिलने में यह दिक्कत है तो गांव के गरीबों को कैसे बिजली मिल पायेगी ? पहले इस्टीमेट बनाया गया, फिर एग्रीमेंट मंजूर किया जाता है । इस्टीमेंट की तैयारी में ही काफी समय लग गया, फिर एग्रीमेंट दिया गया । लेकिन फिर भी कहा गया कि स्टैम्प पर वह लिखा जायगा ; और उसके बाद ४४८ तार खींचने के लिये ४४८ रुपया देने की बात आ गयी । मेरे कहने का तात्पर्य है कि बिजली लेने में दिक्कतें बहुत हैं और यह नामुमकिन है इन कायदे कानूनों के होते हुए कि हम छोटे छोटे गांव और शहरों तक बिजली जल्दी पहुंचा सकें ।

विभाग की रिपोर्ट आज तीन बजे मुझे मिल पायी है । यदि पहले मिलती तो देख कर कुछ सुझाव कर सकता था । इसमें जिक्र है जोशीमठ, चमोली और रुद्रप्रयाग को बिजली देने का ; लेकिन कब बिजली वहां जा सकेगी, कहा नहीं जा सकता । यह वह स्थान है कि जहां से हमारे सिपाहियों को आगे जाना है देश की रक्षा करने के लिये । यदि बिजली का विभाग चाहे तो हमारे पहाड़ों में बहुत से झरने हैं, उनके जरिये बिजली की दिक्कत हल हो सकती है । चमोली से दो मील पर भूतला एक जगह है जहां एक असिस्टेंट डाइरेक्टर महोदय ने बिजली एक झरने से पैदा करके एक कारखाना चालू कर दिया है । उसका कहना है कि २५ हजार रुपये में वे चमोली तक बिजली पहुंचा सकते हैं, लेकिन विभाग तो पब्लिक वर्क्स से खंभे लगवायेगा जिस पर ही २,३ लाख रुपया व्यय होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि पहाड़ों में ऐसे-ऐसे झरने और नदियां हैं कि जिनके जलप्रपातों का प्रयोग करके बिजली पैदा की जा सकती है । मैंने कई बार कहा है, एक जगह नयार नहीं में है जहां ५० फीट ऊंचे से पानी गिरता है । और वहां काफी बिजली पैदा की जा सकती है, तो आपको अपनी योजना के अनुसार काम करने में समय बहुत अधिक लगता है । पहाड़ों में जहां भी संभव हो वहां आपको बिजली जल प्रपातों से पैदा करनी चाहिये । पिथौरागढ़ में डिजल से बिजली पैदा की गयी है । इसी प्रकार दूसरे अन्य स्थानों पर भी पैदा की जा सकती है । होना यह चाहिये कि सरकार इस बात पर कटिबद्ध हो कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं उसका ध्येय रुपया पैदा करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है । उसे इस भावना से ही बिजली का उत्पादन और वितरण करना चाहिये । जनता को आराम देने के लिये, रोशनी देने के लिये उसका प्रयत्न होना चाहिये । छोटे घरेलू धंधों के लिये बिजली दी जाय । मैं जानता हूं कि कोटद्वार का यह किस्सा है कि एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर को वहां पर आटर मिल चलाने के लिये लाइसेंस दिया गया । परन्तु बिजली वाले कहते हैं कि हम बिजली नहीं दे सकते हैं । इसी तरह से कई और भी छोटे-छोटे लकड़ी के कारखाने वाले हैं जिनको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । यह कह दिया जाता है कि बिजली काफी नहीं है । परन्तु यह कोई उचित कारण नहीं है । उनको बिजली दी जानी चाहिये । मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि यह विभाग जनता की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है और सरकार का नाम पैदा कर सकता है और जनता को बतला सकता है कि सरकार तुम्हारे लिये क्या क्या करने के लिये तैयार है । अगर यह विभाग अच्छी तरह से काम करने के लिये तैयार नहीं है, तो उसकी भी वही दशा हो जायगी जो कि पी० डब्लू० डी० की है । उसी तरह से यह विभाग भी आगे चल कर बदनाम हो सकता है । इसलिये जो सुझाव इस सदन में दिये गये हैं, कांग्रेस की ओर से और विरोधी दल की ओर से, उन पर गौर करना चाहिये । यह कोई आक्षेप नहीं है वरन छुट्टियों में जिन पर कि ध्यान दिया जाना आवश्यक है । इन सुझावों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उस का समर्थन करता हूं । यह बड़ी खुशी की बात है कि विरोधी दल की तरफ से जो प्रस्ताव कटौती के आये हैं, उसमें भी उनके वही ध्येय मालूम पड़ते हैं, जो कि हम लोगों के हैं । मुझे पूर्ण आशा है कि आज जो व्याख्यान हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुये यह बिजली विभाग जनता की सेवा करेगा और सरकार का नाम बढ़ायेगा ।

श्री चन्दनसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे जिले में रहता हूं जो कि पंजाब से लगा हुआ है । पंजाब में जो जगमगाहट होती है, उसको देखते हुए हमको भी यह अहसास होता है कि हम भी वह काम करें जिससे कि हमारे यहां भी वह जगमगाहट हो । हमारे यहां मुजफ्फरनगर में १९५६-५७ में चकबन्दी हुई थी । वहां पर काश्तकारों ने अपना पेट काटकर उसमें हाथ बटाया था । लोगों ने ट्रेक्टर के लिये और ट्यूबवेल लगवाने के लिये दरख्वास्ते दी कि हमें सिंचाई के लिये पावर दी जाय, लेकिन वह सब नहीं हो पाता है । अगर कोई लखनऊ आ गया तो मन्त्री जी यह सोचकर उस पर रहम करते हैं कि यह ३५०-४०० मील से चलकर आया, उसकी दरख्वास्त मंजूर कर देते हैं । लेकिन हर एक यह नहीं कर पाता है, लेकिन आप देखेंगे कि दरख्वास्त के बाद फिर उनसे नो आबजेक्शन सर्टिफिकेट के लिये कहा जाता है और उसके लिये उन्हें भेजा जाता है । जो देने वाले हैं, वह जिलेदार से बात करने की बात कह कर उसमें देर लगाते हैं । इस तरह से यह बड़ी जबर्दस्ती की बातें होती हैं । मंत्री जी के अनुदान का जहां तक संबंध है, उसके संबंध में मेरी राय यही है कि वह दूना कर दिया जाना चाहिये । उसके दूना होने से हमारे घरों में भी रोशनी हो सकेगी । इस अनुदान को दूनी करने के लिये हमारी सरकार के पास पैसा कम नहीं है और अगर कम हुआ तो वह टैक्स द्वारा पूरा कर लिया जायगा ।

एक बात और कह देना चाहता हूं कि काश्तकार को आप देखें कि कितनी परेशानी होती है । जिस वक्त वह बिजली लेता है, उसे २६ रुपये माहवार देना पड़ता है और खम्भा उसके खेत में लगता है । आपकी लाइन के लिये लम्प सम में पे करता है और उसका इस्टीमेट करीब करीब २ हजार के हो जाता है । मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि यदि आप उपज बढ़ाना चाहते हैं, तो या जो लाइन का खर्च है, जो इस्टीमेंट का खर्चा है वह माफ किया जाय। हमारे यहां बुजुर्गों ने कहा है कि मीठा खाने के लालच में वह झूठा भी खा लेता है । अगर आप काश्तकार की मदद करेंगे सबसीडी बढ़ाने में तो इससे आपकी उपज बढ़ेगी । परन्तु आप इसी तरह से अगर पेपर पर ही उपज बढ़ाते रहे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । वह नहीं बढ़ सकेगी और वह ऐसी ही रहेगी। रात मेरे यहां एक मित्र ठहरे हुये थे । उनका लड़का जर्मनी में है । मैंने उनसे पूछा कि कहो भैया कैसा है । तो उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान और जर्मनी में फर्क क्या है । सेंकेन्ड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने देखा कि हमारे यहां भुखमरी है और यह कैसे दूर हो तो जितने फार्मर्स थे उन्हें उसने एलक्ट्रिसिटी दी और अनुदान दिये जो उन्होंने मांगा और सुविधायें भी दीं और उपज बढ़वायी । तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप महज इतना ही कर दें कि पानी का साधन हमारे यहां कर दो । मैं पश्चिमी जिलों की बात करता हूं । पूर्वी जिलों में तो फलड्स बहुत आते हैं लेकिन हमारे पश्चिमी जिले जैसे मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ वगैरह में अगर पानी का आप प्रबन्ध कर दें तो आपको गेहूं बाहर से खरीदना नहीं होगा और जितना हमारा खर्च होगा वह हम पूरा कर देंगे । हमारे मंत्री जी भी पश्चिमी जिले, जो पंजाब से लगा हुआ है जहां बिजली की जगमगाहट होती रहती है, आते है मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे लिये भी वहां पर बिजली का इंतजाम कर दो, हम भी, हमारे किसान भी वहां स्विच दबा लेंगे और उसको यह संतोष हो जायगा कि उसके यहां भी लाइट है ।

आपने यह रखा है कि ३ हजार की आबादी वाले गांव में बिजली जायगी, लेकिन वहां हो क्या रहा है ? मोड़ पड़ता है तो लाइन इंसपेक्टर कहता है कि यहां मोड़ है, नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सौ का पत्ता दिखा दिया जाता है तो घूस खत्म हो जाती है। कुट्टी काटने की मशीन के लिये कोई दरख्वास्त देता है तो कहते हैं कि लाओ । हमारे यहां कल्ला शामली है । उसमें दो सिनेमा-

[श्री चन्दनसिंह]

घर चल रहेहैं । बड़ी घूम हो रही है, लेकिन हो क्या रहा है ? बिजली नहीं मिलती । श्रीमन्, मैं आपके द्वारा दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यहां बिजली की सुविधायें दी जावें चाहे १० आने का सवा १० आने का रेट सें ले लिया जावे । रोड बनायी आपने तो हमने जमीन दी, खम्भा बनावें, ट्यूबवेल बनावें, सबके लिये जमीन हमने दे दी, तो आप इतनी भी सुविधा नहीं कर सकते कि प्राइवेट ट्यूबवेलों को लाइन दें । मैं प्रार्थना करूंगा कि अनुदान चाहे जितना बढ़वा लीजिये, लेकिन यह न हो कि रुड़की से लोग यहां भागते भागते मंत्री जी के पास आवें तब उनको मिले । बस, भाई विजयपाल सिंह जी बहुत पुराने हैं उन्होंने सब बातें कह दी हैं । अभी तो मैंने शुरू ही किया है ।

श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्युत् मंत्री जी ने जो अनुदान उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं मंत्री जी का ध्यान मिर्जापुर जिले के राबर्टसगंज और दुद्धी तहसील की तरफ ले जाना चाहता हूं । वहां रिहंद, ओबरा बांध और ओबरा थर्मल पावर हाउस बन रहा है । वह केवल मिर्जापुर का ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े हुआ इलाका है जो बुन्देलखंड से मिला है । उस इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से कई बांध बनाये गये । हमारे यहां खेती के अलावा दूसरा कोई रोजगार नहीं है । वहां पर सारे के सारे किसान लोग ही रहते हैं । जब सारे प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप होता है तब भी वह क्षेत्र सूखे से परेशान रहता है । बांध से जो पानी पहले मिलता था उससे लम्बी लम्बी नहरें निकाल कर मिर्जापुर के मैदानी इलाकों में ले जाया गया और हम लोगों को जो पानी मिलता था वह भी मिलना बन्द हो गया । श्रीमन्, जब चुर्क सीमेंट फैक्ट्री बनी तब सरकार के बड़े बड़े मंत्री जाकर यह आश्वासन देते थे कि यहां रिहन्द बांध बनते ही बिजली मिलेगी और उससे वहां की काफी तरक्की होगी और काफी उद्योग धंधें बढ़ेंगे । हमारे यहां जंगली बांस, बघई घास और सलई बहुत काफी मात्रा में होती है और उससे कागज तथा दियासलाई तैयार किया जा सकता है यदि उसके लिये वहां पर कोई लघु उद्योग कारखाना लगा दिया जाय । लेकिन मुझे दुख है कि हमारे इलाके के सैकड़ों गांव को उजाड़ कर रिहन्द डैम बनाया गया और सैकड़ों घर को उजाड़ कर यह ओबरा बांध बनाया जा रहा है, मगर उसके पास के गांवों को ही बिजली नहीं मिल रही है, जब वह बिजली प्रदेश के सारे हिस्सों को भेजी जा रही है । अगर हमारे इलाके को भी बिजली मिल जाय तो वहां काफी तरक्की हो सकती है । श्रीमन्, हमारे यहां राबर्ट्सगंज से रामगढ़ तक बिजली की लाइन गयी है, मगर उसी के करीब के जो गांव हैं जैसे भवानी गांव, रेती, सेमरिया, रायपुर, खलियारी आदि वहां बिजली नहीं दी गयी है । इन पास के गांवों में भी बिजली दे दी जाय तो वहां काफी तरक्की हो सकती है ।

इसी तरह से अगर चोपन से निबारी, भरहरी, जोंगई, परसोई, के इलाके में भी अगर बिजली दे दी जाय तो उससे वहां काफी तरक्की हो सकती है । राबर्ट्सगंज से धोरावल, सिरसाई, बरबसपुर के इलाके में भी बिजली दी जाय । कृरा, मेहड़ी, बहुवार आदि भी ऐसा इलाका है जहां पर अगर बिजली दी जाय तो वहां काफी छोटे-छोटे उद्योग किये जा सकते हैं और खेती की पैदावार भी बढ़ सकती है । भानपुर, बुढ़हर, पसेंही, बकाही, बहुबरा आदि गांवों में भी बिजली की बहुत आवश्यकता है । इन इलाकों में जहां कि सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, अगर बिजली दी जाय तो वहां के किसान काफी खुशहाल हो सकते हैं । आज उन लोगों के पास किसानी के अलावा कोई व्यवसाय नहीं है ।

हमारे यहां छोटे मोटे ऐसे नदी नाले हैं जहां पर १२ महीने पानी भरा रहता है । अगर वहां बिजली हो, तो वहां से मशीन लगाकर पानी लिया जा सकता है और उसका उपयोग सिंचाई के कामों में किया जा सकता है ।

जब हम यह देखते हैं कि हमारे यहां की बिजली हमारे यहां के लोगों को ही न मिले, तो बड़ा दुःख होता है । आज अगर आपको गरीबों की गरीबी को मिटाना है, तो वहां गांवों में बिजली

का प्रबंध करना होगा और जब बिजली दी जाय तो वह सस्ते दामों पर दी जाय जिस प्रकार आप बिड़ला आदि मिलों को दे रहेहैं । हमारे यहां बिजली हो जाने से काफी छोटे मोटे उद्योगों को खोला जा सकता है और उसके द्वारा लोगों को काम मिल सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वहां के अधिकारियों को यह आदेश दें कि वे वहां पर बिजली देने का प्रबंध करें । अभी दो वर्ष पूर्व जब माननीय मंत्री जी हमारे यहां गये थे, तो उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया था कि वहां बिजली मिलेगी । इन बातों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

मान्यवर, मैं आपके सामने चन्द अलफाज कहना चाहता हूं---जब चार नयन बादल से टकराये, बिजली सी तुम रौंध गयी, मेरे दिल को शीतल करके, अरमानों को वह रौंद गयीं । शान्ति प्रपन्न जी की ओर मुखातिब होकर मैं कह रहा हूं---

शांतिप्रपन्न महोदय, सुन लो, मुझ निराश प्रेमी की बोली ।
करो दया तुम इतनी हम पर, हमें मिले सब कहीं चमकती बिजली भोली ।

अब हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज यूनियन के श्री सैयद अहमद हैं उनके विचार प्रकट करना चाहता हूं । "जनता सरकार तथा संगठन के साथियों से मेरी अपील" । इसको इस समय तो पढ़ कर नहीं सुनाउंगा, अगर यह आ जाय तो अच्छा है । दूसरे लोगों को समय देने के लिये इस बारे में और ज्यादा न कहूंगा ।

नवाबगंज से जब मैं अपनी कांस्टीटुयेंसी में जाता हूं, वहां बिजली की आवश्यकता है । मैं आशा करता हूं कि शांति जी वहां बिजली देकर हमें वाकई में शांति पहुंचायेंगे । नांनपारा से नवाबगंज के स्थान पर भी बिजली पहुंचाई जाय अगर वहां न पहुंचे तो कम से कम वहां जो ट्रेजरी आफीसर का दफ्तर है उसमें तो लगा ही दी जाय, जो मेरे खयाल से पक्की सड़क से मुश्किल से एक कदम पर है, वहां भी बिजली नहीं लगी है । अब मैं एक शेर पढ़ कर खत्म करता हूं—

उनको आता है प्यार पर गुस्सा ।
हमें गुस्से पर प्यार आता है ।।

लोगों को बिजली की आवश्यकता है लेकिन आजाद हुए इतने दिन हो गये तो भी हम अभी तक बिजली को तरस रहेहैं । अब मैं समाप्त करता हूं ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विद्युत मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । वैसे तो हमारी सरकार ने प्रदेशों में बिजली का विस्तार किया है, बिजली के द्वारा काफी उद्योग धंधे कायम किये हैं और कृषि के पानी के लिये ट्यूबवेल्स भी लगाये हैं । लेकिन एक बात की ओर बिजली विभाग के कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिये कि ट्यूबवेल्स से जितना पानी मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है क्योंकि बिजली उनको पर्याप्त नहीं मिल पाती है । बिजली के रेट का प्रश्न नहीं है, वह चाहे जो कुछ हो लेकिन हमें बिजली और समय पर पानी मिलना चाहिये, तभी हमारी उपज बढ़ सकती है । यह नहीं हो सकता कि लोग कहें कि ट्यूबवेल्स भी अधिक संख्या में लगाये जायं और रेट भी कम हो । जितने पावर हाउस ज्यादा होंगे उतना ही रेट भी कम होगा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हरीसिंह]
किसानों की खेती भी न सूखेगी । मेरा सरकार को सुझाव है कि अधिक से अधिक पावर हाउस खोले जायं और बड़े उद्योगों के मुकाबले में छोटे उद्योगों को बिजली दी जाय और छोटे उद्योगों के लिये अलग पावर हाउस खोले जायं और उसकी बिजली केवल छोटे उद्योगों को ही दी जाय और रेट जो भी कायदे से आये वह निर्धारित कर दिया जाय, उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है । छोटे-छोटे उद्योग धंधों के लिये भी समय पर बिजली मिलनी चाहिये । समय समय पर इन उद्य ग धंधों को बिजली मिलने पर ही प्रदेश की आर्थिक दशा सुधर सकती है क्योंकि उसी से हमको टैक्स भी मिलता है तथा उसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी का बड़ा आभारी हूं कि आज जो भी बिजली की मांग करता है, बिना एक सेकेंड देर किये हुए उसे बिजली मिल जाती है । समय पर ट्यूबवेल के लिये पानी मिलने पर ही किसान अपने खेती की पैदावार बढ़ा सकता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने ५०० एकड़ के लिये एक एक ट्यूबवेल लगाने की बात बतलायी, वास्तव में यह चीज गलत है, एक ट्यूबवेल से ५०० एकड़ खेत को पानी नहीं मिल पाता । इसलिये उसका एरिया कम होना चाहिये ।

प्राइवेट ट्यूबवेल के लिये जो आप बिजली देते हैं उसके लिये वे आपके बहुत बड़े आभारी हैं और हमारी सरकार के आभारी हैं, क्योंकि आज उसकी वजह से किसानों के खेतों में पानी काफी तादाद में मिलता है जो कभी वीरान से पड़े रहते थे और उसमें उत्पादन भी काफी हो रहा है । हम आशा करते हैं कि आगे अधिक से अधिक ट्यूबवेल बनवाये जायंगे । यदि ट्यूबवेल के लिये अधिक पावर हाउस लगाने की जरूरत हो तो और पावर हाउस लगाइये ताकि समय पर सब को बिजली मिल सके ।

जहां तक रेट का सवाल है, बिजली भी मिले और रेट भी कम हो, यह कैसे हो सकता है ? मेरा तो यह कहना है कि आप का जो भी उचित खर्च हो उसके हिसाब से बिजली का रेट तय करें । यदि दुगुना रेट देना पड़े तो आप दुगुना रेट लें लेकिन बिजली अवश्य दें और वह समय पर दें । मेरा ख्याल है कि आगे चल कर जब काफी बिजली का उत्पादन हो जायगा तो रेट अवश्य कम हो जायगा । लेकिन किसानों को आज बिजली की आवश्यकता है, उद्योगों धंधों के लिये बिजली की आवश्यकता है तो जो उनको मिलनी चाहिये । उदाहरण के लिये अपने क्षेत्र के एक गांव जानी का उदाहरण देना चाहता हूं जहां बिजली के खम्भे आदि गड़ गये हैं लेकिन अभी तक वहां बिजली नहीं मिल सकी है । वहां गलिहारे गलिहारे में खम्भे जब लगे हुए हैं तो मेरा कहना यह है कि उनको बिजली मिल जानी चाहिए और अविलम्ब मिल जानी चाहिये । माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस ओर वे विशेष ध्यान देंगे ।

दूसरी बात यह है कि जिले में यहां से जो आदेश जाते हैं, वहां के अधिकारी उसका पालन शीघ्र से शीघ्र नहीं करते हैं । इस तरह के तमाम गोलमाल हो रहे हैं जिनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है । आपका आदेश फाइल में ही पड़ा रह जाता है जिससे लोगों को कई कई महीने तक इस बात की सूचना ही नहीं मिल पाती कि मेरा कनेक्शन मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है । मेरठ जिले के सम्बन्ध में आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप वहां की बिजली कम्पनी को या तो वहां के अधिकारी या ठेकेदार हैं उनको इस बात की चेतावनी दें कि सरकार के आदेशों का पालन यथाशीघ्र होना चाहिये और जिनके कनेक्शन मंजूर हों उनके कनेक्शन शीघ्र ही लग जाने चाहिये । छोटे छोटे उद्योग धंधे बढ़ें, और किसानों को ट्यूबवेल के लिये समय पर बिजली मिले तो देने के लिये कच्चा माल भी मिल सकता है । हमारे पश्चिम के किसान काफी अनुभवी हैं और वे बड़े मेहनती होते हैं, अगर उनको २४ घंटे के बजाय २० घंटे ही बिजली मिले तो वे अपनी पैदावार को काफी बढ़ा सकते हैं । पश्चिम के किसानों में पानी के लिये जो त्राहि-त्राहि मची हुई है वह भी खत्म हो जायगी । हमारे सिंचाई मंत्री और विद्युत् मंत्री दोनों ही बड़े चंचल हैं, मेरा उन दोनों से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दें कि जहां पावर हाउस न हो वहां शीघ्र से शीघ्र पावर हाउस बनवावें और रेट जो भी आपका उचित खर्च पड़े उसके अनुसार निश्चित कर दें, उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना है ।

जहां तक रिहन्द डैम का सम्बन्ध है, उस पर करोड़ों रुपये खर्च हुये हैं लेकिन आज भी उस क्षेत्र की तरफ से कहा जाता है कि उनको बिजली नहीं मिलती । कितने आश्चर्य की बात है कि सहारनपुर में पावर हाउस हो और मेरठ जिले के लोगों को बिजली न मिले ! मैं आपके द्वारा सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने पावर हाउस में खराबी हो उनको शीघ्रातिशीघ्र ठीक करें । और बिजली मंत्री जी शीघ्र से शीघ्र बिजली दें और छोटे उद्योग धन्धों को अधिक से अधिक बिजली देना चाहिये और हर तरह से बिजली द्वारा उनका विस्तार होना चाहिये ताकि उनका काम आगे बढ़ सके । इसलिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुये इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में अपने सुझाव दिये हैं और अपनी आलोचनायें प्रस्तुत की हैं । साथ ही मुझे कुछ अन्य बातों की तरफ और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी ओर ध्यान दें । पहली बात यह है कि रिहन्द बांध तो बन गया और जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने ध्यान दिलाया है कि वहां से ४५ हजार लोग निकाले गये थे, उसकी जिम्मेदारी भी विद्युत विभाग की है, वह उसी की वजह से हटाये गये तो उन के पुनर्वासन, उनको उद्योग धन्धों में लगाने की योजना और सही ढंग से बसाने की योजना बनाई जानी चाहिये थी । लेकिन अभी तक केवल ५-६ हजार लोग ही बसाये गये हैं और जमीन दी गई है । बाकी लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है । गवर्नमेन्ट को उनकी रोजी-रोटी का जरिया पैदा करना चाहिये था । इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आरम्भ में पहले भी कहा था, रिहन्द बांध की बिजली के सम्बन्ध में एक छीनाझपटी शुरू हो गई है । अलमूनियम फैक्टरी को लागत के सही रेट पर बिजली दी गई है, रेलवे को भी विद्युतीकरण के लिये दी है और कई प्राइवेट उद्योगपतियों को भी सरकार ने बिजली दी है । इस के अलावा मध्य प्रदेश की सरकार भी रिहन्द बांध की बिजली पर दांत लगाये बैठी है और मैं चाहता हूं कि यू० पी० की सरकार कोई भी इस तरह की बातचीत मध्य प्रदेश की सरकार से न चलाये और उनकी बातों में न फंसे । चाहे कोई केन्द्रीय सरकार की तरफ से पंच बनाया जाय और कहीं से भी प्रेशर पड़े लेकिन मध्य प्रदेश को एक किलोवाट भी बिजली न दी जाय और यदि किसी वजह से मध्यप्रदेश की सरकार को देना भी पड़े और वह राजी हो भी जाय तो मेरा कहना है कि लागत का एक तिहाई उचित मुआवजे के रूप में उनसे १५ करोड़ रुपया पहले नकद ले लेना चाहिये और इस से कम नहीं लेना चाहिये ।

दूसरा सवाल है कि जब हमें अपने प्रदेश में उद्योगों को उठाना है और सब में विद्युतीकरण करना है तो हमें नये-नये और भी बांध बनाने पड़ेंगे और जब उनके लिये हम किसानों की जमीन लेते हैं तो फिर किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा देने का सवाल उठता है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर किसानों को उन कारखानों में नौकरी नहीं मिल सकती तो कम से कम उनको उनकी जमीन का मुआवजा बाजार रेट पर मिले । आप कहते हैं कि बाजार भाव पर मुआवजा देंगे लेकिन मुझे जानकारी है कि मध्य प्रदेश के किसानों को ढाई तीन हजार प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया है जब कि यहां के किसानों को केवल ढाई सौ रुपया प्रति एकड़ ही दिया गया है । एक उदाहरण मैं दूंगा कि अगर केन्द्रीय सरकार के कोई कारखाने खुलते हैं यहां पर तो जैसा कि ज्वालापुर, हरिद्वार में एक कारखाना बन रहा है, केन्द्रीय सरकार ने कहा कि मुफ्त में अगर यू० पी० सरकार जगह देगी तो वह यहां खोल दिया जायगा लेकिन इस सरकार ने वहां के १५ गांवों के किसानों को जो मुआवजा दिया है वह बहुत कम है, वे मारे-मारे फिर रहे हैं इस पर मंत्री जी विचार करें । उदाहरण के लिये यू० पी० सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने भीगी बिल्ली जैसी बनी हुई है । दूसरे प्रदेशों की सरकारों का भी अनुसरण यह सरकार करने

[श्री ऊदल]

को तैयार नहीं है । बिहार की सरकार ने मिर्जापुर में राबर्ट सगंज रेलवे लाइन के लिये २४७ एकड़ जमीन के लिये जितना मुआवजा सेंट्रल सरकार से लिया है उतना ही मुआवजा उत्तर प्रदेश की सरकार ने २,४४७ एकड़ जमीन के लिये लिया है । मेरा कहना यह है कि यह सरकार केन्द्रीय सरकार के सामने झुकती है और अपनी बातों को नहीं कहती । इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ।

दूसरे कनेक्शन देने में काफी दिक्कत होती है और जो लोग पाने वाले होते हैं उनको काफी परेशानियां उठानी होती हैं । प्राइवेट ट्यूबवेलों के लिये बहुत से सुझाव आये । माननीय मंत्री जी के यहां जो लोग आते हैं उनको कनेक्शन मिल जाते हैं । मेरी राय में तो उनको विभाग के द्वारा ही कनेक्शन मिल जाने चाहिये और वह नहीं मिलते । क्योंकि निजी कार्य होता है इसलिये २५० से ३०० मील चल कर लखनऊ आते हैं और मंत्री जी से मिलते है । विभाग को हिदायत होनी चाहिये कि विभाग उदारतापूर्वक उस पर विचार किया करे और जो लोग प्राइवेट कनेक्शन उद्योग धन्धों के लिये तथा सिंचाई के लिये लेना चाहते हैं उनको हेडक्वार्टर से ही मिल जाया करें ।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि विद्युत परिषद् के अधिकारी, जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके मजदूरों के मुकदमें पंच निर्णय के लिये जाते हैं, अपने मुकदमें पंच निर्णय के लिये नहीं भेजते। केसा मजदूर सभा ने अपना केस अधिकारियों के सामने रख दिया और कहा कि पंच निर्णय के लिये भेज दिया जाय लेकिन अधिकारियों ने मानने से इंकार कर दिया। यह अच्छी बात नहीं है।

एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे सूबे में बिजली की बहुत आवश्यकता है । सरकार को ध्यान देना चाहिये और एक बहुत बड़ा डैम गंगा पर या जमुना पर हो सके तो बनाया जाय जिसके लिये अभी से सर्वे कराया जाय । ऐसा होने पर ही प्रदेश में सही मानी में विद्युतीकरण हो सकता है। उड़ीसा के मुख्य मंत्री पटनायक ने मनुभाई शाह को पटा कर हाइडल तथा थर्मल दोनों के लिये एक समझौता कर लिया है रूस के लोगों को बुला कर । आप भी सेंटर के ऊपर दबाव डालिये और मनुभाई शाह से मिलिये और कहिये कि प्रदेश का औद्योगीकरण करना है तो एक ऐसा कारखाना बिजली का वह बना दें जो गंगा या जमुना पर हो ।

प्रदेश में बड़े मिल मालिक हैं । उनको सरकार ने कम रेट पर बिजली दे रखी है और उनके यहां ८ लाख से ऊपर रुपया बकाया है । जब संकटकालीन स्थिति है तो बिजली के बकाये का रुपया हमको सूद के साथ वसूल करना चाहिये । जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, जैसे मार्टिन कम्पनी, उनको ३, ४, ५ परसेंट पर रुपया दे रखा है करोड़ों की तादाद में लेकिन वह न तो सूद अदा कर रही हैं और न किस्तें अदा कर रही हैं । उसको वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया, इसकी माननीय मंत्री जी जानकारी करा दें । और मैं एक मांग करना चाहता हूं कि इस रुपये को तुरन्त आदेश दे कर वसूल करना चाहिये ।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं और अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्राइवेट कुंआ लगाने के लिये ४० एकड़ को काट कर १० एकड़ कर दिया है । इससे किसानों को बहुत राहत मिली है । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । साथ ही जो विद्युत परिषद् के चेयरमैन हैं श्री बी० बी० लाल जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं । उन्होंने बड़ी कुशलतापूर्वक इस कार्य का संचालन किया है और आगे भी सफलतापूर्वक वे इस कार्य को चलाते रहेंगे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं सब सदस्यों का, इस तरफ के और उस तरफ के, आभारी हूं जिन्होंने एक आध अच्छे शब्द कहे उनको सुन कर प्रसन्नता हुई और जिन्होंने हमारे विभाग की खामियां बतायीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनको देखने का प्रयत्न करेंगे और जो कमियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश की जायगी ।

कुछ चोरियों का जिक्र किया गया। मैं समझता हूं कि चोरी नहीं होनी चाहिये और जो हो रही हैं उनकी खबर जिन साहबान ने दी उनको तो हम देख ही रहे हैं, और भी जो खबरें देंगे, उनको भी देखेंगे। कल ही हमको पता चला कि सीतापुर में कोई चोरी हो रही है। हमारे बोर्ड के चेयरमैन साहब ने चीफ इंजीनियर साहब से कहा कि किसी आदमी को भेज कर दिखवा लें, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब अपने आप वहां गये और जा कर वह चोरी पकड़ी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो खराबियां हैं वह दूर होनी चाहियें और हम प्रयत्न करेंगे कि वह दूर हों।

हमारे पास सन् १९६१ में, जैसा मैंने कहा, २३७ मेगावाट बिजली थी और १९६१-६२ के मार्च में ४९१ मेगावाट हो गयी और इस वक्त ५९१ मेगावाट के करीब बिजली हमारे पास है। १५ मेगावाट बिजली कानपुर में जल्दी ही तैयार होने वाली है। लेकिन यह तमाम बिजली हमारे प्रदेश के साइज और उसकी आवश्यकता को देखते हुये काफी नहीं है और इसीलिये, जैसा कि आपने पहले बताया था, कि चूंकि पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हम पीछे रह गये थे हमने इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०७ करोड़ रुपये बिजली के लिये रखे थे और हमारी यह इच्छा भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करें। पर बिजली ऐसी चीज नहीं है जो कहने से तैयार हो जाय। बिजली का प्रोजेक्ट बनाने में समय लगता है, उसमें फौरेन एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ती है। साधारणतया हमारे जो इंजीनियर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उनका यह अन्दाजा है कि जितने रुपये एक प्रोजेक्ट में लगने हों उसका स्क्वायर रूट में एक जोड़ करके जितना आता है उतने वर्ष उसके बनाने में लगते हैं। उदाहरण के लिये अगर १६ करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है तो ५ वर्ष में वह तैयार होगा और अगर १०० करोड़ का प्रोजेक्ट है तो ११ वर्ष के करीब उसके बनने में लगेंगे। तो यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी कोई भी प्रोजेक्ट हम बनायें उसमें कुछ समय लगता ही है। चूंकि हमारे प्रोजेक्ट्स कुछ देर में आ रहे हैं हमने यह इरादा किया कि दो और जगह बिजली का इन्तजाम करें। कानपुर में हमारे मुख्य मंत्री जी दौड़ धूप कर के ३०-३० मेगावट के दो सेट्स लगाने का इन्तजाम कर रहे हैं। हरदुआगंज में हम ६०-६० मेगावट के दो सेट्स के प्रोजेक्टस बनाने में लगे हुये हैं। हम भारत सरकार में गये। हमने अपने यहां बिजली की कमी का जिक्र किया और हमें आशा है कि हरदुआगंज में भी हमें ६०-६० के दो सेट्स की इजाजत मिल जायगी। हमारे भाइयों ने बहुत सी बातें कहीं। सब से पहली शिकायत यह है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा देहातों को बिजली मिले और ट्यूबवेलों को भी मिले। पहले हमारे ट्यूबवेलों को बिलकुल बिजली नहीं मिलती थी। हमने निश्चय किया कि रात को बिजली दें ताकि बिजली की कमी थी, ४० एकड़ में हमने दी। बाद को २० एकड़ किया और अब १० एकड़ कर दिया है और इसको फ्री कर दिया है। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या मजिस्ट्रेट हैं, उनसे आप कहें तो वे बिजली आपको ट्यूबवेल के लिये दे देंगे। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। आपको केवल यह सर्टीफिकेट देना है कि आपके पास १० एकड़ जमीन है और कमांड एरिया में नहीं है। शिकायत यह आती थीं कि कमांड के लिये इंजीनियर्स सर्टीफिकेट नहीं देते हैं। इसके लिये हमने आर्डर कर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जूक्यूटिव इंजीनियर के पास एक महीने का नोटिस देगा कि वे जवाब दें कि वह कमांड में है या नहीं और उनके जवाब न आने पर फिर से १५ दिन का नोटिस देगा। अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो फिर उसके लिये आर्डर हो गया है कि इसकी जरूरत नहीं है कि वह कमांड में है या नहीं और बिना नो आबजेक्शन सर्टीफिकेट के ही ट्यूबवैल के लिये बिजली दे दी जायगी।

एक चीज और है कि अभी तक हम देहातों में बिजली रात में देते थे क्योंकि बिजली की कमी थी। पिछली साल हमने हुक्म दे दिया था कि जो बिजली रात को दी जाती थीं वह मार्च ६३ तक दिन में भी चला करेगी। इसके लिये टाइमिंग्स की भी जरूरत नहीं है। हमने उसको दूसरे आर्डर से मार्च ६४ तक कर दिया है। जितने ट्यूबवैल हैं उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। सिर्फ यह है कि १० एकड़ जमीन हो, नो आबजेक्शन सर्टीफिकेट हो और आप

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

बिजली ले सकेंगे और वह बिजली रात में भी चलेगी और दिन में भी चलेगी और मार्च ६४ तक किसी चीज की जरूरत नहीं होगी । मेरे देहाती भाई इससे सहमत होंगे कि इससे ज्यादा सहूलियत नहीं दी जा सकती थी। १० एकड़ से कम करें तो आप जानते हैं कि एक दिक्कत होती है और वह यह कि अगर एक ट्यूबवैल के पास दूसरा बगल में खोल दें तो एक का पानी दूसरे में चला जाया करता है और इससे लोगों को शिकायतें होती थी ।

देहात में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये हम बिजली देने जा रहे हैं। हमने काफी जगह दी है लेकिन अभी तक हम यह नहीं सोच पाये कि देहातों में इंडस्ट्रीज भी चलें । हमारे यहां अक्सर मांगें आटे की चक्की या आरे मशीन की आती हैं । इसके सिवाय और कोई मांग नहीं आती । लोग उद्योग धंधों को चलायें, इसको सोचकर हमने निश्चय किया है और मुख्य मंत्री जी ने एलान कर दिया है कि जहां हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है वहां १५ किलोवाट बिजली फ्री कर दी है । उस पर कोई कंट्रोल नहीं है । चाहे इंडस्ट्रीज लगायें । इससे ज्यादा बिजली की देहात में खपत नहीं होती । अब चाहे कोई आरा मशीन लगाये या धान की मशीन लगाये, उसको बिजली मिलेगी । रेट की बात यह है कि बिजली को समझने की जरूरत पड़ती है । बिजली २४ घंटे पैदा होती है और इस्तेमाल थोड़े समय के लिये होती है । १८११६ किलोवाट बिजली प्राइवेट ट्यूबवेल्स को मुहैया की गई, लेकिन केवल १,१७,०९,६२८ यूनिट इस्तेमाल की हैं। इसका मतलब यह होता है कि टयूबवेल में सात परसेंट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकती है। तो आप जरा अन्दाजा लगायें कि बिजली हम आपके लिये रिजर्व कर दें और उस बिजली का जो परसेंटेज आवे वह सात से भी कम आवे तो बिजली पे क्या करेगी और हम आपसे यह कह भी नहीं सकते कि जरूरत न हो तो भी बिजली आप इस्तेमाल कीजिये । तो अगर आप उसको कम्पेयर करें किसी मेजर इंडस्ट्री से जिसका लोड फैक्टर कभी कभी ९० और ९५ प्रतिशत तक होता है, तो यह जरा सोचने की बात हो जाती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे ट्यूबवेल के रेट्स हैं वह किसी भी प्रदेश से ज्यादा नहीं हैं बल्कि बहुत सी जगहों से हमारे रेट कम हैं । इससे और ज्यादा कम हम ट्यूबवेल के रेट करेंगे या देहात में बिजली देंगे तो वह उस तरह से कोई चीज चल नहीं सकेगी ।

बार बार हमारे बहुत से साथियों ने बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात कही लेकिन बड़े उद्योगपति जो बिजली लेते हैं, वह सस्ते में लेते हुये भी उस बिजली से हमको इतना फायदा होता है जो बिजली जैसा मैंने कहा देहात में हम देते हैं वह कुछ महंगी होते हुये भी उससे बड़ा भारी हमारे डिपार्टमेन्ट को नुकसान रहा करता है । झारखंडेराय जी ने हमसे यह कहा कि आप हर चीज का एक लाला की तरह से मापदंड न रखें । देहात में जब बिजली देते हैं तो उससे यह न सोचिये कि इससे आपको फायदा होगा या नहीं । ऐसा हम सोचते भी नहीं हैं। जब कभी बिजली हम देते हैं तो उसमें यह तो थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि बिजली की यहां खपत होगी या नहीं क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रदेश के तमाम गांवों में हम बिजली दें लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो धन की मात्रा है वह बहुत कम है । दूसरे प्रदेशों में कुछ बहुत पहले से बिजली थी और कुछ उनके यहां गांव भी उतने नहीं हैं। हमारे यहां करीब ८६ हजार गांव हैं, उनमें अगर हम बिजली देना चाहें तो वह तो कभी नहीं हो सकेगा कि पांच वर्ष या दस वर्ष में वे देंगें लेकिन हमारा निरन्तर प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा करके अपने देहात के लोगों को बिजली दें । हमसे यह कहा गया कि रिहन्द में बिजली तो आपने बना दी लेकिन देहात को कुछ फायदा उससे नहीं होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। रिहन्द की बिजली को हम गोरखपुर से कनेक्ट करने जा रहे हैं, मऊ से कनेक्ट करने जा रहे हैं और सोहावल से कनेक्ट करने जा रहे हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि वह बिजली रिहन्द से गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़, इलाहाबाद, उसको कानपुर से भी कनेक्ट कर देंगे, फतेहपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, इन जिलों को जायगी । आज भी श्रद्धा बहन जी ने हमसे यह कहा कि आपने देहात के लिये बिजली थोड़ी सी रखी है, आठ परसेंट, और तमाम आप बड़े लोगों को दे रहे हैं । हमने तो यह कहा है कि जितनी बिजली देहात में लोग चाहें, जितनी ट्यूबवेल

के लिये चाहें, उतनी बिजली हम आज भी देने के लिये तैयार हैं लेकिन इससे ज्यादा बिजली हमको चाहिये ही नहीं। मैंने जैसा कहा, ट्यूववैल के लिये १० किलोवाट बिजली ही तो चाहिये। अगर एक हजार ट्यूबवैल्स आप के हैं तो उसका दस गुना दस हजार रख लीजिये। लेकिन आप यह तो कर नहीं सकते कि १० लाख या ५ लाख किलोवाट बिजली देहात के लिये बिलकुल दे दें क्योंकि देहात में उसकी खपत ही नहीं। न ट्यूबवैल के लिये खपत है और न दूसरे कामों के लिये खपत है। इसलिये मैंने कहा कि देहात में जितनी बिजली चाहिये उतनी हम आपको देंगे, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

मिर्जापुर के लिये रामप्यारे जी ने कहा और दूसरे साथियों ने कहा कि मिर्जापुर में बिजली पैदा होती है लेकिन हम उससे महरूम रहते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है। हम भी उत्तराखंड में रहते हैं, वहां भी गंगा जमुना हैं लेकिन हमको उनका पानी नहीं मिलता जबकि आपके साथ ऐसा नहीं है। फिर हमने तो यह निश्चय किया है, रामप्यारे जी ने कुछ जगहें बतायीं और दूसरी ओर कुछ मिर्जापुर में जगहें हैं वहां एकोनामिक बात हम नहीं देखेंगे, जैसे म्योरपुर वगैरा हैं, इन जगहों पर बिजली हम देंगे, इसमें चाहे रुपया कुछ ज्यादा लग जाय। और कुछ हिस्से आपने बताया, पानी के ट्यूबवैल्स लगाने के लिये। मिर्जापुर जिले में, मैं जानता नहीं, कि वहां पानी है या नहीं, ट्यूबवैल्स बन सकते है या नहीं लेकिन अगर बन सकते है तो हम चाहेंगे कि हम वहां मिर्जापुर जिले में बिजली ज्यादा से ज्यादा दें। एक भाई ने कहा कि बुन्देलखंड में बिजली का कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। बुन्देलखंड में बिजली का बड़ा भारी इन्तजाम हो रहा है। माताटीला बांध करीब-करीब बना हुआ है जिसमें बिजली लगाने की बातचीत हो रही है। बुन्देलखंड में हमने यह इन्तजाम किया है कि जब तक बुन्देलखंड में माताटीला से हमारी बिजली न आये तब तक हम कुछ जगह डिजेल सेट्स लगायें। जैसे बाँदा में वहां बिजली नहीं आई तो वहां बिजली दे रहे हैं और दूसरी जगहों पर भी हमने कुछ डिजेल सेट्स लगाये हैं और वहां बिजली देने का प्रबन्ध कर दिया है लेकिन हमारा इरादा यह है कि जब माताटीला बांध से बिजली जल्द से जल्द तैयार हो जाय तो उस बिजली को हम पूरे बुन्देलखंड में लाइन बिछा दें, बिजली का जाल बिछा दें जिससे माताटीला वाली बिजली ललितपुर, झांसी, तालबेहट, मऊरानीपुर, चरखारी, राठ, महोबा, बांदा, समथर, उरई, जालौन, हमीरपुर और इनके आस-पास जगहों को दी जा सके। हमने यह इन्तजाम किया है कि बाँदा शहर को भी यह बिजली दी जा सके। एक जगह हम सेन्ट्रल स्टेशन बनायेंगे, वहां से बिजली का जाल बिछा देंगे। हमारी यह इच्छा है कि प्रदेश में बिजली फैलाने के लिये यह सदन रुपया देने के लिये तैयार हो तो बिजली की कमी नहीं रहेगी। मगर इसमें कुछ बातें परेशानी की हैं। हमारे चाहने पर भी और रुपया होने के बावजूद भी इसमें आजकल कुछ दिक्कतें हैं। आजकल बिजली का सामान, लोहे के खम्भे, तार या दूसरी बिजली की चीजें मिलती नहीं हैं। ऊदल जी ने एक शिकायत की कि जो तार लगाया गया वह ताम्बे का तार न लगाकर लोहे का तार लगाया गया है। मैं आपको जानकारी के लिये बतला दूं कि पहले ताम्बें का तार लगाने की प्रथा थी, लेकिन आजकल तो लोहे के तार के स्थान पर अलुमोनियम का तार लगाते हैं। तो आपने कहीं अलमोनियम का तार देख लिया होगा और आपको ऐसा भ्रम हो गया। कहीं गलती हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि गलती नहीं है। जैसे और जगह गलती हो सकती है उसी तरह से इस विभाग में भी हो सकती हैं। लेकिन जो शिकायतें बतलाई गईं उनको नोट कर लिया गया है और इस बात की कोशिश करेंगे कि उनको दूर किया जाय।

हमारे फतेहपुर के भाई चले गये। उन्होंने चर्चा किया और कहा कि पूंजीपतियों का खयाल रखा जाता है और गरीबों का नहीं। देहात का खयाल नहीं रखा जाता और फतेहपुर में ज्यादा रेट की बात कही। वहां भी वही रेट है जो और जगह स्टीम स्टेशनों का है। ७ आने पर एक

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

आना रिबेट मिलता है। हम इस बात को सोच रहे हैं कि जैसा कुछ भाइयों ने सुझाव दिया कि एक तरह का रेट सब जगह कर दिया जाय। रिहन्द डैम से गोरखपुर को जोड़ेंगे। रिहन्द से सोहावल को जोड़ेंगे। रिहन्द से कानपुर को जोड़ेंगे, इलाहाबाद को जोड़ेंगे और कानपुर से हरदुआगंज को जोड़ेंगे। इनमें से बहुत से काम का हमने ठेका दे दिया है और यह काम आरम्भ हो गया है। जब यह लाइन जुड़ जायगीं तो उत्तर प्रदेश में एक ग्रिड बन जायगा और एक रेट इसका हो जायगा और किसी को शिकायत नहीं होगी। हमारे कुछ भाई लोगों ने कहा कि यह जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं, यह बहुत ज्यादा मुनाफा लेती हैं और उनको सरकार क्यों नहीं ले रही है। मैंने आरम्भ में ही यह कह दिया था और फिर बताये देता हूं कि हमने यह निश्चय किया कि हम इस साल ७ कम्पनियों को लेंगे। जो कम्पनियां हैं यह तो बहुत पुराने जमाने से हैं। कुछ नियमों के ही अनुसार वह बनी हुई हैं। जिस जिस कम्पनी की लीज खत्म होती जायगी हम उसको वैसे ही वैसे लेते जायेंगे। अगर उस बीच में भी कोई बात ऐसी पैदा होती है कि जिससे हमारे लिये उसको लेना आवश्यक हो जाता है, तो भी उस पर विचार किया जा सकता है। आप देखें कि बांदे में इन्तजाम ठीक नहीं था और गोरखपुर के बारे में भी बड़ी शिकायत थी। यद्यपि उसका टाइम भी नहीं समाप्त हुआ था फिर भी हमने उसको ले लिया। कम्पनी का सर्वे पूरा होने के पहले हमारा यह प्रयास रहा कि हम उस कम्पनी को ले लें।

एक बात यह भी कही गई कि कम्पनियां जरूरत से ज्यादा मुनाफा उठाती हैं। ऐसी बात नहीं है। यह इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में है कि वह ६ परसेन्ट से अधिक मुनाफा नहीं ले सकती हैं। उन पर नजर रखने के लिये हमारे आडिट डिपार्टमेन्ट के इन्सपेक्टर जाकर उसको देखा करते हैं। पिछली दफा मार्टिन बर्न की भी शिकायत की गई। यह भी उस इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट में अधिकार दिया गया है कि कंपनियां घाटा होने पर अपने रेट्स बढ़ा भी सकती हैं। साथ ही हम भी उनके रेट कम कर सकते हैं यदि उनको मुनाफा अधिक हो तो। हमने कई कम्पनियों में जो ज्यादा रेट लेती थीं, उनको कम भी किया है। उदाहरण के लिये जौनपुर की बात आपको बताता हूं। वहां पर उन्होंने ज्यादा रेट बढ़ा दिये थे। वह कम कर दिये गये हैं। एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि आज के जमाने में कोई भी कम्पनी ६ परसेन्ट से कम पर काम करने के लिये तैयार नहीं है। क्योंकि और दूसरे उद्योगों में ६ परसेन्ट से अधिक मिलता है। यह सोचना कि हमने उनको जानबूझ कर छोड़ रखा है, और वह बड़ा भारी फायदा उठा रहे हैं, यह बात, जैसी कि माननीय ऊदल जी ने कही, ठीक नहीं है।

जहां तक लखनऊ का प्रश्न है, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि यहां पर रेट ज्यादा नहीं है। यह पुरानी कम्पनी है। जो रेट है, वह हमसे ज्यादा नहीं हैं। इसके लेने की बात भी इसकी लीज खत्म होने पर ही सोची जा सकती है। समय आने पर हम पीछे रहने वाले नहीं हैं।

एक बात यहां पर रिहन्द के रेट के बारे में कही गई कि हमने बिड़ला जी को सस्ते रेट पर बिजली दे दी है। पिछले दिनों भी यह बात कही गई थी और इस साल भी यह बात कही गई है। जैसा कि अभी मैंने कहा, वह रेट की बात नहीं है। बात इस पर है कि कितना परसेन्टेज है और लोड फैक्टर क्या है। आप देखें कि बिड़ला जी इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वह अपनी बिजली खुद पैदा कर लें। हमारी बिजली वह छोड़ देना चाहते हैं। हमारे भाई ऊदल जी जिन्होंने शिकायत की थी, वह जरा इस बात पर गौर कर लें कि वह हमारी बिजली को छोड़ देना चाहते हैं। वह इस बात से ही समझ लेंगे कि हमारी बिजली उनको सस्ती पड़ रही है या मंहगी। अगर सस्ती होती, तब वह क्यों छोड़ने के लिये सोंचते? आप को बता दूं कि बिजली के रेट इस प्रकार से नहीं चार्ज किये जाते हैं कि वह अपनी बिजली खुद ही पैदा करने लगें। ऐसा करने से तो कोई लाभ ही नहीं होगा। आपने यह देखा, यहां भी बिड़ला जी, जिसको कि आप यह समझ रहे थे और इसलिये उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि शायद

वे अपनी बिजली सस्ती पैदा कर सकें, उन्होंने यह कह दिया कि हम बिजली नहीं लेने की सोच रहे हैं ।

एक बात मजदूरों की यूनियन के सम्बन्ध में कही गयी । ऊदल जी की बात को सुनकर मैं थोड़ा परेशान भी हुआ कि इनको उस यूनियन से कहां की मोहब्बत हो गयी । आपके कंट्रोल में तो वह यूनियन है नहीं । बहरहाल, यूनियनों को रिकगनाइज करने के कुछ नियम हैं और वह यह हैं, आप भी इस बात को मानेंगे कि हमारे काम यूनियन की वजह से रुके नहीं । आप कभी इस बात को नहीं चाहेंगे कि बिजली जैसी अन्डर टेकिना में हड़ताल हो जाय, भूख हड़ताल हो जाय और काम ठप करने की कोशिश की जाय । अगर कोई हाउस के काम में बाधा देता है तो सोचना पड़ता है कि क्या किया जाय । उसी तरह से अगर कोई यूनियन हमारा काम चलने में बाधा डालती है तो सोचना पड़ेगा कि इस तरह की अन्डरटेकिंग्ज में जो यूनियन बाधा डालती हैं उसको हम रिकग्नाइज करें या न करें । विभाग के लोग इस बात को सोच रहे हैं ।

जहां तक मजदूरी बढ़ाने की बात है, दो बातें एक साथ नहीं हो सकतीं । आप कहते हैं कि बिजली सस्ती दो, फिर कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ । अगर तनख्वाह दूसरों के मुकाबले में कुछ कम है तो आप विभाग से कह सकते हैं लेकिन यह बात तो ठीक नहीं है कि आप कहें कि मजदूरी बढ़ा दो लेकिन बिजली का रेट मत बढ़ाओ । कभी-कभी प्राइवेट कम्पनीज के लोग कहते हैं कि हम तीन महीने या ४ महीने का बोनस देना चाहते हैं । हम उसको नहीं मानते हैं । हम कहते हैं कि २ महीनों से ज्यादा का नहीं देना चाहिये । क्योंकि हम तो कस्टोडियन हैं, कंज्यूमर और मजदूरों दोनों के हितों के यानी कन्जूमर का इन्टरेस्ट सुरक्षित रहे और मजदूरों को ठीक तरह से मजदूरी मिले । हम दोनों मे सामंजस्य देखते हैं । बहरहाल, मैं तो समझता नहीं कि रेट्स कम हैं––फिर भी आपने एक बात कही हैं । हम डागमैटिक नहीं है, अगर कोई ऐसी होगी तो उसको भी हम देख लेंगे ।

श्री रामप्यारे––

उद्वासितों के लिये कुछ नहीं कहा आपने ?

श्री ऊदल––

मध्य प्रदेश के रेट्स वाली बात भी बताइये । मुआवजा उनको कैसे मिलेगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा––

आप मेरी बात सुनें । मुख्य मन्त्री जी ने माना भी है और दूसरी जगहों पर कहा है कि जो जमीन के मुआवजा देने के हमारे रेट्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन करने की बात है लेकिन जहां तक पुराने हिसाब से मुआवजा दिया गया है वह ठीक है । उसके साथ ही उनको बसान का इन्तजाम किया गया, उनके लिये कुंये, स्कूल बनाये गये । लेकिन हमारे भाई रामप्यारे जी को शिकायत है कि वहां बहुत से काम अभी नहीं हुये हैं । वह हमारा विभाग नहीं करता लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं उनसे मैं कह दूंगा । बहरहाल, यह बात तो सही है कि जो उजड़ गये, उनका पूरा इन्तजाम भी करें तो भी वे पूरे सैटिसफाई तो होते नहीं । उनका जो मकान था वैसा ही मकान, उनकी जमीन की तरह सें जमीन तो हम दे नहीं सकते । लेकिन इस बात का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जो उनको हम दे सकते हैं दें । पहले यह भी नहीं था । जो भूमिहीन थे उनको जमीन देने का कायदा नहीं था । उसका भी हमने कायदा यह बना दिया है कि उनको भी हम जमीन दे दें । पहले वहां पानी नहीं था, हमने ढोढोकर पानी वहां पहुंचाया धीरे धीरे जो वहां कुयें सूख जाया करते थे, उसका भी प्रबन्ध किया, और वह शिकायत भी उनकी दूर की गयी ।

[श्री शांतिप्रपन्न शर्मा]

मध्य प्रदेश वाली बात कही गयी । उस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । वे भी हमारे बगल के प्रदेश के लोग हैं, आप यकीन रखिये, माननीय मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं ।

कुछ भाइयों ने शिकायत की कि कुछ जगह आधी जगह बिजली पहुंची है और आधी जगह नहीं पहुंची है, उसको भी देख लिया जायेगा और बाकी आधे हिस्से में भी बिजली पहुंचायी जायेगी । जो देरी हुई है, वह अब नहीं होगी।

प्रेमसिंह जी की शिकायत पर भी ध्यान दिया जायगा । अगर नजदीक कहीं बिजली होगी तो हम उनकी शिकायत भी दूर करने की कोशिश करेंगे । एक बात मैं यह बतला दूं कि नानपारा में जो बिजली जाती है वह डीजल स्टेशन से चला करती है और वहां हमारे पास ज्यादा पावर नहीं है । बलरामपुर राज बिजली कम्पनी को हम ले रहे हैं, और उसको लेकर सोहावल से हम जोड़ने जा रहे हैं । एक वर्ष के अन्दर यह काम हो जायेगा । उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि आपके यहां भी बिजली दे सकें ।

बहुत से साथियों ने गांव-गांव में बिजली लगाने की बात कही है । बिजली ऐसी चीज नहीं है कि हम उसको जहां चाहें वहां लगा दें । उसके लिये हमको कई चीजों को देखना पड़ता है जैसे कि लाइन वहां कितनी दूर से आती है, वोल्टेज वहां तक पहुंच सकेगा या नहीं, तथा और भी कई चीजें देखनी होती हैं । बहरहाल, हमारा यह इरादा है कि हम गांव-गांव तक बिजली का जाल सा फैला दें ।

कानपुर में बिजली के बकाये के बारे में कुछ कहा गया । मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि पिछले जमाने से हमने इस बात का प्रयास किया है कि हम जिन पर रुपया बाकी है उसको जल्दी से जल्दी वसूल करें । उसमें काफी रुपया वसूल भी हो गया है । मेरे पास आंकड़े भी हैं, कहेंगे तो बता दूंगा । लेकिन उसमें बात ऐसी भी है कि कुछ जमाने तक बिजली बन्द रही है, अब सवाल यह विचाराधीन है कि उस समय का पैसा लिया जाय या नहीं । फिर उस रुपये की हमने किस्तें बांध दी हैं और वह रुपया अब वसूल हो रहा है । करीब ४५ लाख में से १०-१५ लाख ही रुपया अब शेष रह गया है, उम्मीद है कि ४-५ महीने में बाकी रुपया भी वसूल हो जायेगा । कानपुर में बिजली की पोजीशन काफी अच्छी है । अभी तक वहां हमने ५० किलोवाट बिजली फ्री कर रखी थी लेकिन आज मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी की इजाजत ले ली है और कानपुर में अब १०० किलोवाट बिजली कम्पनी वाले अपने आप दे सकेंगे । मैंने मुख्य मुख्य सभी बातों का जवाब दे दिया । आशा करूंगा कि ऊदल जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इस मांग को मंजूर करेंगे।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय उपमन्त्री के तमाम आश्वासनों को देखते हुये मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी प्रदेश का विद्युतीकरण शीघ्र करेंगे ।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस लिये गये ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३३--विद्युत् योजनायें (अधिष्ठान छोड़कर) के अन्तर्गत २,५६,६२,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३४--विद्युत् योजनायें-अधिष्ठान के अन्तर्गत, ४३,५६,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ५०--बिद्युत योजनाओं पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,९२,३८,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विभिन्न समितियों के निर्माणार्थ प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों के सम्बन्ध में सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये लोक लेखा समिति के २१ सदस्यों, प्राक्कलन समिति के २५ सदस्यों, मंत्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों में प्रत्येक में १६-१६ सदस्यों, लाभप्रद विषयक संयुक्त समिति में श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह की मृत्यु के कारण उनके रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु एक सदस्य, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के २ सदस्यों, हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजूकेशन बोर्ड के २ सदस्यों, एडवर्ड सप्तम सैनिटोरियम, भुवाली की परामर्श-दात्री समिति के २ सदस्यों, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के ४ सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् के ४ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा २५-३-६३ को नियत समय पर की गई। इनमें निम्नलिखित अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन-पत्रों को छोड़ कर शेष ठीक पाये गये हैं :--

(क) श्री घनश्यामदास (बाराबंकी) के हरिजन, शिक्षा, आबकारी, चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समितियों, लोक लेखा समिति, रुड़की विश्वविद्यालय सीनेट, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, एडवर्ड सप्तम सेनीटोरियम भुवाली की परामर्शदात्री समिति, लाभपद विषयक संयुक्त समिति तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के नाम निर्देशन पत्रों में प्रस्तावक तथा अनुमोदक के नामों का उल्लेख न होने के कारण उक्त पत्र अवैध पाये गये हैं।

(ख) श्री कल्याणचन्द मोहिले के उद्योग स्थायी समिति के नाम-निर्देशन पत्र पर अनुमोदक के हस्ताक्षर कटे होने के कारण यह पत्र अवैध पाया गया है।

(ग) श्री उमाशंकर तिवारी का भुवाली सेनीटोरियम की परामर्शदात्री समिति, श्री मुल्तानसिंह के लोक लेखा समिति, कृषि तथा पशुपालन, स्थानीय स्वशासन, सूचना, पुलिस, उद्योग तथा सहकारी स्थायी समितियों, श्री सहदेवसिंह के रुड़की विश्वविद्यालय सीनेट और बोर्ड आफ हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट एजूकेशन और डाक्टर रघुनाथसिंह के भुवाली सेनीटोरियम की परामर्शदात्री समिति तथा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के नाम निर्देशन पत्र इस कारण अवैध पाये गये हैं कि उनके प्रस्तावक/अनुमोदक श्री भगवानदीन और श्री बाबूसिंह, सदन की सेवा से २२ मार्च, १९६३ को निलंबित किये गये हैं।

(२) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २७ मार्च, १९६३ के सायंकाल ५ बजे तक के लिये नियत है। अतः उपर्युक्त समस्त समितियों में जो नाम अतिरिक्त हैं, वे यदि उस समय तक वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ३० मार्च, १९६३ को, विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २१ मिनट पर अगले दिन के १०॥ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२५ मार्च, १९६३ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १०–११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५१ पर।)

इलाहाबाद जिले के फेब्रीकेटरों तथा उनके वर्गीकरण और १९६१–६२ में दिये गये लोहे की सूची।

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	वर्गीकरण	स्टील ट्रंक के कारखाने को जो माल मिला
			किलो ग्राम
१	हलीम ब्रादर्स	ए	१९,८१४
२	एम० एस० सिद्दीक एण्ड सन्स	ए	२३,७२६
३	आर० सी० ब्रादर्स	ए	२३,७८६
४	जायसवाल आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	ए(स्पेशल)	३९,३२८
५	जहूरमोहम्मद एण्ड सन्स	ए	१६४४७
६	बेनी प्रसाद अयोध्या प्रस द	ए	३३,५८१
७	रामा स्टील वर्क्स	ए	२७३९१
८	ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कम्पनी	ए	२९,९९९
९	एस० मंजूर अहमद	बी	२६,१५२
१०	स्वदेशी ट्रंक स्टोर	बी	१०,९७४
११	आगा एण्ड कम्पनी	बी	१६,२५४
१२	अब्दुल लतीफ अब्दुल अजीज	बी	१५,९३४
१३	पियारे लाल गुप्ता	बी	१४,९४६
१४	हाजी अब्दुल रहमान	बी	४,५५९
१५	अलोपीदीन शिवप्रसाद	सी	२१,९५०
१६	कन्हैयालाल राजेन्द्र नाथ	सी	११,६०५
१७	हाजी अब्दुल रहीम एण्ड सन्स	सी	११, ०७
१८	प्रयाग गल्वेनाईजिंग इन्डस्ट्रीज	सी	५,८९०
१९	हीरा लाल खन्ना	सी	८,४९८
२०	पायनियर इन्डस्ट्रीज	सी	५,१९३
२१	इन्दर कुमार खन्ना	सी	९,०५८
२२	शाह मुहम्मद एण्ड सन्स	सी	६,१३२
२३	राम स्वरूप मचन्दा	सी	६,७८८
२४	आर० के० ब्रादर्स	सी	१२,०३७
२५	हाफिज जी शाप	सी	३,५५६
२६	नूर मुहम्मद लाल मुहम्मद	सी	..

क्रम-संख्या	फर्म का नाम			वर्गीकरण स्टील ट्रंक के कारखाने को जो माल मिला	
२७	रहमत उल्लाह एण्ड सन्स	..	..	डी	६,९२६
२८	नन्हें मोबीन एन्ड सन्स	..	..	डी	३,९२१
२९	मो० उमर मो० यूसुफ	..	..	डी	३,३६६
३०	गुलाम हुसेन एण्ड ब्रदर्स	..	..	डी	३,८४१
३१	मो० शमीर मो० बशीर	..	..	डी	३,५४१
३२	अलीम ट्रंक फैक्टरी	..	..	डी	३,८३६
३३	गोपाल राम महादेव प्रसाद	..	..	डी	८००
३४	अब्दुल करीम एण्ड सन्स	..	..	डी	३,४९१
३५	एस० अब्दुल खालिक	..	..	डी	..
३६	दीनानाथ खन्ना ..	..	..	डी	५८०

सत्यमेव जयते